



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०..... H-43902/सं-2/विधि.अनु० NGT-13/19 दिनांक: 19-11-2019

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal
Principal Bench,
New Delhi
E-Mail – judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com


Subject:- Compliance of direction issued by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 208/2019, Sandeep Kumar Singh Versus State of UP & crs. vide order dated 14.10.2019

Sir,

In compliance of the order passed by Hon'ble National Green Tribunal on 14.10.2019 in Original Application No. 208/2019 in the matter of Sandeep Kumar Singh Versus State of UP & ors. with respect of status report of Committee dated 19.11.2019 on the subject of illegality of sand mining in rivers Kane, Yamuna, Bangey etc. in Banda District, Uttar Pradesh. The status report is being enclosed herewith alongwith annexures for you kind perusal.

Encl.: As above.

Your Sincerely


(Ashish Tiwari)
Member Secretary

Copy to:-

Sri Pradeep Misra (Advocate), Board Counsel for information and necessary action please.

REPORT OF JOINT INSPECTION TEAM IN COMPLIANCE TO HON'BLE NGT ORDER DATED 14.10.2019 IN THE ON ORIGINAL APPLICATION NO. 208/2019 IN THE MATTER OF SANDEEP KUMAR SINGH VS STATE OF UP & ORS.

In pursuance of Hon'ble NGT directions in its order 14.10.2019 on Original Application No. 208/2019 in the matter of Sandeep Kumar Singh Vs State of UP & Ors., a Joint Committee is constituted by MS, UPPCB having representation from State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) UP, Central Pollution Control Board (CPCB) and State Pollution Control Board (SPCB) UP to seek factual and action taken reports regarding sand mining in rivers Kane, Yamuna, Bangey etc in Banda District, Uttar Pradesh on the following major issues of concerns highlighted by Hon'ble NGT

- *About the illegality of sand mining in rivers Kane, Yamuna, Bangey etc. in Banda district, Uttar Pradesh.*
- *About that mining was done without Environmental Clearance (EC).*
- *To avoid the regulatory regime the areas was split up.*

As instructed, in order and continuation of previous visit dated 11.03.2019, the Joint Committee carried out field visits during 03.11.2019 to 04.11.2019 to verify the present status of the issues raised in Hon'ble NGT order.

Following are the details of joint committee visit

The team contacted to Sh. Rajesh Kumar, Mines Officer in the Office of District Magistrate (Mines Section), Banda. The committee asked to produce the following documents before the committee.

1. District Survey Report (DSR).
2. Number of lease areas notified for e-tender on rivers namely Kane, Bangey and Yamuna etc.
3. EC status of lease areas for which e-tender is notified.
4. Justification for splitting large areas into small areas and relevant documents.

After visit of Banda during 3-4 Nov, 2019 and going through the documents provided by Mining Office (Banda), Joint Committee has following views-

- (i) Total 93 sand mining lease areas/locations/khands on Rivers namely Ken, Bangey, Yamuna and Ranj which are found listed in original DSR **(Annexure-I)**. 01 additional mining lease areas/locations/khands at Jauharpur village on Yamuna river is also notified for e-tender which is not

[Handwritten signatures]

listed in original DSR but the area is depicted in corrigendum/resolution of DEIAA on March 21, 2018 regarding additional river bed mining lease in the DSR of district Banda. **(Annexure-II)**.

- (ii) It is found that total 89 lease areas/khands were notified for e-tender **(Annexure-III)** till the date of visit of committee.

Splitting & Merging of Sand Mining of Lease Area/Location/Khands:

- (iii) Out of 94 (93+01) lease areas/locations/khands, 11 lease areas/locations were found split into two or more small lease areas whereas 02 lease areas/locations were merged into single and notified for e-tender till the date of visit of committee.
- (iv) After splitting & merging of lease areas/locations/khands the number of lease areas/locations/khands is increased from 94 to 126. Details represented in table1.

Table1: Splitting & Merging of Lease Areas/Locations/Khands listed in DSR

Sl No.	Name of River	No. of lease Area/ Khand as per DSR	No. of lease Area/ Khand split into small areas listed in DSR	No. of lease Area/ Khand merged listed in DSR	No. of lease Area/ Khand after Splitting & merging of Khands listed in DSR
1.	Ken	47	08 split into 27 nos. (Ref. Sl No. 9, 10, 11, 27, 67, 75 & 78 on page 60 to 66 of DSR)	02 merged into single (Ref. Sl No. 72 & 85 of DSR)	65 (47 + 27 - 8 - 1)
2.	Bangey	25	01 split into 07 nos. (Ref. Sl No. 66 on page 60 to 66 of DSR)	00	31 (25 + 7 - 1)
3.	Yamuna	14 + 01 at Jauharpur Village (not listed in original DSR, but as per corrigendum of DSR Annexure-II)	01 split into 04 nos. (Ref. Sl No. 12 on page 60 to 66 of DSR) + 01 at Jauharpur Village split into 06 nos. & notified for e-tender	00	23 (14 + 1 + 4 + 6 - 2)
4.	Ranj	07	00	00	07
Total:		94	11	01	126

[Handwritten signature]

- (v) After the study of documents such as GO number 1875/86-2017-57(Sa)/2017 TC-I dated 14 August 2017, order of District Magistrate Banda letter number 1318/ Khanij- 30, Banda dated 18 August 2017 and Joint inspection report of Mine officer Banda, Tehsildar Banda, SDM Banda and ADM Banda (Finance/Revenue), Joint Committee reveals that 11 nos. of lease area/locations/khands were split up into small areas as per GO (**Annexure IV**), DM order(**Annexure-V**) and Joint Inspection Report of Mine Officer, Banda etc. (**Annexure-VI**).
- (vi) It seems that splitting of the areas is recommended in Joint Inspection Report of Mining Officer, Banda etc as per GO to facilitate mining in the scientific manner.
- (vii) It is found that, after splitting and merging of 11 lease areas/locations/khands all lease areas presently belongs to Category B1 required EC from SEIAA, UP before starting the mining activities.

Present Status of Sand Mining of Lease Area/Location/Khands:

- (viii) Total 89 lease areas/khands were notified for e-tender as on date of inspection.
- (ix) Out of 89 No. of lease areas/khands notified for E-Tender, only 42 lease areas/khands has taken EC from SEIAA. A list of present status of 42 sand mining lease areas/khands is provided by MO, Banda (**Annexure-VII**) and presented in table2 below:

Table2: Status of 42 lease Area/Khands has taken EC from SEIAA

Sl No.	River	EC obtained from SEIAA for the lease Areas/ Khands till the date of visit.	No. of Operational lease Areas / Khands for which EC obtained	No. of Non- Operational lease Area/ Khand for which EC obtained		
				Lease Cancelled due to non-payment of Royalty	Due to Non-Signing of Dead	Due to NGT Order/ In Appeal to Commissioner/ Dispute in State Boundaries
1.	Ken	30	11	07	09	03
2.	Bangey	06	02	04	00	00
3.	Yamuna	06	01	01	04	00
4.	Ranj	00	00	00	00	00
Total:		42	14	12	13	03

Handwritten signature

Handwritten signature Page 3 of 10

- (x) As reported by Mining Officer, Banda, out of 89 notified lease areas/khands, 47 are pending for environment clearance (EC) and other reasons.
- (xi) During visit, a letter is provided by Mines Officer, Banda declaring that complete closure of mining activities in the lease area for which EC is pending (**Annexure-VIII**).
- (xii) Another letter is also provided by Mines Officer, Banda declaring that all lease areas/khands in Banda district is more than 5.0 hectare and belongs to B1 category (**Annexure-IX**).
- (xiii) All lease areas/locations having ECs (42 nos.) till the date of inspection are digitally verified by use of Geo Co-ordinates, Google Map & Arc Map in respect of distance from one lease area to next lease areas/location in downstream of that river.
- (xiv) MAP 1A, 1B, 1C, 2 & 3 (enclosed) are showing the lease areas/locations having ECs and distance between u/s lease area/location to immediate next d/s lease area/location in Rivers Ken, Yamuna and Bangey respectively.

Physical Verification of Sand Mining Lease Area/Khands:

- (xv) During visit, Mining Officer informed that only 14 lease areas/khands are presently in operation on river Ken, Yamuna and Bangey. The statement of Mines Officer was verified by office record and Joint Committee decided to verify physically all operative sites (as per record) and some non-operative sites on random basis. The site-specific details and observations made by the joint committee is as given below.

Sl No	River	Tehsil	Village	Khand No.	Gata No./ Khasara No.	Area of Khand (Hectare)	Status during visit	Status as per MO, Banda	Observation during Visit
1.	Ken	Banda	Kanwara	1	28 ka bhag 29	27	Non-Operational	Non-Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC not obtained for this site due non-issuance of LOI.
2.	Ken	Banda	Kanwara	2	53, 337 ka bhag	24	Non-Operational	Non-Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.
3.	Ken	Banda	Kanwara	3	337 ka bhag	24	Operational	Operational	(a) Sand mining activities were found as per rule. (b) EC obtained for this site.
4.	Ken	Banda	Kanwara	4	337 ka bhag, 431 ka bagh	24	Non-Operational	Non-Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.

5.	Ken	Banda	Kanwara	5	431 ka bagh	23	Non-Operational	Non-Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.
6.	Ken	Banda	Bhurendi	-	1141 ka bhag 1137, 1136, 1123/2, 1125,1127,1 131,1132	37	Operational	Operational	(a) Sand mining activities were found as per rule. (b) EC obtained for this site.
7.	Ken	Banda	Durendi	1	678,680 kha, 681 kha, 682, 677 ka, 683 kha, 676	24	Non-Operational	Non-Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) Lease Cancelled.
8.	Ken	Banda	Durendi	2	4943, 4942, 4941, 4939 gha, 4938, 4937, 4922ka, 4923 ka, 4925 ka, 4931, 4959 gha , 4958, 4957,4955, 4883	40	Non-Operational	Non-Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.
9.	Ken	Banda	Durendi	3	4881, 4880,4834, 4824 kha	27	Operational	Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.
10.	Ken	Banda	Durendi	4	5029, 5030ka, 5093 ka, 5094 ka, 5097	20	Non-Operational	Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.
11.	Ken	Banda	Gancha	1	1971/1	10	Non-Operational	Non-Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site. (c) Lease Cancelled and in appeal to Commissioner.
12.	Ken	Banda	Ladakapur wa	1	5114/1, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5134, 5135, 5136, 5152	20	Non-Operational	Non-Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site. (c) Lease deed yet to be signed due to new bridge is u/c which is passing through lease area.
13.	Ken	Pailani	Khaptiha Kalan		455	23	Non-Operational	Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.
14.	Ken	Pailani	Khaptiha Kalan		61/3	20	Non-Operational	Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.

15.	Ken	Pailani	Sadi Khadar		176 ka bhag, 179, 180, 177, 147 k bhag, 144 ka bhag, 141 ka bhag, 143, 145, 142, 122, 121, 114 ka bhag & 117 ka bhag	46.00	Non-Operational	Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.
16.	Ken	Naraini	Kolawal Raipur		721, 722, 723	20	Non-Operational	Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.
17.	Ken	Naraini	Jarar		851, 866, 867, 869, 872 & 876	8	Non-Operational	Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.
18.	Ken	Naraini	Nihalpur Syoda		492/13	32	Non-Operational	Operational	((a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.
19.	Ken	Naraini	Lahureta		195/1 ka bhag, 191 & 3	33	Non-Operational	Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.
20.	Yamuna	Banda	Jauharpur	1	2211,2195,2196, 2197, 2183, 2198, 2199, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2220, 2221,2223, 2224, 2226, 2227, 2228, 2229, 2149, 2148, 10,09,11, 01, 12150, 08	15	Non-Operational	Non-Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC pending for this site.
21.	Yamuna	Banda	Jauharpur	2	01, 07, 08, 2147, 2148, 2150, 2200, 2181, 2182, 2180, 2178	15	Non-Operational	Non-Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC pending for this site.
22.	Yamuna	Banda	Jauharpur	3	2178, 2152, 2153, 2145, 2147, 2146, 06, 2148, 07, 01,2154	15	Non-Operational	Non-Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.
23.	Yamuna	Banda	Jauharpur	4	01, 05, 06, 2145, 2144, 2143, 2155, 2154, 2153, 01, 2152	15	Non-Operational	Non-Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC pending for this site.
24.	Yamuna	Banda	Jauharpur	5	01, 03, 04, 05, 2143, 2142, 2141, 2140, 2156, 2157, 2153, 2154, 2137	15	Non-Operational	Non-Operational	a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

25.	Yamun a	Banda	Jauharpur	6	01, 02, 03, 2139, 2138, 2137, 2136	15	Non- Operational	Non- Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC pending for this site.
26.	Yamun a	Banda	Benda Khadar	1	2/4, 2/23, 2/24, 2/28	21	Non- Operational	Non- Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC pending for this site.
27.	Yamun a	Banda	Benda Khadar	2	2/4, 2/23, 2/24, 2/29	21	Non- Operational	Non- Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC pending for this site.
28.	Yamun a	Banda	Benda Khadar	3	2/4, 2/23, 2/24, 2/30	21	Non- Operational	Non- Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC pending for this site.
29.	Yamun a	Banda	Benda Khadar	4	2/4, 2/23, 2/24, 2/31	21	Non- Operational	Non- Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC pending for this site.
30.	Yamun a	Pailani	Sadimada npur	1	93/1 ka, 95/2, 96/8, 97, 98	18.6	Non- Operational	Non- Operational	a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC pending for this site. (c) Lease deed yet to be signed.
31.	Yamun a	Pailani	Sadimada npur	2	50, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1/3	28.33	Non- Operational	Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.
32.	Yamun a	Pailani	Sadimada npur	3	92/6, 92/7, 94	7.46	Non- Operational	Non- Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC pending for this site.
33.	Bangey	Attara	Tera (B)	1	1749 Kha, 1766, 2421	9.34	Non- Operational	Operational	(a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site. (c) Mining operation not restarted after monsoon.
34.	Bangey	Attara	Chandaur	-	2494	7.80	Non- Operational	Operational	a) Sand mining activities not found at this site. (b) EC obtained for this site.





(xvi) Out of 14 operative lease areas/khands (as per record of MO, Banda), joint committee found only 03 in operation during visit. Rest 11 are under the process of start/restart of sand mining operation by installing Vehicle Weighing System, Haul Road repairing etc.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Findings of the visit:

- (i) Illegal sand mining in rivers Kane, Yamuna, Bangey etc. in Banda district is not seen by the joint committee at the time of visit.
- (ii) None of the individual lease areas is more than 100 ha and all lease areas falls under B category only as per the provisions of EIA notification 15th January, 2016 and 14th August, 2018.
- (iii) At present, all lease areas having ECs belong to B1 category and EC has been granted as per the provision of EIA notification.
- (iv) No lease areas/khands were found in operation without Environmental Clearance (EC).
- (v) Splitting of 11 lease areas was carried in light of recommendation made in Joint Inspection Report of Mining Officer, Banda etc according to GO number 1875/86-2017-57(Sa)/2017 TC-I dated 14 August 2017 to facilitate mining in scientific manner.

Name & Designation of the Joint Committee Members	Signature
1. Sh. Meraj Uddin, Member SEIAA, UP	 19/11/19
2. Sh. Sanjay Kumar, Scientist 'C' CPCB, RD, Lucknow	 19/11/2019
3. Dr. Madhvi Kamalvanshi, ASO UPPCB, Regional Office, Banda	 19/11/19
4. Dr. Ravi Prakash Misra, RA CPCB, RD, Lucknow	

Site Photographs during Visit of Joint Committee



P1: No Sand Mining Activities in Lease Areas of Yamuna River at Jauharpur Village



P2: Joint Committee Members at Jauharpur Village Site



P3: No Sand Mining Activities in Lease Areas of Yamuna River at Benda Khadar Village



P4: Joint Committee Members at Benda Khadar Village Site



P5: Sand Mining Activities just started in Lease Area Kand No.3 of Ken River at Kanwara Village



P6: Joint Committee Members at Kanwara Village Site




P7: Vehicles for Transportation of Sand at Kanwara Village Site



P8: Board near to Sand Mining lease Area at Bhurendi Village

Handwritten signature: Jay Kumar

Handwritten signature: Anand



P9: Sand Mining Activities going on in Lease Area of Ken River at Bhurendi Village Site



P10: Sand Mining Activities going on in Lease Area of Ken River at Bhurendi Village Site



P11: Board near to Sand Mining lease Area at Durendi Village



P12: Sand Mining Activities going on in Lease Area Khan-3 of Ken River at Durendi Village Site



P13: New bridge is u/c which is passing through lease area of Larakapurwa Village Site on Ken River.



P14: No Sand Mining Activities in Lease Areas of Bangey River at Tera Ba Village Site



P15: No Sand Mining Activities in Lease Areas of Bangey River at Tera Ba Village Site




P16: Joint Committee Members during visit of Tera Ba Village Site inn Bangey River

Kallu Jay Kumar


Shyam

MAP 1A : LEASE AREAS IN KEN RIVER OF PAILANI TEHSIL, DISTT - BANDA




Handwritten notes: 1/10/2018, Jay Kumar, and other illegible scribbles.

MAP 1B : LEASE AREAS IN KEN RIVER OF BANDA TEHSIL, DISTT - BANDA




Map by Jay Kumar -12-

MAP 1C : LEASE AREAS IN KEN RIVER OF NARAINI TEHSIL, DISTT - BANDA




Handwritten signature: Vallu Singh Kumar
 100 m' -13-

MAP 2 : LEASE AREAS IN YAMUNA RIVER, DISTT - BANDA



Handwritten notes: 14-
 14-
 14-
 14-

MAP 3 : LEASE AREAS IN BANGHEY RIVER, DISTT - BANDA




Resolution of the District Environmental Impact Assessment Authority on November 23, 2017 approving the District Survey Report for Riverbed material in the District of Banda.


The DEIAA – Banda in its meeting held on 23rd November 2017 has reviewed the Preliminary Draft District Survey Report for riverbed material which has been submitted by the Site Inspection Committee through the Mining Officer, Banda District.


The DEIAA has also reviewed the written and oral Suggestion/objections. The Final District Survey Report incorporating the relevant feedback is approved on 23rd November 2017. The Final District Survey Report is released for public disclosure and uploading on the District nic website.


(Member Secretary)
DEAC


(Member)
DEIAA


(Member)
DEIAA


(Member Secretary)
DEIAA



(Chairman)
DEIAA/District Magistrate





District Survey Report

For

(Planning & Execution of) Minor Mineral Excavation



 23/11/2011
CHAIRMAN,
DISTRICT ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY,
BANDA, U.P.
 &
 सदस्य (डीईआईए) बाँदा
DISTRICT MINING OFFICER – BANDA
DEPARTMENT OF GEOLOGY & MINING,
UTTAR PRADESH.

 सदस्य (डीईआईए) बाँदा
 सदस्य सचिव (डीईआईए) बाँदा

Content

1. Preface
2. Introduction
3. General Profile of the district
 - Climate Condition
 - Rainfall and humidity
 - Topography & Terrain
 - Water Course & Hydrology
 - Ground Water Development
 - Drainage System
 - Demography
 - Cropping Pattern
 - Land Form and Seismicity
 - Flora
 - Fauna
4. Physiography of the district
5. Land use pattern of the district
6. Geology
 - Geology
 - Lithology
7. Mineral wealth
 - Soil
 - Sand
 - Description of River

8. Process of deposition
 - Mode of sediment transport
 - Sediment transport in rivers
 - Sediment Influx Rate
 - Recharge Rate
 - Estimation of Sedimentation
 - Sedimentation Yield
9. Overview of mining activity in the district
 - Reserve Estimation
 - Detail Of Production Of Sand / Bajri Or Minor Mineral In Last Three Years In Distt.
 - Details of royalty or revenue received in last three years
 - List of mining quarries in the district with location, area and period of validity
 - For lease wise information
10. Discussion
11. Summary
12. References

List of Figures, Tables and plates

Figures

- Fig 1: Location map of Banda
Fig 2: Demography of Banda
Fig 3: Land Use Pattern of Banda
Fig 4: Cropping Pattern of Banda
Fig 5: Geological map of Uttar Pradesh
Fig 6: River System of India
Fig 7: District Banda(Part of Yamuna lower sub Basin)
Fig 8: Standard Sand Mining Operation
Fig 9: Floodplain Excavation Pit Geometry for Streamlined Floodplain
Fig 10: Sediment Transport in river
Fig 11: Flow chart for volume estimation
Fig 12: Aggregate extraction can take place in a number of in-stream and near-stream environments
Fig 13: Annual Rainfall Pattern

Tables

- Table 1: Drainage system with description of main river
Table 2: Salient features of important Rivers and streams
Table 3: List of villages through which river Yamuna Passes
Table 4: List of villages through which river Ken passes
Table 5: List of villages through which river Baghain passes
Table 6: List of villages through which river Ranj passes

Table 7:	Lists of drains in District Banda
Table 8:	Distribution of Forest in Banda
Table 9:	Demographic details of Banda
Table 10:	Land use pattern of Banda
Table 11:	Cropping pattern of Banda
Table 12:	Catchments Details of Yamuna River
Table 13:	Catchments Details of Ken River
Table 14:	Catchments Details of Baghein River
Table 15:	Annual Rainfall of Banda
Table 16:	Reserve estimation of sand on the banks of Yamuna river
Table 17:	Reserve estimation of sand on the banks of Ken river
Table 18:	Reserve estimation of sand on the banks of Bagein river
Table 19:	Reserve estimation of sand on the banks of Ranj river
Table 20:	Detail Of Production Of Sand / Bajri Or Minor Mineral In Last Three Years In Distt. Banda
Table 21:	Details Of Royalty Or Revenue Received In Last Three Years
Table 22:	List Of Mining Quarries In The District With Location, Area And Period Of Validity
Table 23:	Environmental Sensitivity Analysis of Site
Table 24:	Present status of mining

Plates

- Plate 1: Tentative lease of district Banda on River Ken (A)
- Plate 2: Tentative lease of district Banda on River Ken (B)
- Plate 3: Tentative lease of district Banda on River Yamuna
- Plate 4: Tentative lease of district Banda on River Baghein

Preface

On January 15th 2016, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India issued a notification and in which Para 7(iii) (a) and Annexure X purpose and structure of District Survey Report has been discussed. District Survey report (DSR) will be prepared in every district for each minor mineral. The District Survey Report will guide systematic and scientific utilization of natural resources, so that present and future generation may be benefitted at large. The purpose of District Survey report (DSR) *"Identification of areas of aggradations or deposition where mining can be allowed; and identification of areas of erosion and proximity to infrastructural structures and installations where mining should be prohibited and calculation of annual rate of replenishment and allowing time for replenishment after mining in that area"*. The District Survey report (DSR) will contain mainly data published and endorsed by various departments and websites about Geology of the area, Mineral wealth details of rivers, Details of Lease and Mining activity in the District along with Sand mining and revenue of minerals. This report also contains details of Forest, Rivers, Soil, Agriculture, Road, Transportation and climate etc.

Banda is a district of Uttar Pradesh, and Banda Town is the district headquarters. It is a part of Chitrakoot Division. Located in historical Bundelkhand region, Banda is famous for its Shajar stone which is used for making jewellery, and the historically and architecturally significant sites Khajuraho and Kalinjar. Khajuraho is a World Heritage Site famous for its elaborately carved temples. The fortress of Kalinjar is famed for its war history and its glorious rock sculptures.

Disclaimer: - The data may vary due to flood, heavy rains and other natural calamities. Therefore, it is recommended that EAC/SEIAA/DEIAA may take into consideration all its relevant aspects / data while scrutinizing and granting EC to the concerned Authority as applicable.


Introduction

District Banda is located in geographical extends between 24° 53' to 25° 55' N latitudes and 80° 07' to 81° 34' E longitudes. The total geographic area of the districts is about 4460 Sq.Km. The district forms part of the northern fringe of the peninsular India coming in contact with the Gangetic alluvium. North side of this district is bounded by Fatehpur district, west by Mahoba, east by Chitrakoot and south side bounded by State of Madhya Pradesh. District headquarter is at Banda having 04 tehsils and 8 blocks. As per the 2011 census the district has population of 1,799,410 of which male and female were 965,876 and 833,534 respectively. Literacy rate of the district is 54.2%.

Banda district falls under Chitrakoot Division and Banda town is the district headquarters. There are 04 Tehsils, 08 blocks, 02 Nagar Palika and 06 Nagar Panchayat. The district has 01 Parliamentary constituency and 04 Assembly seat. Out of the total villages of the district, 660 villages are populated and 34 are inhabited.

Sand is the main mineral available on the banks of the river Yamuna, Ken, Baghain and Ranj. Sand is available which is used in construction and few minor stones are also found in the rocky mountain which are used by the Public Work Department for road construction in and nearby districts.

Banda district is drained by Yamuna, Ken, Baghain and Ranj rivers. River Yanuna bifurcates the district Banda from Fatehpur in north and flows from west to east in the entire district. River Ken is the tributary of River Yamuna at ChillaGhat in district Banda.



(Source: mineral.up.nic.in)




Fig. 1: Location map of Banda

General Profile of the district

Banda is one of the districts of Buldalkhand region of Uttar Pradesh having a rich historical tradition going back to the remote antiquity, is famous for its Shajar stone, used for making jewellery and the historically and architecturally significant sites Khajuraho and Kalinjar. Khajuraho is a World Heritage Site famous for its elaborately carved temples. The fortress of Kalinjar is famed for its war history and its rock sculptures. The district is said to be the birthplace of the great ancient poet Valmiki who has written the immortal epic Ramayana in Sanskrit language. His ashram at Lalapur Bagrehi hills was one of the ancient centers of Vedic Learning.

Every Year Banda-District celebrates week long Kalinjar Mahotsava to promote Kalinjar Fort's Heritage & Tourism. Kalinjar Mahotsava includes many Cultural and Social activities.

In 2006 the Ministry of Panchayati Raj named Banda one of the country's 250 most backward districts out of a total of 640. It is one of the 34 districts in Uttar Pradesh currently receiving funds from the Backward Regions Grant Fund Programme.

Climate Condition

May is the hottest month with mercury shooting upto 47.0 °C. With the advance of monsoon by mid June, temperature starts decreasing. January is usually the coldest month with temperature going upto 5.8 °C.

Rainfall & Humidity

The average annual rainfall is 902.00 mm. The climate is typical subtropical characterized by long and intense summers. About 80% of the annual rainfall is

received from south-west monsoon. The relative humidity is highest in August about 85% and lowest in April.

Topography & Terrain

The district largely consists of irregular uplands with outcrops of rocks intermingling mostly with lowlands, frequently under water during rainy season. The Ken River traverses the district from north-east to southwest. The tract lying to the right of the river is intersected by numerous smaller river and rivulets, but to its left is a flat expanse, most part of which is made up of Mar and Kabar soils, eroded and converted into ravines along the banks of the rivers Ken and the Yamuna. Baghein and ranj rivers also erode the banks.

Water Course & Hydrology

On the basis of hydrogeological information ground water occurs in unconfined conditions in shallow depths and confined conditions in deeper depth in alluvium. The thickness of alluvium varies from 45.00 to 200.00 mbgl in the district. Granites (Bundelkhand) has also good potential and yield at economical discharge. Ground water occurs in fractures and joints in the hard rock. The potential fractures are encountered from around 28.00 to 96.00 meters in some places.

As per the depth to water level data of 27 permanent ground water monitoring stations in the year 2009, pre monsoon water level ranges from 2.75 mbgl (Khurand) to 26.95 mbgl (Bhitarkerdera). In the post monsoon period, depth to water level varies from 0.95 mbgl (Girwan) to 22.50 mbgl (Pailani). It is observed that the hilly and rocky area the fluctuation is higher than the plain. Fluctuation is more where less order streams are found.

Long term water level trend records in the area from 27 national hydrographic stations (2000-2009) in ten years show that (except Mataudh) all other wells are showing declining trend. The falling trend ranges from 0.0979 m/yr (Girwan) to 1.5087 m/yr at Paprenda.

Ground Water Quality

The electrical conductance is in the range of 570 to 2600 $\mu\text{m}/\text{cm}$ at 25°C . Total hardness is from 110 to 400 mg/lit. Fluoride ranges from 0.16 to 0.89 mg/lit and Nitrate is upto 306 mg/l which is high. Phosphate is absent.

Ground Water Development

The stage of ground water development in the district is 36.71%. Leaving net ground water availability for future irrigation 50247.33 ham. The maximum stage of ground water development is in Jagura block 59.91% and minimum in Bilanda block 24.96%. All the 8 blocks are in the safe category.

Topography & Slope

The district largely consists of irregular uplands with outcrops of rocks intermingling mostly with lowlands, frequently under water during rainy sesason. The Baghein River traverses the district from southwest to north-east and ranj is a prominent tributary of Baghein. The tract lying to the right of the river is intersected by numerous smaller river and rivulets, but to its left is a flat expanse, most part of which is made up of Mar and Kabar soils, eroded and converted into ravines along the banks of the rivers Ken and the Yamuna.

Drainage System

The total geographical area of the district is 4460 km^2 . The Yamuna, Ken and several tributaries of river Yamuna are flowing in the Banda district. Average

rain in the district approximate 902.00 mm. General climate of the district is healthy and pleasant. The net irrigated area is 153804 ha and the net area sown is 336000 ha, which shows that 45.77% area is irrigated by ground water and the surface water while the rest depends on rainfall.

Table 1: Drainage System with Description of main rivers

S.No.	Name of River	Area Covered (Sq. Km.)	% Area Covered
1.	Yamuna River	51.88	1 %
2.	Ken River	130.68	2 %
3.	Baghain river	3.82	0.5 %
4.	Ranj river	1.32	0.25 %

Table 2: Salient features of Important Rivers and streams

S.No.	Name of River / stream	Total length in the District (in Km)	Place of Origin	Altitude at Origin
1	Yamuna River	124.70	Yamunotri Glacier, Lower Himalaya in Uttarakhand	6,387 mamsl

2	Ken River	143.84	Village Ahirgawan on the north-west slopes of Barner Range in Jabalpur district	550 mamsl
3	Baghain river	32 Km	Kohari in Panna District	416 mamsl
4	Ranj river	15 Km	Udesa, Panna	416 mamsl

Yamuna River

Yamuna Rivers enters in Banda at village Bhaura Daria and passes through Budhed, , Amchauli in and out of district boundary. Finally at Joraupur, river Yamuna exits from District Banda.

Table 3: List of villages through which river Yamuna passes

S.No.	Name of Place
1.	Bhauradaria
2.	Budheda
3.	Khaptiha kalan
4.	Amchauli
5.	Mahabara

6.	Piparodar
7.	Basdhari
8.	Lasada
9.	ChillaGhat
10.	SadiMadanpur
11.	Laumar
12.	Gaura
13.	AmliKaur
14.	Augasi
15.	Marka
16.	Charaka
17.	Matchana
18.	Mudyara
19.	Kheda
20.	Kathar
21.	Joratipur
22.	Raghopur

Ken River

Ken Rivers enters in Banda at village Chillaghat, it is tributary of Yamuna river and passes through Khajuri, Dighwat, Pailaniin and out of district boundary. Finally Kenriver, at villageBilharka,river Ken exits from District Banda.

Table 4: List of villages through which river Ken passes

S.No.	Name of Place
1.	Sindhan kala
2.	Sadi khadar
3.	Kolawalraipur
4.	Risaura
5.	Lahureta
6.	Bhuredi
7.	Duredi
8.	Jamwaara
9.	Nasini
10.	Jarar
11.	Bahadurpur Syoda
12.	Achraud
13.	Marauli
14.	Chilheta

15.	LadakaPurwa, Bhawanipurwa
16.	Barehta
17.	Padohra khaddar
18.	Girwan
19.	Gada
20.	Nahari
21.	Masaani
22.	Pangara
23.	BaruwaSyoda
24.	Badokhar Khurd
26.	Chilla
27.	Khajauri
28.	Dighvat
29.	Pailani
30.	Kukuwakhas
31.	Madauli
32.	Amlor
33.	Rehuta

34.	Khaptiha kala
35.	Sadi
36.	Pathri
37.	Chehraw
38.	Chat Gaon
39.	Chatchat Gaon
40.	Darda
41.	Kanwara
42.	Haretipurwa
43.	Ganch
44.	Madhavpur
45.	Bharsaud
46.	Govindpur
47.	Sarisleempur
48.	Samspur
49.	Akbatpur Girwa
50.	Nihalpur
51.	Briyani

52.	Gaurshivpur
53.	Barsdamanpur
54.	Ramnai
55.	Brauli
56.	Kharauni
57.	Chandaura
58.	Jigni
59.	Bhina
60.	Bilharka

Beghain River- It enters Banda district at Masauni Bharatpur village (the Naraini). It flows north-east-ward and at a point separates Banda from the newly created Chitrakut district forming boundaries between Atarra, Baberu and Karwitahsils.

Table 5. List of villages through which river Baghain passes

S.No.	Name of Place
1.	Achhri
2.	Itra Barhauji
3.	Garaul ika Purwa

4.	Lohra
5.	Bichhaunda
6.	Mamsi Khurd
7.	Difghaura
8.	Chakerhi
9.	Kytana Purwa
10.	Itwan
11.	Paresta
12.	Pahriya khurd
13.	Bhawanpur
14.	Utrawan
15.	Kullu Khera
16.	Bhadawal
17.	Lamehta
18.	Pauhar
19.	Chaundaur
20.	Sirsauna
21.	Bansi Purwa

22.	Udaipur Bhulasi
23.	Bdausa
24.	Munsipurwa
25.	Baniyanpurwa
26.	Thakuran Purwa
27.	Tarsuman
28.	Mahuta
29.	Tera
30.	Pthara
31.	Diyoli
32.	Mungaura
33.	Rajapur
34.	Naugawan
35.	Khera Purwa
36.	Gahbara
37.	Barcha
38.	Bastahi
39.	Gasraut

40.	Runkhera
41.	Sidhauti
42.	Pipra
43.	Bharsaud
44.	Rampurmurdi
45.	Mahbara
46.	Chiwali
47.	Sada
48.	Dhawsar
49.	Dadukhadar
50.	Batcha
51.	Singhpurmafi

Ranj River

The river enters in Chandpura and passes through various villages including guda and gopara. At gurha kalan the river joins the Baghein river.

Table 6. List of villages through which river Ranj passes

S.No.	Name of Place
-------	---------------

1.	Shahpatan
2.	Khalari
3.	Barkola
4.	Chandrapura
5.	Pukari
6.	Panchampur
7.	Gudha
8.	Gopra
9.	MadraNaala
10.	Katra Kalingar

Table 7: List of drains in District Banda

S.No.	Name of Water body		Merges with
1.	Gharar Nala	Ranj River	Yamuna River
2.	Pandwa nala	Banganga river	
	Gara Nala		
	Unti Nala		
3.	Madrar Nala		

4.	Barar Nala		Beghein river		
5.	Pathrar Nala				
6.	Dhundhu Nala				
7.	Simrari Nala				
8.	Makrar Nala				
9.	Hardohra Nala				
10.	Koyalha Nala				
11.	Gohariya Nala			Ken River	
12.	Jhari Nala				
13.	Nimni Nala				
14.	Suindi Nala				
15.	Ghghar Nala				
16.	Gajha Nala				
17.	Madrar Nala				
18.	Chuwa Nala				
19.	Baredi Nala				
20.	Bisahil Nala				
21.	Barwa Nala				

22.	Karaili Nala			
23.	Gupla Nala			
24.	Havya Nala			
25.	Pandui Nala			

Fauna

Animals depend on forest not only food but also for habitat. The diversity of fauna are found in the State. Since their list is long, mention shall be made here only of important species mainly found in the district :

Fish : Mahaser, Hilsa, Saul, Tengan, Parthan, Rasela, Vittal, Rohu, Mirgal, Kata, Labi, Mangur, Cuchia, Eel, Einghi, Mirror, Carp, Trout.

Amphibia : Frog and Toad.

Reptiles : Bamania, Pit-viper, Lizard, Goh, Cobra, Tortoise, Krait, Dhaman and Crocodile.

Aves: Cheel, Vulture, Peacock, Nightingale, Pigeon, Parrot, Owl, Nilkanth and Sparrow.

Mammals: Shrew, Porcupine, Squirrel, Hare, Mongoose, Cow, Buffalo and Mouse.

Other common species found here are Panther, Sambhar, Cheetal, Kastura, Chinkara, Black Deer, Nilgal, Back-brown Bear, Mountain Goat, Hyena, Hill Dog, Elephant ect. Among the birds Fowl, pheasant, partridge, Florican, Duck, Goose and Wader are common.

Flora

The main forest species found in the districts are: Teak, Kardhai, Dhou, Tendu, Khair, Palash, Bamboo, Medicinal Shrubs, Herbs and trees like Amla, Bahera, Bel, Arjun, Mahua, Seja, Chironji, etc.

Table 8: Distribution of Forest in Banda

S.No.	Name of Village section	Total Area (ha)
1	AkbarpuraGirwan	35.627
2	Kuruhun	165.182
3	Katra	75.303
4	Kartal	127.53
5	Kulsari	99.999
6	Khronch	88.664
7	Gadha	79.725
8	Ganchh	112.145
9	GaourShivpur	43.32
10	Chatgan	80.971
11	Chhehranwa	74.898
12	Chamraha	85.02
13	Dadhawamanpur	441.7
14	Diwali	157.894
15	Duredi	71.056
16	Naugawan	291.093
17	Pathra	62.348

18	BahadurSyoudha	221.052
19	Bilhraka	42.967
20	Bhasaroundh	74.493
21	Mahuai	50.606
22	ManpurKhurd	55.06
23	Marouli	72.064
24	Rampur Murdi	81.376
25	Lama Kotla	87.137
26	Sindhaura	77.732
27	Sadha	131.578
28	BahadurpurKalinjar	665.521
29	RangouliBhatpura	95.599
30	AmlhKoaur	77.732
31	Arsonda	80.971
32	Kulewapah	115.385
33	Khairai	248.987
34	Nari	174.898
35	Pailani	180.161
36	Banda	57.894
37	Mancha	125.100
38	Mirgahni	3.780
39	Jalalpur	67.611
40	Mhendu	8.655
41	Lalouli	8.008

42	Badehara	9.310
43	Amara	76.112
44	Ihanjhri	13.372
45	Rampur	40.728
46	Nandadev	15.190
47	Utrawan	265.991
48	KhatanKhadar	68.825
49	Shiv	25.016
50	Aliha	17.421
51	Mungush	0.00
52	MataundhGramin	0.00
	Total	5428.807

Land form & Seismicity

In the earthquake zonal map of India the district lies in zone II liable to low damage by earthquakes. Although no major earthquake occurred close to it, the tract being not far from the Great Himalayan Boundary fault, experiences the effects of moderate to great earthquake occurring there.

Soil

In Banda district loose sediments as well as black cotton soil is found. Black cotton soil is prominent in the central part. Four major type of soil a) Rakar, b) Mar, c) Kabar and d) Padua are dominant in the district.

Demography

In 2011, Banda had population of 1,799,410 of which male and female were 965,876 and 833,534 respectively, Banda District population constituted 0.90 percent of total Maharashtra population. In 2001 census, Banda had a population of 1,537,334 of which males were 826,544 and remaining 710,790 were females. In 2001 census, this figure for Banda District was at 0.93 percent of Maharashtra population.

Population Distribution

Rural Urban Distribution





Fig.2:Demography of Banda

Table 9: Demographic details of Banda

Description	2011
Total Population	1,799,410
Male	965,876

Female	833,534
Population Growth	17.05%
Area Sq.km	4,408
Density/ Km ²	408
Proportion to Uttar Pradesh Population	0.90%
Sex Ratio (per 1000)	863
Child Sex- Ratio (0-6 age)	902
Average Literacy	66.67
Male Literacy	77.78
Female Literacy	53.67
Total Child Population(0-6 age)	294,972
Male Population(0-6 age)	155,080
Female Population(0-6 age)	139,892
Literates	1,002,937
Male Literates	630,626
Female Literates	372,311
Child Proportions (0-6 age)	16.39%
Male Proportions(0-6 age)	16.06%
Female Proportions (0-6 age)	16.78%

Source: <http://www.census2011.co.in/census/district/526-Banda.html>

Physiography of the district

The area comprises Precambrian Bundelkhand granites unconfirmably overlain by Vindhyan and quaternary alluvium. The main and major drainage of the district are Yamuna, and Ken which are part of Yamuna river system.

Physiographically the area can be divided into three physiographic units—

- (1) Alluvial Plain
- (2) Marginal Alluvial
- (3) High Land (Hard rock) area

Land utilization pattern of the district

The total cultivated area of the district is 11588 ha. And the total cropped area is 405954 ha. The cropping intensity in the district is 122.2%. The area sown during rabi is more as compared to area sown in kharif. Land use Pattern in Banda district is given below in Table:

Table 10: Land use pattern of Banda

S.No.	Particulars	Area (ha)
1.	Cultivated Area	11588
2.	Forest	5421
3.	Non Agri. Use	30622
4.	Net sown area	351472
5.	Follow land	28438
6.	Area Sown more than Once	63519
7.	Total Cropped Area	405954
8.	Cropping Intensity	122.2
	Total Area	897136.2

Source: Comprehensive District Agriculture Plan (C-DAP), District Planning Committee Banda (UP)




Fig 3: land use pattern

Land use pattern is largely influenced by the available irrigation facilities, which ultimately affect the economy of the area. Irrigation facilitates the intensive use of land resources and results in the increase of Gross Cropped Area and also improves the intensity.

Cropping Pattern

The three main cropping seasons in the district are Kharif, Rabi and Zaid. The other crops raised in the district include Wheat, Paddy, Maize, Pulses and Oilseeds. Main fruits grown are Mango and Guava. The production and productivity of the major crops in the district are summarized below in Table:

Table 11: Cropping pattern of Banda

S.No.	Crop	Area(ha)
-------	------	----------

1.	Arhar	17481
2.	Urd	4748
3.	Maize	17
4.	Mung	2033
5.	Groundnut	1298
6.	Jowar	26677
7.	Paddy	57836
8.	Seseme	170
9.	Bajra	2005
10.	Soybean	208
11.	Lentil	47250
12.	Gram	104656
13.	Wheat	127107
14.	Barley	1222
15.	Potato	53
16.	Onion	79
17.	Pea	1807
18.	Musturd	2165
19.	Linseed	2165

Source: Comprehensive - District Agriculture Plan (C-DAP), District Planning Committee Banda (UP)




Fig 4: Cropping Pattern of Banda District

Geology

The district forms part of the northern fringe of the Peninsular India coming in contact with the Gangetic alluvium. It has an important place in the geology of the country owing to the presence of all Pre Cambrian rocks, probably right from the oldest ones in the Indian sub- continent, in a compact linear east-west stretch.

During the last few years the geological survey of India have carried out regional geological mapping of most of the area, mineral appraisal by detailed mapping, geophysical and geochemical investigations where necessary for pyrophyllite, clays and base metal.

Mineral wealth

As per geological and mineral atlas of India sheet no 14, miscellaneous bulletin no-30 and mineral resource map of district the area contained alluvial loam along with some percentage of sand upto a deep layer. Mineral wealth of the district has great significance in terms of socio-economic prosperity and economic base.

Soil

In Banda district, loose sediments as well as black cotton soil is found. Black cotton soil is prominent in the central part. Four major type of soil a) Rakar, b) Mar, c) Kabar and d) Padua are dominant in the district. The classification of soil of the district is given below.

- (a) A variety of Rakar in Banda district has stones of various sizes. Apart from the red and black soils, some varieties of loamy, alluvial soils are found along river banks. Among these, the Rakar variety is stony and found on sloping surfaces of ravine land. It is a highly degraded kind of coarse soil. However, where irrigation is available, the soil is suitable for cultivation of Jowar, Til and Bajra.
- (b) The second variety of black soil, called Mar, what is generally called black cotton soil. It has high clay content and is prone to waterlogging. The soil has relatively high organic matter content, and hence can be cropped without use of fertilisers.
- (c) The Kabar, resembles black cotton soils of central India. Its colour varies from dark black to grey black and brownish black. It has high clay content, hence it is highly adhesive, retains moisture, and quickly turns dry and into hard blocks.

- (d) A yellowish, light-coloured variety of red soil, called Padua, is sandy and has some clay content. It is well aerated and easily accepts water. Padua soil is found across UP, Banda and is suited for cultivation of wheat.

Mineralogy of soil in Banda

The district forms part of the vast Indo-Gangetic alluvial tract. The origin of the Indo-Gangetic tract as a whole is now attributed to sag in the earth's crust, formed in the upper Eocene times, between the Gondwana land and the raising Himalayan belt. The loamy, alluvial soils, locally known as Rakar, forms slightly elevated terraces, usually above the flood level. The newer alluvia, locally called khaddar, are contained to the lowland tracts.

Description of Rivers

The main rivers running through the district are Yamuna, Ken, Baghain and Ranj River. A brief account is given below.

Yamuna River

The Yamuna River is one of the important and sacred rivers of India. It is the largest tributary of the River Ganga. It originates from Yamunotri glacier in the Mussoorie range of the lower Himalayas, and after traversing 1,376 km joins the river Ganga at Allahabad. The drainage area of the Yamuna basin is 366,220 sq km, which comprises part of seven states, viz. Uttarakhand, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, Delhi, Rajasthan and Madhya Pradesh. The Yamuna River has four main tributaries in the Himalayan region: Rishi Ganga, Hanuman Ganga, Tons, and Giri. In the plains, the main tributaries are the Hindon, Chambal, Sind, Betwa and Ken. The river water is generally used for irrigation, drinking and

industries as well as for mass bathing, laundry, cattle bathing, and secretion of the cremation ash. The construction of diversion structures at regular intervals (Hathinikund, Wazirabad, Okhla, Gokul, etc.) for irrigation, domestic and industrial water supply, has largely modified the flow regime of the river. The inflow of wastewater either treated or partially treated in the river further aggravates the water quality problem of the river. Though the green revolution was important for food security, but lack of regulation in the groundwater abstraction has led to ground water table depletion causes damage in causal linkage between surface and ground water, resulting change in surface water dynamics during the lean season of the river. This is the main reason of dry river segments observed between Hathinikund and Palla (Delhi).

Ken River

The Ken River is one of the major rivers of the Bundelkhand region of central India, and flows through two states, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. It is a tributary of the Yamuna. The Ken River originates near village Ahirgawan on the north-west slopes of Barner Range in Jabalpur district and travels a distance of 427 km, before merging with the Yamuna at Chilla village, district Banda in Uttar Pradesh at 25°46'N 80°31'E.

Ken has an overall drainage basin of 28,058 km², out of which 12,620 km² belong to Sonar River its largest tributary, whose entire basin lies in Madhya Pradesh, and along its 427 kilometres (265 mi) course it receives water from its own tributaries such as Bawas, Dewar, Kaith and Baira on the left bank, and Kopra and Bearma of the right. Out of its total length of 427 kilometres (265 mi) it flows for 292 kilometres (181 mi) in Madhya Pradesh, 84 kilometres (52 mi) in Uttar Pradesh, and 51 kilometres (32 mi) forms the boundary between the two states.

Baghain River- is the second important river of this district. Emanating from a hill near Kohari of Panna district, it enters Banda district at Masauni Bharatpur village (the Naraini). It flows north-east-ward and at a point separates Banda from the newly created Chitrakut district forming boundaries between Atarra, Baberu and Karrwitahtsils. Continuing north-east it joins Yamuna near Bilas village. It being most capricious in its action, deposit is quantities of sand or Kankar shingles, but near its junction with Yamuna it tends to flood a large area of low lying land, if the stream in the Yamuna is sufficient to block its outlet. It is perennial rivers.

Ranj River Stream joins the River Baghain at Gurha kalan. River originates at Udesna in Panna. It flows north into flood plain. The river has cataract of bedhak literally meaning "down-rushing", "rapids", "floodgate" or "waterfall". Here river is shallow and river bed is exposed.

Other rivers of Banda

Banganga River The stream joins the River Baghain near Badausa




Fig 7: District Banda (part of Yamuna lower Sub Basin)

Table 12: Catchments Details of Yamuna River

S.No.	State	Area (sq km) in Yamuna River
1.	Uttar Pradesh and Utrakhand	74,208
2.	Himanchal Pradesh	5,799
3.	Haryana	21,265
4.	Rajasthan	102,883
5.	Madhya Pradesh	14,023
6.	Delhi	1,485

Table 13: Catchments Details of Ken River

S.No.	State	Area (sq km) in Ken River
1.	Madhya Pradesh	12,620
2.	Uttar Pradesh	15,438

Table 14: Catchments Details of Baghain River

S.No.	State	Area (Sq km) in Baghain River
1.	Madhya Pradesh	1504
2.	Uttar Pradesh	2104

Process of deposition

Sediment transport is critical to understanding how rivers work because it is the set of processes that mediates between the flowing water and the channel

boundary. Erosion involves removal and transport of sediment (mainly from the boundary) and deposition involves the transport and placement of sediment on the boundary. Erosion and deposition are what form the channel of any alluvial river as well as the floodplain through which it moves. The amount and size of sediment moving through a river channel are determined by three fundamental controls: competence, capacity and sediment supply. Competence refers to the largest size (diameter) of sediment particle or grain that the flow is capable of moving; it is a hydraulic limitation. If a river is sluggish and moving very slowly it simply may not have the power to mobilize and transport sediment of a given size even though such sediment is available to transport. So a river may be competent or incompetent with respect to a given grain size. If it is incompetent it will not transport sediment of the given size. If it is competent it may transport sediment of that size if such sediment is available (that is, the river is not supply-limited). Capacity refers to the maximum amount of sediment of a given size that a stream can transport in traction as bedload. Given a supply of sediment, capacity depends on channel gradient, discharge and the calibre of the load (the presence of fines may increase fluid density and increase capacity; the presence of large particles may obstruct the flow and reduce capacity). Capacity transport is the competence-limited sediment transport (mass per unit time) predicted by all sediment-transport equations, examples of which we will examine below. Capacity transport only occurs when sediment supply is abundant (non-limiting). Sediment supply refers to




Fig 8: Standard Sand Mining Operation

the amount and size of sediment available for sediment transport. Capacity transport for a given grain size is only achieved if the supply of that calibre of sediment is not limiting (that is, the maximum amount of sediment a stream is capable of transporting is actually available). Because of these two different potential constraints (hydraulics and sediment supply) distinction is often made between supply-limited and capacity-limited transport.




Fig.9: Floodplain Excavation Pit Geometry for Streamlined Floodplain

Most rivers probably function in a sediment-supply limited condition although we often assume that this is not the case. Much of the material supplied to a stream is so fine (silt and clay) that provided it can be carried in suspension, almost any flow will transport it. Although there must be an upper limit to the capacity of the stream to transport such fines, it is probably never reached in natural channels and the amount moved is limited by supply. In contrast, transport of coarser material (say, coarser than fine sand) is largely capacity limited.

Modes of Sediment Transport

The sediment load of a river is transported in various ways although these distinctions are to some extent arbitrary and not always very practical in the sense that not all of the components can be separated in practice:

1. Dissolved load
2. Suspended load
3. Intermittent suspension (saltation) load
4. Wash load
5. Bed load

Sediment Transport in Rivers

The loose boundary (consisting of movable material) of an alluvial channel deforms under the action of flowing water and the deformed bed with its changing roughness (bed forms) interacts with the flow. A dynamic equilibrium state of the boundary may be expected when a steady and uniform flow has developed (Nalluri & Featherstone, 2001). The resulting movement of the bed material (sediment) in the direction of flow is called sediment transport and a critical bed

shear stress (τ) must be exceeded to start the particle movement. Such a critical shear stress is referred as incipient (threshold) motion condition, below which the particles will be at rest and the flow is similar to that on a rigid boundary.

Sediment Influx Rate

Sediment influx in Ephemeral streams is generally confined to the beginning of the rainy season as velocity of the water washes down medium to fine sand and silt depending on the velocity and gradient of land. Cobbles, pebbles and boulders will be transported buy only over short distance. Boulders are normally 256 mm and above are normally transported either by dragging action or by saltation.




Fig.10: Sediment Transport in river

Recharge is in two forms, one general deposition of coarse, medium and fine sand when the velocity of the river water decreases below the carrying capacity. However, flash floods due to heavy rains in the upper reaches often causes rapid transportation of boulder, sand etc., along with silt which can never deposit

Recharge Rate: It is dependent upon the following 4 factors

1. Velocity of the water and change of velocity
2. Size of particles
3. Temporary increase in density of carrying media due to presence of silt load.
4. Artificial or natural barriers being encountered within the river course, where due to the sudden check in velocity, materials are deposited.

The numerical sedimentation rate varies from 50cm medium sand to as much as 3m of medium and fine sand where the slope of the river bed is less than 10^0 slope per season. For silt and clay, these only be deposited in the flood area and normally varies between 1-5m over 6 months period.




Fig11:Flow chart for volume estimation

Estimation of Sedimentation

The sedimentation rate in India is estimated using empirical formula, actual observed data and reservoir sedimentation survey. The recommended BIS (12182-1987) method has been widely used for reservoir planning. In addition the sediment data is also collected by the state governments on river systems in their respective territories. Thus there is enough data to estimate both the average annual sediment yield and also the distribution of annual sediment yields. There are also situations where the gauging stations provide nested systems of catchments. In these situations data can be used to identify the contribution to the total sediment yield from individual sub-catchments. Though this data is extremely useful and is recommended to be fully used for estimation of sediment rate, the data need to be interpreted with care. The sediment measurements are, in general, based on bottle sample taken from near the water surface. In general, the suspended sediment concentration varies with depth, with the sediment concentration being greatest at

the lower levels. This means that the measurement may under estimate the suspended sediment concentrations. The data provides an excellent resource for estimating sediment yield directly. The sediment yield depends on catchment area, the average catchment slope, the lithology of the catchment, the land use, the drainage density, the annual/seasonal precipitation and storm events etc. There are a number of empirical methods developed in USA and still used worldwide to assess sediment erosion like the Universal Soil Loss Equation (USLE), Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE) and Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). Some work has been done in India and certain empirical relations have been developed linking annual sediment yield with some of these parameters (CWC, 2010).

Estimation of sediment yield from the catchment area above the reservoir is usually made using river sediment observation data or more commonly from the experience of sedimentation of existing reservoirs with similar characteristics. On adopting the first procedure, it is usually necessary (though often not complied within practice) to evolve proper sediment water discharge rating curve and combine it with flow duration (or stage duration curve) based on uniformly spaced daily or shorter time units in case of smaller river basins. Where observed stage/flow data is available for only shorter periods, these have to be suitably extended with the help of longer data on rainfall to eliminate, as far as possible, the sampling errors due to shortness of records. The sediment discharge rating curves may also be prepared from hydraulic considerations using sediment load formulae, that is, modified Einstein's procedure but this has not yet become popular. It is also necessary to account for the bed load which may not have been measured. While bed load measurement is preferable when it is not possible, it is often estimated as a percentage generally ranging from 5 to 20 percent of the suspended load.

However, practical means of measuring bed load of sediment needs to be undertaken particularly in cases where high bed loads are anticipated. To assess the volume of sediment that would deposit in the reservoir, it is further necessary to make estimates of average trap efficiency for the reservoir in question and the likely unit weight of sediment deposits, time averaged over the period selected. The trap efficiency would depend mainly on the capacity fallow ratio but would also vary with location of controlling outlets and reservoir operating procedures. The density of deposited sediment would vary with the composition of the deposits, the location of the deposit within the reservoir, the flocculation characteristics of clay and water and the age of the deposit. For coarse material (0.0625 mm and above), variation of density with location and age may be unimportant but for silt and clay, this may be significant. Normally, a time and space average density of these fractions, applicable for the period under study is required for finding the overall volume of deposits. For this purpose, the trapped sediment for the period under study would have to be classified in fractions by corrections in inflow estimates of the fractions by trap efficiency. Most of the sediment removed from the reservoir should be from the silt and clay fraction. In some special cases, local estimates of densities at a point in the reservoir may be required instead of average density over the reservoir. Estimates of annual sediment yield/sedimentation rate assessed from past data are further required to be suitably interpreted and wherever necessary, the unit rates which would apply to the future period are computed by analysing data for trends or by making subjective adjustments for the likely future changes. Where the contributing drainage area is likely to be reduced by upstream future storages, only such of the projects as are under construction or which have the same priority of being taken up and completed as the project in question are considered for assessing the total

sediment yield. Sediment observation data (see IS:1800-1968*) is necessary if the yield is being assessed from hydrometric data. If observational methods are inadequate, the possibility of large errors should be considered. For drawing conclusions from reservoir re-surveys, it is important that reduction of at least 10 percent or more has been observed in the capacities of the two successive surveys; if this is not done, inaccuracies in the successive surveys will distort the estimation of the capacity reduction between the surveys. If the loss of capacity is small, useful conclusions may not be forthcoming, and in such cases, river sediment measurements with its large observational errors may still provide a better estimate. It is essential to make a proper assessment of sediment yield for reservoir under study taking relevant factors into account (BIS:12182-1987).

A proper assessment of the effects of sediment transport and of the measures that may be necessary for its control requires knowledge of the processes of sediment erosion, transportation, and deposition, and of their interaction with the hydrological processes in the catchment.

Erosion of catchments

The most significant agent for eroding sediments from land is running water. Other agents of land erosion include wind, and gravity. The processes by which water degrades the soil are complicated and depend upon the rainfall properties, soil properties, land slope, vegetation, agricultural methods, and urbanization process. The last two factors account for the most important effects of man's activities on erosion. Empirical equations have been developed for the determination of soil loss (sheet erosion) from agricultural lands. One of them, developed by Musgrave for conditions prevailing in the United States, is given as

$$E = IRS^{1.35} L^{0.35} p^{1.75}$$

Where,

E is the mean annual soil loss, in millimetres

I is the inherent erodibility of the soil, in millimetres

R is a land-cover factor

S is the land slope, in per cent

L is the length of the slope in metres, and

P is the 30-minute, two-year rainfall depth, in millimetres.

The values of the parameters I and R, are determined empirically from regional studies.

Channel erosion

Channel erosion is caused by the forces of the concentrated flow of water. Its rate depends on the hydraulic characteristics of channel flow and on the inherent erodibility of channel materials. In non-cohesive materials, the resistance to erosion is affected by the size, shape, and specific gravity of the particles and by the slope of the bed. In cohesive materials it also depends on the bonding agents. The relationships between the hydraulic variables and the parameters influencing the erodibility of channels are not fully understood and are often expressed by empirical formulae. Stream and river-control works may have a serious local influence on accelerating channel erosion if they cause an increase in channel depth, flow velocity, change the direction of the flow, or reduce the natural sediment load. The latter effect occurs frequently below dams and may persist for many kilometres downstream. Bare land and badlands may develop gullies with rates of advance that can be computed by empirical formulae containing such parameters as the drainage area of the gully, slope of the approach channel, depth of rainfall, and clay content of the eroding soil.

Transportation of sediments in channels

Fine (suspended) sediments transported in rivers originate mainly from the topsoil of the catchment and from the banks of the channels. However, fine sediments also originate from sewage and other return flows for example such sediments comprise about one third of the suspended-sediment load in the lower Rhine river. A large portion of the transported material comes to rest on flood plains, especially upstream from hydraulic structures. The settled material undergoes compaction and other physical and chemical changes that can sometimes prevent its re-erosion by flows that would have carried it previously. A decrease is usually found in the mean annual sediment transported per unit area of the catchment as the area of the catchment increases. The concentration of suspended sediment in runoff is described by various formulae such as

$$\log cs = C \log Q + B$$

in which

cs is the concentration expressed in weight per unit volume of water,

Q is the water discharge,

C is a dimensionless coefficient, and

B is a function of the rainfall depth of the antecedent discharge or of other meteorological and hydrological variables.

The concentration of suspended sediment varies within the channel cross-section. It is relatively high in the lower portion and may also be non-uniform laterally. So that its sampling at several points or along several verticals of the cross-section is often necessary for obtaining its mean. The mean concentration should be evaluated to yield the total sediment weight per unit time when multiplied by the water discharge. The graph of suspended sediment against time usually has a peak that does not occur simultaneously with the peak discharge. This lag is a result of

the specific conditions in a watershed, and no generalization has yet been formulated for the evaluation of this difference.

Bed-load transport

Coarse sediments (bed load) move by sliding, rolling, and bouncing along channels and are concentrated at or near the channel bed. The variables that govern transport are the size and shape of the particles and the hydraulic properties of the flow. As a consequence of the interaction between the hydraulic forces and the coarse sediment, the channel bed assumes different configurations known as plane, ripples, dunes, flat, standing waves, and antidunes. They exert resistance to the flow of water that varies within a wide range and assumes a maximum value for the dune configuration.

Sedimentation

When approaching its mouth, the flow velocity of a river decreases along with its ability to carry sediment. Coarse sediments deposit first, then interfere with the channel conveyance, and may cause additional river meanders and distributaries. The area of the flowing water expands, the depth decreases, the velocity is reduced, and eventually even fine sediments begin to deposit. As a result, deltas may be formed in the upper portion of reservoirs. The deposited material may later be moved to deeper portions of the reservoir by hydraulic processes within the water body. Sediments are deposited in accordance with their settling velocity. A significant concentration of suspended sediments may remain in the water column for several days after its arrival in a reservoir. This may interfere with the use of the stored water for certain purposes, e.g. for water supply or recreation. It should be emphasized that not all of the sediment deposits in a reservoir. A large portion of it remains in the upper zones of the watershed, some is deposited upstream from reservoirs, and some is carried downstream by the released water. The sediment-

trapping efficiency in a reservoir depends upon the hydraulic properties of the reservoir, the nature of the sediment, and the hydraulic properties of the outlet. The density of newly deposited sediment is relatively low but increases with time. The organic component in the sediment may undergo changes that may reduce its volume and enhance biochemical processes in the stored water (WMO, 1994).

Method of Mining

- a) Extracting gravel from an excavation that does not penetrate the water table and is located away from an active stream channel should cause little or no change to the natural hydrologic processes unless the stream captures the pit during periods of flooding. The exception is that changes in evapotranspiration, recharge, and runoff may create minor changes to the ground-water system, which may in turn affect stream flow.
- b) Limiting extraction of material in floodplains to an elevation above the water table generally disturbs more surface area than allowing extraction of material below the water table.
- c) In-stream extraction of gravel from below the water level of a stream generally causes more changes to the natural hydrologic processes than limiting extraction to a reference point above the water level.




Fig 12: Aggregate extraction can take place in a number of in-stream and near-stream environments

d) In-stream extraction of gravel below the deepest part of the channel (the thalweg) generally causes more changes to the natural hydrologic processes than limiting extraction to a reference point above the thalweg.

e) Excavating sand and gravel from a small straight channel with a narrow floodplain generally will have a greater impact on the natural hydrologic processes than excavations on a braided channel with a wide floodplain.

f) Extracting sand and gravel from a large river or stream will generally create less impact than extracting the same amount of material from a smaller river or stream.

Annual rainfall

The climate is sub-humid and it is characterized by a hot dry summer and a bracing cold season. The average normal rainfall is 902.00 mm. About 80% of rainfall takes place from June to September. During monsoon surplus water is available for deep percolation to ground water. According to the meteorological observatory at Banda, January is the coldest month with minimum temperature in order of 5.8°C . May and early June 7 from the hottest period of the year. The mean monthly maximum temperature is 47°C and mean monthly minimum temperature is 19.7°C . During March to May the air is least humid with relative humidity high in the morning and less in the evening mean. Monthly morning relative humidity is 85% and mean monthly evening relative humidity is 57%. During monsoon season the winds blow predominantly from east or southeast. (Source: Meteorological Department, Government of India, 2010.)

Table 15: Annual Rainfall of Banda district

YEAR	Jan	Feb	March	April	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Annual Total
2012	32	40.4	1.9	62	0.1	132	338	218.1	165	0	0.4	0	785.3
2013	0	78.8	2.7	1.2	0	410.8	331.1	306.6	35.9	0	2.9	1.7	1171.7

2104	84.9	33.9	48.2	0.1	0.9	54.4	104.4	157.9	82.5	0	13.2	14.2	594.6
2015	39.8	24.5	100.8	18	0.6	82.8	207.2	117.6	69.3	1.6	1.9	6.2	670.3
2016	11.1	7.9	6.3	0	30.2	71.4	583.5	452.2	56.9	0	0	0	1219.5




Figure 13: Annual Rainfall Pattern

Overview of mining activity in the district

Sand

Table 16 : Reserve estimation of sand on the banks of Yamuna river

Total stretch of Yamuna river area flowing through district Banda, U.P	Potential area for mining	Geological reserve of the District as per SSMMG-2016	Mineable reserve of the District	Mineable potential of the District as per SSMMG-2016	Total area of Mining Lease in Banda, U.P
124.70 km	2075 ha	830 lakhs cum	622.50* lakhs cum	373.50 lakhs cum	535 ha

The total potential area of Yamuna River is approximately 2075 ha. Area of existing / proposed mining lease area is 535 ha so the rest of the area needs to be explored. Additional areas may be further assessed on the basis of various ecological, environmental, social and political considerations. It can be further studied as potential area for mining & revenue generation.

Table 17 : Reserve estimation of sand on the banks of Ken river

Total stretch of Ken river area flowing through district Banda, U.P	Potential area for mining	Geological reserve of the District as per SSMMG-2016	Mineable reserve of the District	Mineable potential of the District as per SSMMG-2016	Total area of Mining Lease in Banda, U.P
143.84 Km	5227 ha	2090 lakhs cum	1568.10* lakhs cum	940.86 lakhs cum	2957.516ha

The total potential area of Ken River is approximately 5227 ha. Area of existing/proposed mining lease area is 2927.516 ha so the rest of the area needs to be explored. Additional areas may be further assessed on the basis of various

ecological, environmental, social and political considerations. It can be further studied as potential area for mining & revenue generation.

Table 18 : Reserve estimation of sand on the banks of Bagein river

Total stretch of Bagein river area flowing through district Banda, U.P	Potential area for mining	Geological reserve of the District as per SSMMG-2016	Mineable reserve of the District	Mineable potential of the District as per SSMMG-2016	Total area of Mining Lease in Banda, U.P
32 Km	3820 ha	1582 lakhs cum	1146 * lakhs cum	687.60 lakhs cum	556.15 ha

The total potential area of Bagen River is approximately 3820 ha. Area of existing / proposed mining lease area is 538.22 ha, so the rest of the area needs to be explored. Additional areas may be further assessed on the basis of various ecological, environmental, social and political considerations. It can be further studied as potential area for mining & revenue generation.

Table 19 : Reserve estimation of sand on the banks of Ranj river

Total stretch of Ranj river area flowing through district Banda, U.P	Potential area for mining	Geological reserve of the District as per SSMMG-2016	Mineable reserve of the District	Mineable potential of the District as per SSMMG-2016	Total area of Mining Lease in Banda, U.P
15 km	1320 ha	528 lakhs cum	396 * lakhs cum	237.60 lakhs cum	32.38 ha

The total potential area of Ranj River is approximately 1320 ha. Area of existing / proposed mining lease area is 32.38 ha so the rest of the area needs to be explored. Additional areas may be further assessed on the basis of various ecological, environmental, social and political considerations. It can be further studied as potential area for mining & revenue generation.

* The volume calculated are as reserve up to 3m depth as suggested in Standard Environmental Conditions for Sand Mining in SUSTAINABLE SAND MINING MANAGEMENT GUIDELINES – 2016, issued by MoEF & CC, GOI, Delhi. The mineable volume will be finalized based on the Mine Plan and Environmental Clearance and may vary by 10% to 20% considering the concept of safety and stability of Riverbanks & site situation. And this will form the basis of Final Royalty.

Table 20: Detail Of Production of Sand / Bajri or Minor Mineral In Last Three Years In District Banda

Sr No.	Year	Production Ordinary sand (in Cum)
1.	2014-2015	11,36,260
2.	2015-2016	6,69,070
3.	2016-2017	61,250

Table 21: Details Of Royalty Or Revenue Received In Last Three Years

Sr No.	Year	Royalty Received
1.	2014-2015	8,52,19,505.00

2.	2015-16	6,86,03,604.00
3.	2016-17	62,05,350.00

Table 22: List of Mining Quarries In The District With Location, Area.

S. No.	River	Tehsil	Village	Gata No./Khand No.	Area (in Ha)
1	2	3	4	5	6
1.	Ken	Banda	Bhurendi	Part of 141, 1137, 1136, 1123/2, 1125, 1127, 1131, 1132	37.00
2.	Ken	Banda	Durendi	678, 680kha, 681kha, 682, 677ka, 683kha, 676	24.00
3.	Ken	Banda	Durendi	4943, 4942, 4941, 4939GA, 4938, 4937, 4922ka, 4923ka, 4925ka, 4931, 4959Ga 4958, 4957, 4955, 4883	40.00
4.	Ken	Banda	Durendi	4881, 4880, 4834, 4824kha	27.00
5.	Ken	Banda	Durendi	5029, 5030ka, 5093ka, 5094 ka, 5097	20.00
6.	Ken	Banda	Hatetipurwa (khand no.1)	Part of 3061	10.00
7.	Ken	Banda	Hatetipurwa (khand no.2)	Part of 3061	9.00
8.	Ken	Banda	Kanwara	28/1, 28/5, 28/6, 28/7, 29, 53, 133/1, 133/6, 337/1, 337/4, 337/5, 337/6, 430, 431/1, 463, 469, 471, 478/1, 479, 489, 490, 491, 492, 515, 516/2, 517/1, 518, 519, 520, 521,	195.75

				522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 545, 549, 543, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 581/2, 619, 620, 621, 622	
9.	Ken	Banda	Achhrore	1130 kha	56.14
10.	Ken	Banda	Pathri khaddar	61/mi, 64/2mi, 72/47, 73, 74/1, 75mi, 77/1	71.32
11.	Ken	Banda	Marauli	41/2, 111, 112, 332/17, 333/7, 362/1, 387/3, 390sa, 418, 412, 413, 414, 406, 407, 408, 421mi, 423, 424, 426/30, 431/333/1	152.02
12.	Yamuna	Banda	Benda khaddar	Gata No. 2/4, 2/23, 2/24, 2/28	117.82
13.	Ken	Banda	Ladapurwa	5065, 5114 / 1, 5115 to 5126, 5128 to 5132, 5134, 5135, 5136, 5152	29.20
14.	Ken	Banda	Bhawanipurwa	5137, 5138, 5139, 5140, 5141	4.00
15.	Ken	Banda	Gancha	Gata No. 1971, 03	24.27
16.	Ken	Banda	Marauli	Gata No. 332, 333, 336, 337	66.16
17.	Ken	Naraini	Kolawal Raipur	04	20.00
18.	Ken	Naraini	Kolawal Raipur	721, 722, 723	20.00
19.	Ken	Naraini	Nihalpur Syoda	492/13	32.00
20.	Ken	Naraini	Risaura	116 Ga	18.00
21.	Ken	Naraini	Lahureta	Part of 195/1	33.00
22.	Ken	Naraini	Lahureta	Part of 195/1, 191, 3	33.00
23.	Ken	Naraini	Bilharkha	Part of 5, Part of 9	25.00

24.	Ken	Naraini	Bilharkha	Part of 5, Part of 9	25.00
25.	Ken	Naraini	Gaurshivpur	2, 8/4, 33/2, 40, 35, 42, 60, 51, 53, 54, 57, 62	27.99
26.	Ken	Naraini	Naseni	Gata No. 01	11.99
27.	Ken	Naraini	Barsdamanpur	Gata No. 3/1/1 2x21	43.40
28.	Ken	Naraini	Nihalpur	Gata No. 459, 462/4, 483BA 472/50	12.55
29.	Ken	Naraini	Jarar	Gata No. 851, 866, 867, 869, 872, 876	8.31
30.	Baghain	Naraini	Pathra	450, 472/2, 473, 475, 971, 1003, 1005, 1078, 1081, 1192	10.45
31.	Baghain	Naraini	Bhasraud	Gata No. 03	36.61
32.	Baghain	Naraini	Naugawa	Gata No. 2, 3, 5kha, 99, 215, 218, 219, 290kha, 601, 651Ga, 685	24.09
33.	Baghain	Naraini	Rampurmurdi	Gata No. 518, 519/1	4.21
34.	Baghain	Naraini	Sighauti	Gata No. 13/1, 13/3, 30/2, 357/2, 400/2	4.47
35.	Baghain	Naraini	Sada	Gata No. 1283, 1295, 1300, 1371ga, 1407, 1515, 1784kha, 1867, 1870kha, 1873, 1935, 2014, 2111, 2127, 2477, 5493, 5494, 5606, 5607, 5609, 5637, 1359kha, 1372	26.79
36.	Ranj	Naraini	Shahpatan	420, 530/2, 532, 616, 617, 709, 716, 802	11.16
37.	Ranj	Naraini	Khalari	585/1, 857, 859/1, 914, 954, 955/2, 1248/2, 1264, 1336/1, 1348, 1351, 1353/2	8.90
38.	Ranj	Naraini	Barkola	Gata No. 659, 724, 805	17.90

39.	Ranj	Naraini	Chandpura	Gata No. 269, 287, 313, 326, 329, 360, 366	2.96
40.	Ranj	Naraini	Pukari, Pancheपुर	504/1, 507, 545kha, 1397, 1399, 558, 671kha	7.26
41.	Ranj	Naraini	Gopra	Gata No. 2/1, 21/2, 443mi, 473mi, 474, 498, 501, 511, 592, 635/1, 659, 1032, 1033, 1045	6.80
42.	Ranj	Naraini	Katra Kalinjar	Gata No. 283, 285, 1461, 1442, 1444, 1621	6.41
43.	Baghain	Atarra	Badausa	6261, 6262, 6478, 6497, 6595, 6597, 6598	10.00
44.	Baghain	Atarra	Bhadawal	1169, 1858/3, 1133/4, 1161/3, 1949	22.94
45.	Baghain	Atarra	Kullu kheda	8117	11.04
46.	Baghain	Atarra	Chandaur	2494	11.34
47.	Baghain	Atarra	Lamehta	1039	7.69
48.	Baghain	Atarra	Pahari khurd	134, 263/2	3.23
49.	Baghain	Atarra	pouhar	987, 1037, 1039, 1045, 1046, 1047, 1143, 1176, 2545	11.68
50.	Baghain	Attara	Tera	Gata No.1749kha, 1766, 2421	9.34
51.	Baghain	Attara	Mahuta	Gata No. 876kha, 886ka, 1482, 1505, 2031, 2039, 2047, 2247, 2270, 2521, 2522, 2538, 2548kha, 2577, 2599, 2676	21.06
52.	Baghain	Attara	Dubariya	819, 485, 486, 1557, 1486, 1560, 1722, 8623/1, 8623/2, 8634, 8635, 8614, 8623, 8632, 8633, 9799, 9797, 9796, 9814, 9420, 9412, 9433, 9463, 9452,	43.50

				9349, 9340, 9244, 9294, 2412, 322, 9157, 9317, 9302, 9305,	
53.	Baghain	Attara	Bhusasi	Gata No. 8330, 8431/1, 8515	12.94
54.	Baghain	Attara	Tarsuma	2/2, 3	3.11
55.	Baghain	Attara	Udaypur	6447/1, 6448/2, 6473/1, 6479/1, 6480, 6596	15.73
56.	Baghain	Attara	Barcha	144, 6910,	0.60
57.	Baghain	Attara	Singhpurmafi	3642/2, 3780/1, 3780/7, 3854, 3949/2, 6071/1, 6082GA, 6387/2, 3948kha,	7.75
58.	Yamuna	Baberu	Markakhader	part of 96	20.00
59.	Yamuna	Baberu	Markakhader	part of 96	20.00
60.	Yamuna	Baberu	Markakhader	part of 96	20.00
61.	Yamuna	Baberu	Markakhader	part of 96	20.00
62.	Yamuna	Baberu	Raghaupur	Gata No. 2, 3, 4, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28./1, 28/2, 28/3, 29/1, 30/2, 30/2, 31, 32, 33/2, 34, 35, 37, 38, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 100/7kha	74.97
63.	Baghain	Baberu	Lohara	4185Cha, 4388, 4463, 4470, 4471, 4472, 4473, 2776, 2709, 4590	17.00
64.	Baghain	Baberu	Mamsikhurd	3048, 3049, 3199kha	4.26
65.	Baghain	Baberu	Itwa	3257, 3276mi, 3278, 3496, 3505mi, 3521, 3645, 3647,	14.66

				3854, 6456/3676	
66.	Baghain	Baberu	Dandokhadar	38/1, 39, 40, 41, 42mi	85.93
67.	Ken	Pailani	Khaptiha kala	61/3, 62, 63/1	39.74
68.	Ken	Pailani	Sindhan kala	99/3, 99/22, 100/7, 101/5, 103/10, 104/2, 104/5	18.21
69.	Ken	Pailani	Sadikhader	Part of 176, 179, 180, 177, Part of 147, Part of 144, Part of 141 143, 145, 146, 142, 122, 121, Part of 114, Part of 117	46.00
70.	Ken	Pailani	Amlorkhader	176Mi, 172Ga, 182, 187	25.29
71.	Ken	Pailani	Amlorkhader	7, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 177, 176Mi	25.29
72.	Ken	Pailani	Sindhankala	683	10.00
73.	Ken	Pailani	Barehta	2/3, 3, 4, 5, 6/5, 7/4, 8/3, 10/4, 11/2, 12/3, 51, 52, 53, 54, 55, 57/2, 69/7, 82/2, 111/2, 111/3, 121/3, 123, 126/2, 130/6, 131, 132	13.83
74.	Ken	Pailani	Sadikhadar	89, 101, 102, 115, 118, 119, 120, 77, 73	27.06
75.	Ken	Pailani	Sadikhadar	60, 4	33.45
76.	Ken	Pailani	Madoulikhadar	58, 107, 108, 109, 110, 111, 114	7.05
77.	Ken	Pailani	Khaptiha kala	69/1, 91, 96, 98, 426/7, 468, 503, 507, 508, 509, 510	18.88
78.	Ken	Pailani	Khaptiha kala	100, 356	98.66
79.	Ken	Pailani	Khaptiha kala	455	23.13
80.	Ken	Pailani	Padohrakhadar	125, 126, 131, 163, 165, 166, 174, 180	16.49
81.	Ken	Pailani	Khairai	Gata No. 2/1, 2/2, 2/4	5.80

82.	Ken	Pailani	Sadikhadar	Gata No. 4/1, 4/21, 4/22, 4/24, 4/25, 4/26, 4/29, 4/32, 4/33, 4/34, 4/35, 4/36, 60/2, 60/4, 60/6, 77/1, 77/7, 73/1, 73/2, 85/1, 89	58.86
83.	Ken	Pailani	Nari khadar	Gata No. 41/6kha, 44, 200ka, 224/47	5.84
84.	Ken	Pailani	Pailani	Gata No. 21/21, 33/14, 47/9, 48, 49/2, 50, 51/2, 52/2, 53/2, 54/2, 55/4, 56/2, 57, 58/27, 59, 61, 62/6, 76/19, 94/24, 123/4, 124kha, 160/7, 166/2, 168/3, 171/2, 172/2, 173/2, 174/14, 175/5, 236, 237, 238/7, 237/19, 238/19, 263/7, 364kha, 386/11, 420/4, 519/21, 683, 684, 688, 689, 693, 694, 696, 697, 700, 706/10	67.59
85.	Ken	Pailani	Shindhankala	684/6, 693/48, 694/697, 684/7, 692/1, 699/3	10.06
86.	Yamuna	Pailani	Sadimadanpur	93/1Ka, 95/2, 96/8, 97, 98	18.60
87.	Yamuna	Pailani	Sadimadanpur	50, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1/3	28.33
88.	Yamuna	Pailani	Sadimadanpur	92/6, 92/7, 94	7.46
89.	Yamuna	Pailani	Sabadakhader	part of 168	10.00
90.	Yamuna	Pailani	Sabadakhader	part of 168	10.00
91.	Yamuna	Pailani	Sabadakhader	part of 168	10.00
92.	Yamuna	Pailani	Sabadakhader	part of 168	10.00
93.	Yamuna	Pailani	Sadimadanpur	50/2, 50/2 kha, 51	42.49

DISCUSSION

Ordinary earth and Sand has become very important minerals for our society due to its many use. Ordinary earth can be used for making brick, filling roads, whereas sand may be used as building sites, brick-making, making glass, sandpapers, reclamations, and etc. The role of sand is very vital with regards to the protection of the coastal environment, It acts as a buffer against strong tidal waves and storm surges by reducing their impacts as they reach the shoreline. Clean sand is indeed a rare commodity on land, but common in sand dunes and beaches. The composition of sand is highly variable, depending on the local rock sources and conditions, but the most common constituent of sand in inland continental settings and non-tropical coastal settings is silica (silicon dioxide, or SiO_2), usually in the form of quartz which because of its chemical inertness and considerable hardness, is the most common mineral resistant to weathering and it has become a very important mineral for the expansion of society. Sand is a naturally occurring granular material composed of finely divided rock and mineral particles. River sand is one of the world's most plentiful resources (perhaps as much 20% of the Earth's crust is sand) and has the ability to replenish itself. River sand is vital for human well being & for sustenance of rivers. Sand mining is a sensitive environmental issue which is taken into the consideration by Geology & Mining Department, Govt. of U.P. and Ministry of Environment & Forest, Climate Change. Govt. of India. Geology & Mining Department, Govt. of U.P. had notified in rule no. 41 of Uttar Pradesh Minor Mineral Concession Rules, 1963 and MoEF&CC in Standard Environmental Condition For Sand Mining, of

SSMMG, 2016 has given minimum distance from the mining lease area are compared and maximum distance permissible from the MLA is given in Table 23.

Table 23: Environmental Sensitivity Analysis of Site

S. No.	Feature	Max. distance	Reference
1.	School	50 m	UPMMCR, 1963
2.	Hospital	50m	UPMMCR, 1963
3.	Road(NH)	100 m	SSMMG, 2016
4.	Road(SH)	50 m	UPMMCR, 1963
5.	MDR	50 m	UPMMCR, 1963
6.	Railway Station	100 m	UPMMCR, 1963
7.	Chak Road	10 m	UPMMCR, 1963
8.	Bridge or embankment	200 m	UPMMCR, 1963
9.	Water supply / Irrigation Scheme	200 m	UPMMCR, 1963

As a resource, sand by definition is 'a loose, incoherent mass of mineral materials and is a product of natural processes.' These processes are the disintegration of rocks and corals under the influence of weathering and abrasion. When sand is freshly formed the particles are usually angular and sharply pointed but they grow gradually smaller and more rounded as they become constantly worn down by the wind or water (ISM Envis, Dhanbad)

The "SUSTAINABLE SAND MINING MANAGEMENT GUIDELINES - 2016" of MoEF&CC envisages to ensure that sand and gravel mining is done in environmentally sustainable and socially responsible manner; availability of adequate quantity of 21 aggregate in sustainable manner; improve the effectiveness

of monitoring of mining and transportation of mined out minerals; conservation of the river equilibrium and its natural environment by protection and restoration of the ecological system; avoid aggradation at the downstream reach especially those with hydraulic structures such as jetties, water intakes, etc.; to ensure the rivers are protected from bank and bed erosion beyond its stable profile; no obstruction to the river flow, water transport and restoring the riparian rights and in-stream habitats; to avoid pollution of river water leading to water quality deterioration; to prevent depletion of ground water reserves due to excessive draining out of ground water; and streamlining the process for grant of environmental clearance for sustainable mining. The MoEF&CC has also issued notifications SO No. 141(E) dated 15.01.2016 and SO No. 190(E) dated 20.01.2016 under Environment (Protection) Act, 1986 on mining of minor minerals and constitution of District Level Environment Impact Assessment Authority and District Level Environmental Appraisal Committee. These notifications have delegated the power to grant environmental clearance for sand mining to an Authority headed by the District Magistrate. These notifications promote use of satellite imagery to decide the site suitable for mining and quantity of sand which can be mined. The MoEF&CC prescribes following procedures for sand mining;

- a) Parts of the river reach that experience deposition or aggradation shall be identified first. The Lease holder/ Environmental Clearance holder may be allowed to extract the sand and gravel deposit in these locations to manage aggradation problem.
- b) The distance between sites for sand and gravel mining shall depend on the replenishment rate of the river. Sediment rating curve for the potential sites shall be developed and checked against the extracted volumes of sand and gravel.

c) Sand and gravel may be extracted across the entire active channel during the dry season.

d) Abandoned stream channels on terrace and inactive floodplains be preferred rather than active channels and their deltas and flood plains. Stream should not be diverted to form inactive channel.

e) Layers of sand and gravel which could be removed from the river bed shall depend on the width of the river and replenishment rate of the river.

f) Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

g) Segments of braided river system should be used preferably falling within the lateral migration area of the river regime that enhances the feasibility of sediment replenishment.

h) Sand and gravel shall not be extracted within 200 to 500 meter from any crucial hydraulic structure such as pumping station, water intakes, and bridges. The exact distance should be ascertained by the local authorities based on local situation. The cross-section survey should cover a minimum distance of 1.0 km upstream and 1.0 km downstream of the potential reach for extraction. The sediment sampling should include the bed material and bed material load before, during and after extraction period. Develop a sediment rating curve at the upstream end of the potential reach using the surveyed cross-section. Using the historical or gauged flow rating curve, determine the suitable period of high flow that can replenish the extracted volume. Calculate the extraction volume based on the sediment rating curve and high flow period after determining the allowable mining depth.

- i) Sand and gravel could be extracted from the downstream of the sand bar at river bends. Retaining the upstream one to two thirds of the bar and riparian vegetation is accepted as a method to promote channel stability.
- j) Flood discharge capacity of the river could be maintained in areas where there are significant flood hazard to existing structures or infrastructure. Sand and gravel mining may be allowed to maintain the natural flow capacity based on surveyed cross-section history.
- k) Alternatively, off-channel or floodplain extraction is recommended to allow rivers to replenish the quantity taken out during mining.
- l) The Piedmont Zone (Bhabhar area) particularly in the Himalayan foothills, where riverbed material is mined, this sandy-gravelly track constitutes excellent conduits and holds the greater potential for ground water recharge. Mining in such areas should be preferred in locations selected away from the channel bank stretches.
- m) Mining depth should be restricted to 3 meter and distance from the bank should be 3 meter or 10 percent of the river width whichever less.
- n) The borrow area should preferably be located on the river side of the proposed embankment, because they get silted up in course of time. For low embankment less than 6 m in height, borrow area should not be selected within 25 m from the toe/heel of the embankment. In case of higher embankment the distance should not be less than 50 m. In order to obviate development of flow parallel to embankment, cross bars of width eight times the depth of borrow pits spaced 50 to 60 meters centre-to-centre should be left in the borrow pits.
- o) Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.

The above notifications and Guidelines, being notified under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, have acquired the status of statutory provisions and have to be followed.

GSI Guidelines-Geological Survey of India (GSI) has collated/ formulated considered geo-scientific opinions to address issues pertaining to riverbed gravel/ sand mining. Besides resource extraction, ultimate objectives of riverbed mining should be:-

- (i) protection and restoration of the ecological system,
- (ii) to prevent damages to the river regime,
- (iii) to work out the sediment influx/ replenishment capacity of the river, to restore the riverine configuration (landforms and fluvial geomorphology, such as bank erosion, change of river course gradient, flow regime, etc.),
- (iv) to prevent contamination of ground water regime,
- (v) to prevent depletion of ground water reserves due to excessive draining out of groundwater, and
- (vi) to restore the riparian rights and in-stream habitats.

GSI has identified major hazards caused due to mining of sand/gravel as under:

- a) *Instream habitat*: The impact of mining may result in increase in river gradient, suspended load, sediment transport, sediment deposition, turbidity, change in temperature, etc. Excessive sediment deposition for replenishment/ refilling of the pits affect turbidity, prevent the penetration of the light required for photosynthesis of micro and macro flora which in turn reduces food availability for aquatic fauna. Increase in river gradient may cause excessive erosion causing adverse effect on the instream habitats. B

- b) Riparian habitat: This includes vegetative cover on and adjacent to the river banks, which controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevents intrusion of pollutant in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover.
- c) Degradation of Land: Mining pits are responsible for river channel shifting as well as degradation of land, causing loss of properties and degradation of landscape.
- d) Lowering of groundwater table in the floodplain area: Mining may cause lowering of riverbed level as well as river water level resulting in lowering of groundwater table due to excessive extraction and draining out of groundwater from the adjacent areas. This may cause shortage of water for the vegetation and human settlements in the vicinity.
- Depletion of groundwater: excessive pumping out of groundwater during mining activities in abandoned channels generally result in depletion of groundwater causing severe scarcity and affecting irrigation and possible water availability. In some cases it may also result in creation of ground fissures and land subsidence in adjacent areas.
- f) Polluting groundwater: In case the river is recharging the groundwater, excessive mining will reduce the thickness of the natural filter materials (sediments), infiltration through which the ground water is recharged. The pollutants due to mining, such as washing of mining materials, wastes disposal, diesel and vehicular oil lubricants and other human activities may pollute the ground water.
- g) Choking of filter materials for ingress of ground water from river: Dumping of waste material, compaction of filter zone due to movement

heavy machineries and vehicles for mining purposes may reduce the permeability and porosity of the filter material through which the groundwater is recharging, thus resulting in steady decrease of ground water resources.

The GSI has suggested that riverbed mining may be allowed considering minimization of the above mentioned deleterious impacts. The guidelines of National Water Policy of India should also be followed which states that watershed management through extensive soil conservation, catchment area treatment, preservation of forest, increasing of forest cover and construction of check dams should be promoted. Efforts shall be made to conserve the water in the catchments. Following geo-scientific considerations have been suggested to be taken into account for sand/ gravel mining:-

1. Abandoned stream channels on terrace and inactive floodplains may be preferred rather than active channels and their deltas and floodplains. Careful study of ground water has to be ensured if excessive pumping out of water is involved in mining.

2. Streams should not be diverted to form inactive channel.
3. Mining below subterranean water level should be avoided as a safeguard against environmental contamination and over exploitation of resources
4. Large rivers and streams whose periodic sediment replenishment capacity are larger, may be preferred than smaller rivers.
5. Segments of braided river system should be used preferably falling within the lateral migration area of the river regime that enhances the feasibility of sediment replenishment.
6. Mining at the concave side of the river channel should be avoided to prevent bank erosion. Similarly meandering segment of a river should be selected for

mining in such a way as to avoid natural eroding banks and to promote mining on naturally building (aggrading) meander components.

7. Scraping of sediment bars above the water flow level in the lean period may be preferred for sustainable mining.

8. It is to be noted that the environmental issues related to mining of minerals including riverbed sand mining should clearly state the size of mine leasehold area, mine lease period, mine plan and mine closure plan, along with mine reclamation and rehabilitation strategies, depth of mining and period of mining operations, particularly in case of river bed mining.

9. The Piedmont Zone (Bhabbar area) particularly in the Himalayan foothills, where riverbed material is mined. This sandy- gravelly track constitutes excellent conduits and holds the greater potential for ground water recharge. Mining in such areas should be preferred in locations selected away from the channel bank stretches. Areas where channel banks are not well defined, particularly in the braided river system, midstream areas should be selected for mining of riverbed materials for minimizing adverse effects on flow regime and in stream habitat.

10. Mining of gravelly sand from the riverbed should be restricted to a maximum depth of 3m from the surface. For surface mining operations beyond this depth of 3m (10 feet), it is imperative to adopt quarrying in a systematic bench- like disposition, which is generally not feasible in riverbed mining. Hence, for safety and sustainability restriction of mining of riverbed material to maximum depth of 3m is recommended.

11. Mining of riverbed material should also take cognizance of the location of the active channel bank. It should be located sufficiently away, preferably more

than 3m away (inwards), from such river banks to minimize effects on river bank erosion and avoid consequent channel migration.

12. Continued riverbed material mining in a given segment of the river will induce seasonal scouring and intensify the erosion activity within the channel. This will have an adverse effect not only within the mining area but also both in upstream and downstream of the river course. Hazardous effects of such scouring and enhanced erosion due to riverbed mining should be evaluated periodically and avoided for sustainable mining activities.

13. Mineral processing in case of riverbed mining of the sandy gravelly material may consist of simple washing to remove clay and silty area. It may involve crushing, grinding and separation of valueless rock fragments from the desirable material. The volume of such waste material may range from 10 to 90%. Therefore, such huge quantities of mine wastes should be dumped into properly treated/ mined - out pits. Where such tailings / waste materials are not properly treated, they may act as a source of dust when dry. Therefore, such pits should be properly stabilized and vegetated to prevent their erosion.

14. Identifying and demarcating areas and their demarcation for mining must be completed prior to mining for sustainable development.

15. The mined out pits should be backfilled where warranted and area should be suitably landscaped to prevent environmental degradation.

16. Mining generally has a huge impact on the irrigation and drinking water resources. These attributes should be clearly evaluated for short-term as well as long-term remediation (MoWR, 2017)

SUMMARY

Table 24: Present Status of Mining

Potential area for Mining	Sand			
	Yamuna River	Ken River	Baghain River	Ranj River
Mineable mineral	4.725	12.666	1.825	-
Potential (M.Tonnes)				
Total existing / proposed area for Mining	535 ha	2957.5 ha	556.22 ha	32.38

The area for sand excavation in the district in all the four rivers namely Yamuna, Ken, Baghein and Ranj are 535 ha, 2927.51 ha, 538.22 ha and 32.38 ha respectively and are for below the total potential area of District on each river for sand excavation. It will help to sustain the environment.

Reference

1.	Agriculture Contingency Plan for District: Banda District
2.	Brief Industrial Profile Of District Banda, MSME- Development Institute, Agra
3.	Brief overview of the Yamuna River (2013), Upadhyay, A., and Rai, R.,K., in <i>Water Management and Public Participation, Springer Briefs in Earth Sciences</i> , DOI: 10.1007/978-94-007-5709-7_2
4.	Comprehensive—District Agriculture Plan (C-DAP), District Planning Committee Banda (Uttar Pradesh)
5.	Dendy , F.E. and Bolton, G.C. "Sediment yield runoff-drainage area relationships in the United States" (1976). , <i>Journal of Soil And Water Conservation</i> , Nov-Dec, 1976, Pg-264-266.
6.	Development of Hydrological Design Aids (Surface Water) under HP-II, State of Art report (July 2010), CWC, MoWR, GOI.
	Directorate of Geology and Mining, Lucknow http://mineral.up.nic.in ,
	District Ground Water Brochure Of Banda, District, U.P., Central Ground Water Board, Government of India, New Delhi
9.	Ganga Basin, Version 2.0, Ministry of Water Resource, Govt. of India, Delhi
10.	Geology of Uttar Pradesh and Uttaranchal (2005), Gopendra Kumar, Geologist society of India, Bangalore, Pg 1-283.
11.	GUIDE TO HYDROLOGICAL PRACTICES, WMO (168 th ed.), 1994
12.	Indian Council of Agricultural research http://Banda.kvk4.in/district-profile.html ,
13.	Indian Standard GUIDELINES FOR DETERMINATION OF EFFECTS OF SEDIMENTATION IN PLANNING AND PERFORMANCE OF RESERVOIRS, BIS- : 12182 – 1987.

14.	Indian School of Mining, Dhanbad, http://ismenvis.nic.in .
15.	Problems And Potentials Of Bundelkhand With Special Reference To Waterresource Base published by Centre for Rural Development and Technology Indian Institute of Technology, Delhi and Vigyan Shiksha Kendra, Atarra (Banda) UP(1998).
16.	Rao, K. L. (1975) India's Water Wealth. Orient Longman Ltd., New Delhi, pg. 255.
17.	REPORT OF THE COMMITTEE CONSTITUTED FOR PREPARATION OF GUIDELINES FOR WORKS ON DE-SILTATION FROM BHIMGAUDA (UTTARAKHAND) TO FARAKKA (WEST BENGAL), by Government of India Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation National Mission for Clean Ganga (2017).
18.	River Sand Mining Management Guideline, Ministry Of Natural Resources And Environment Department Of Irrigation And Drainage, Malaysia
19.	Statistical Bulletin, 2006, District Banda
20.	Singh, I.B., Ansari, A.A., Chandel, R.S. and Misra, A., 1996. Neotectonic control on drainage system in Gangetic Plain, Uttar Pradesh. Journal of the Geological Society of India, 47, 599-609.
21.	Survey of India Toposheet No.
22.	Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016, MoEF & CC, Government of India, New Delhi.
23.	Tangri A.K., Ram Chandra & S.K.S. Yadav (2000) – Detrital influxes in the melt-water of Gangotri Glacier, Garhwal Himalaya. Nat.Sem. on Geodynamics & Environmental Management of Himalaya, Srinagar (Garhwal), Dec.4th-6th, 2000.
24.	The Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 1963
25.	The Environmental (Protection) Act, 1986 and Amendments
26.	Uttar Pradesh, District Gazetteers, Banda, 1988




Resolution of the District Environmental Impact Assessment Authority on March 21, 2018 regarding additional River Bed Mining lease in the District Survey Report of District of Banda.

Background:-

As per the rules laid down in the MoEF Notification dated 15-Jan-2016 (Appendix - X), the initial District Survey Report of River Bed Mining, District Banda, was formally approved on 23.11.2017.

As per the provisions of District Survey Report, a additional lease was identified in the River Bed of Yamuna, and accordingly, revised District Survey Report was posted in Public Domain for seeking objection / comments on 12-Feb-2018 for next 21 days.

In the prescribed period of 21 days, no objection / comments has been received on the revised District Survey Report.

 (Member Secretary) DEAC	 (Member) DEIAA	 (Member) DEIAA	 (Member Secretary) DEIAA
---	--	---	--


(Chairman) 3. 19

DEIAA/ District Magistrate


Resolution

The D.E.I.A.A. – Banda in its meeting dated 21st March – 2018 at 11.00 a.m. reviewed the procedure and earlier proceedings on the revised Draft District Survey Report of Banda District.


The D.E.I.A.A. – Banda has also reviewed the written and oral suggestions/objections. The Final District Survey Report incorporating the relevant feedback with one additional (Minor Mineral) Sand/Morrum mining area of 95.00 ha. on the River Bed of Yamuna in village - Jauharpur Khadar & Bangar under Tehsil - Banda is hereby approved on 21st – March – 2018. The Final District Survey Report is to be released for public disclosure and uploading on the District NIC website.


(Member Secretary)


DEAC


(Member)

DEIAA


(Member)

DEIAA


(Member Secretary)

DEIAA


(Chairman)

DEIAA/ District Magistrate

List of the additional Mining Quarries in the District Banda

S.No	River	Tehsil	Village	Gata No.	Ara (in Ha.)
1	2	3	4	5	6
1.	Yamuna	Banda	Jauharpur Khadar & Bangar	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11, 1215,2136,2137,2138,2139,2140, 2141,2142,2143,2144,2145,2146, 2147,2148,2149,2150,2152,2153, 2154,2155,2156,2157,2178,2180, 2181,2182,2183,2195,2196,2197, 2198,2199,2200,2202,2203,2204, 2205,2206,2207,2208,2209,2210, 2211,2220,2221,2223,2224,2226, 2227,2228,2229	95.00

[Signature]
(Member Secretary)

DEAC

[Signature]
(Member)

DEIAA

[Signature]
(Member)

DEIAA

[Signature]
(Member Secretary)

DEIAA

[Signature]
(Chairman)

DEIAA/ District Magistrate

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 245 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : दिसम्बर 16, 2017

शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 23.11.2017 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (District Survey Report) को अन्तिम रूप से जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ नं०-60 पर Table No.22 के क्रम सं०-1 में उल्लिखित कॉलम-5 में गाटा संख्या/खण्ड संख्या त्रुटिवश **Part of 141** अंकित हो गया है। उक्त क्रम सं०-1 के कॉलम-5 में उल्लिखित गाटा सं०-**Part of 141** के स्थान पर गाटा संख्या/खण्ड संख्या **Part of 1141** समझा जायें। उक्त सूचना को जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया जायें।

॥


अध्यक्ष/जिलाधिकारी
डी०ई०आई०ए०ए०, बाँदा।

2.	2015-16	6,86,03,604.00
3.	2016-17	62,05,350.00

Table 22: List of Mining Quarries In The District With Location, Area.

S. No.	River	Tehsil	Village	Gata No./Khand No.	Area (in Ha)
1	2	3	4	5	6
1.	Ken	Banda	Bhurendi	Part of 1141, 1137, 1136, 1123/2, 1125, 1127, 1131, 1132	37.00
2.	Ken	Banda	Durendi	678, 680kha, 681kha, 682, 677ka, 683kha, 676	24.00
3.	Ken	Banda	Durendi	4943, 4942, 4941, 4939GA, 4938, 4937, 4922ka, 4923ka, 4925ka, 4931, 4959Ga 4958, 4957, 4955, 4883	40.00
4.	Ken	Banda	Durendi	4881, 4880, 4834, 4824kha	27.00
5.	Ken	Banda	Durendi	5029, 5030ka, 5093ka, 5094 ka, 5097	20.00
6.	Ken	Banda	Hatetipurwa (khand no.1)	Part of 3061	10.00
7.	Ken	Banda	Hatetipurwa (khand no.2)	Part of 3061	9.00
8.	Ken	Banda	Kanwara	28/1, 28/5, 28/6, 28/7, 29, 53, 133/1, 133/6, 337/1, 337/4, 337/5, 337/6, 430, 431/1, 463, 469, 471, 478/1, 479, 489, 490, 491, 492, 515, 516/2, 517/1, 518, 519, 520, 521,	195.75

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 1375 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : सुक्रदि 13, 2019

शुद्धि-पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "District Survey Report for (Planning and Execution of) Mining Minerals Excavation" दिनांक 23.11.2017 को अन्तिम रूप से अनुमोदन कर जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ सं०-60 से 66 में अंकित तालिका में उल्लिखित ग्रामो व उनके सम्पूर्ण क्षेत्रफल का उल्लेख है, जबकि निर्गत विज्ञप्ति में सम्पूर्ण क्षेत्रफल को खण्डवार कर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित ग्राम व क्षेत्रफल तथा निर्गत लेटर आफ इन्टेंट (सहमति-पत्र) में उल्लिखित ग्राम व क्षेत्रफल में भिन्नता के कारण उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को खण्डवार तैयार कर संशोधित किया जाता है। तदनुसार DSR के पृष्ठ संख्या 60 से 66 की तालिका में उपलब्ध क्षेत्रफल को संशोधित समझा जाये एवं निम्नानुसार पढ़ा जाये।

List of mining Quarries in the District with Location and Area in District Banda

क्र० सं०	तहसील	नदी का नाम	उप खनिज का नाम	ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	खण्ड सं०	रकबा (हे० में)	खनन की मात्रा (घ०मी० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28	01	21.00	4,20,000
2.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28	02	21.00	4,20,000
3.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28	03	21.00	4,20,000
4.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28	04	21.00	4,20,000
5.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरौली खादर	333/7 का भाग	01	22.00	4,40,000
6.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरौली खादर	335/7 का भाग	02	22.00	4,40,000
7.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरौली खादर	333/7 का भाग, 418, 421गि व 426/30	03	23.00	4,60,000
8.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरौली खादर	333/7 का भाग, 412, 413 व 414	04	23.00	4,60,000
9.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरौली खादर	333/7 का भाग	05	23.00	4,60,000
10.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरौली खादर	332/17, 333/7 का भाग व 431/333/1	06	23.00	4,60,000
11.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	पथरी	72/47 का भाग, 73, 74/1 का भाग व 75गि	01	20.00	4,00,000
12.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	पथरी	72/47 का भाग व 74/1 का भाग	02	19.00	3,80,000
13.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	पथरी	72/47 का भाग व 74/1 का भाग	03	19.00	3,80,000
14.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	खैरई	2/1, 2/2 व 2/4	-	5.80	1,16,000
15.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	साड़ीखादर	73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1 व 102/1	-	26.62	5,32,400
16.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	पैलानी	21/21, 47/9, 58/27, 54/2, 53/2, 52/2	-	18.00	3,60,000

(हीरा लाल)
जिलाधिकारी
बाँदा

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

क्रमांक-1375 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : 13/11/2019

शुद्धि-पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "District Survey Report for (Planning and Execution of) Mining Minerals Excavation" दिनांक 23.11.2017 को अन्तिम रूप से अनुमोदन कर जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ सं०-60 से 66 में अंकित तालिका में उल्लिखित ग्रामों व उनके सम्पूर्ण क्षेत्रफल का उल्लेख है, जबकि निर्गत विज्ञप्ति में सम्पूर्ण क्षेत्रफल को खण्डवार कर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित ग्राम व क्षेत्रफल तथा निर्गत लेटर आफ इन्टेंट (सहमति-पत्र) में उल्लिखित ग्राम व क्षेत्रफल में भिन्नता के कारण उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को खण्डवार तैयार कर संशोधित किया जाता है। तदनुसार DSR के पृष्ठ संख्या 60 से 66 की तालिका में उपलब्ध क्षेत्रफल को संशोधित ससझा जाये एवं निम्नानुसार पढ़ा जाये।

List of mining Quarries in the District with Location and Area in District Banda

क्र० सं०	तहसील	नदी का नाम	उप खनिज का नाम	ग्राम	गाटा संख्या / खण्ड संख्या	खण्ड सं०	एकड़ (हे० में)	खनन की मात्रा (घ०मी० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	बँदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28	01	21.00	4,20,000
2.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	बँदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28	02	21.00	4,20,000
3.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	बँदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28	03	21.00	4,20,000
4.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	बँदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28	04	21.00	4,20,000
5.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरीली खादर	333/7 का भाग	01	22.00	4,40,000
6.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरीली खादर	333/7 का भाग	02	22.00	4,40,000
7.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरीली खादर	333/7 का भाग, 418, 421मि व 426/30	03	23.00	4,60,000
8.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरीली खादर	333/7 का भाग, 412, 413 व 414	04	23.00	4,60,000
9.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरीली खादर	333/7 का भाग	05	23.00	4,60,000
10.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	मरीली खादर	332/17, 333/7 का भाग व 431/333/1	06	23.00	4,60,000
11.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	पथरी	72/47 का भाग, 73, 74/1 का भाग व 75मि	01	20.00	4,00,000
12.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	पथरी	72/47 का भाग व 74/1 का भाग	02	19.00	3,80,000
13.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	पथरी	72/47 का भाग व 74/1 का भाग	03	19.00	3,80,000
14.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	खैरई	2/1, 2/2 व 2/4	-	5.80	1,16,000
15.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	साड़ीखादर	73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1 व 102/1	-	26.62	5,32,400
16.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	पैलानी	21/21, 47/9, 58/27, 54/2, 53/2, 52/2	-	18.00	3,60,000

7

8

(हीरा लाल)
जिलाधिकारी
बाँदा।

कार्यालय पर्यावरण सचिवालय, जिलाधिकारी बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

/पर्यावरण सचिवालय बाँदा

दिनांक : अगस्त 19, 2018

शुद्धिपत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "District Survey Report for (Planning and Regulation of) Mining Minerals Excavation" दिनांक 23.11.2017 को अन्तिम रूप से अनुमोदन कर जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था तथा दिनांक 21.03.2018 को यमुना नदी क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम-जौहरपुर में उपलब्ध क्षेत्रफल 95.00 हे० को सम्मिलित कर आवश्यक संशोधन किया गया। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ सं०-60 से 66 में अंकित तालिका में उल्लिखित ग्रामों व उनके क्षेत्रफल तथा ग्राम-जौहरपुर को सम्मिलित करते हुये संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित क्षेत्रफल को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। तदनुसार DSR के पृष्ठ संख्या 60 से 66 की तालिका व ग्राम-जौहरपुर में उपलब्ध क्षेत्रफल को संशोधित समझा जाये एवं निम्नानुसार पढ़ा जायें।

List of mining Quarries in the District with Location and Area in District Banda

क्र० सं०	तहसील	नदी का नाम	उप खनिज का नाम	ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	खण्ड सं०	रकबा (हे० में)	खनन की मात्रा (घ०मी० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	जौहरपुर	2211 का भाग, 2185 का भाग, 2196, 2197 का भाग, 2183 का भाग, 2198, 2199 का भाग, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2220, 2221 का भाग, 2223 का भाग, 2224 का भाग, 2226 का भाग, 2227, 2228 का भाग, 2229, 2149 का भाग, 2148 का भाग, 10 का भाग, 09, 11 का भाग, 01 का भाग, 12150 का भाग, 08 का भाग	1	15.00	300000
2.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	जौहरपुर	01 का भाग, 07 का भाग, 08 का भाग, 2147 का भाग, 2148 का भाग, 2150 का भाग, 2200 का भाग, 2181 का भाग, 2182 का भाग, 2180 का भाग, 2178 का भाग	2	15.00	300000
3.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	जौहरपुर	2178 का भाग, 2152 का भाग, 2153 का भाग, 2145 का भाग, 2147 का भाग, 2148, 06 का भाग, 2148 का भाग, 07 का भाग, 01 का भाग, 2154 का भाग	3	15.00	300000
4.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	जौहरपुर	01 का भाग, 05 का भाग, 05 का भाग, 2145 का भाग, 2144, 2143 का भाग, 2155 का भाग, 2154 का भाग, 2153 का भाग, 01 का भाग, 2152 का भाग	4	15.00	300000
5.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	जौहरपुर	01 का भाग, 03 का भाग, 04, 05 का भाग, 2143 का भाग, 2142, 2141, 2140 का भाग, 2158, 2157 का भाग, 2153 का भाग, 2154 का भाग, 2137 का भाग	5	15.00	300000
6.	बाँदा	यमुना	बालू/मोरम	जौहरपुर	01 का भाग, 02, 03 का भाग, 2139, 2138, 2137 का भाग, 2136 का भाग	6	15.00	300000
7.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	कनवारा	28 का भाग, 29	1	27.00	540000
8.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	कनवारा	53, 337 का भाग	2	24.00	480000
9.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	कनवारा	337 का भाग	3	24.00	480000
10.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	कनवारा	337 का भाग, 431 का भाग	4	24.00	480000
11.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	कनवारा	431 का भाग	5	23.00	460000
12.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	अछरीड़	1130 का भाग	1	28.00	560000
13.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	अछरीड़	1130 का भाग	2	28.00	560000
14.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	लक्ष्मणपुर	5114/1, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127	2000	2000	400000

(2)

15.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	भवानीपुरवा	5137, 5138, 5139, 5140, 5141	-	4.00	80000
16.	बाँदा	केन	बालू/मोरम	गछा	1971/1	-	10.00	200000
17.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	साडीखादर	04	-	13.00	260000
18.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	साडीखादर	60	-	18.00	360000
19.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	सिन्धनकला	683/43, 684/6, 693/48, 684/7, 692/1, 699/3	-	19.00	380000
20.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	पड़ोहरा खादर	165, 166, 174	-	14.00	280000
21.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	खपटिहा कला	455	-	23.00	460000
22.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	खपटिहा कला	356 का भाग	1	16.00	320000
23.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	खपटिहा कला	356 का भाग	2	16.00	320000
24.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	खपटिहा कला	100 का भाग	1	16.00	320000
25.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	खपटिहा कला	100 का भाग	2	16.00	320000
26.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	खपटिहा कला	100 का भाग	3	16.00	320000
27.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	खपटिहा कला	61/3	-	20.00	400000
28.	पैलानी	केन	बालू/मोरम	खपटिहा कला	62, 63/1	-	17.00	340000
29.	नरैनी	केन	बालू/मोरम	बरसड़ा मानपुर	3/1/1 का भाग	1	21.00	420000
30.	नरैनी	केन	बालू/मोरम	बरसड़ा मानपुर	3/1/1 का भाग	2	21.00	420000
31.	नरैनी	केन	बालू/मोरम	जरर	851, 888, 867, 869, 872, 876	-	8.00	160000
32.	अतर्रा	बागे	बालू/मोरम	चन्दौर	2494	-	7.80	78000
33.	अतर्रा	बागे	बालू/मोरम	तेरा (ब)	1749ख, 1766, 2421	-	9.34	93400
34.	अतर्रा	बागे	बालू/मोरम	महुटा	876ख, 886क, 1481, 1482, 1505, 2031, 2039, 2047, 2247, 2270, 2521, 2522, 2538, 2541ख, 2577, 2589, 2876	-	21.00	210000
35.	बबेरु	यमुना	बालू/मोरम	दादीखादर	39 का भाग, 42 का भाग	1	12.00	120000
36.	बबेरु	यमुना	बालू/मोरम	दादीखादर	39 का भाग, 42 का भाग	2	12.00	120000
37.	बबेरु	यमुना	बालू/मोरम	दादीखादर	39 का भाग, 42 का भाग	3	12.00	120000
38.	बबेरु	यमुना	बालू/मोरम	दादीखादर	39 का भाग, 42 का भाग	4	12.00	120000
39.	बबेरु	यमुना	बालू/मोरम	दादीखादर	39 का भाग, 42 का भाग	5	12.00	120000
40.	बबेरु	यमुना	बालू/मोरम	दादीखादर	42 का भाग, 41 का भाग	6	12.00	120000
41.	बबेरु	यमुना	बालू/मोरम	दादीखादर	38, 40, 41 का भाग, 42 का भाग	7	12.00	120000

8.1.2018
16/8/2018
खान झाँसी
सदस्य सचिव
(डीईएसी)
बाँदा

M. Pantam
DFO Banda
16.8.2018
सदस्य
(डीईआईएए)
बाँदा

17/8/18
S. D. S.
सदस्य सचिव
(डीईआईएए)
बाँदा

अध्यक्ष
(डीईआईएए)
बाँदा

कार्यालय जिलाधिकारी बाँदा ।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 64 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : जनवरी 09, 2019

ई-निविदा सह ई नीलामी आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बाँदा में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या-1875/86-2017-57(सा0)/2017 टी0सी0-1 लखनऊ दिनांक 14.08.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से 20प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के अध्याय-4 के अन्तर्गत खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नवत् घोषित किया जाता है :-

1. क्षेत्र का विवरण :-

क्र० सं०	उप खनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				नियमावली -1963 के अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर (रु० प्रति घन मीटर)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार (घन मी० प्रतिवर्ष)	प्रथम वर्ष में आंकलित भण्डार की कुल रायल्टी रूपयों में। (कालम 9 में अंकित घन मी० प्रतिवर्ष को कालम 8 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि)	अनैस्ट मनी (कालम 10 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
			तहसील	ग्राम	गाटा सं०/ खण्ड सं०/ जोन सं०	क्षेत्रफल (हे० में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बालू/मोरम	यमुना	बाँदा	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28 (खण्ड सं०-1)	21.00	150.00	4,20,000	6,30,00,000.00	1,57,50,000.00
2.	बालू/मोरम	यमुना	बाँदा	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28 (खण्ड सं०-2)	21.00	150.00	4,20,000	6,30,00,000.00	1,57,50,000.00
3.	बालू/मोरम	यमुना	बाँदा	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28 (खण्ड सं०-3)	21.00	150.00	4,20,000	6,30,00,000.00	1,57,50,000.00
4.	बालू/मोरम	यमुना	बाँदा	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28 (खण्ड सं०-4)	21.00	150.00	4,20,000	6,30,00,000.00	1,57,50,000.00
5.	बालू/मोरम	केन	बाँदा	मरीली खादर	333/7 का भाग (खण्ड सं०-1)	22.00	160.00	4,40,000	6,60,00,000.00	1,65,00,000.00
6.	बालू/मोरम	केन	बाँदा	मरीली खादर	333/7 का भाग (खण्ड सं०-2)	22.00	150.00	4,40,000	6,60,00,000.00	1,65,00,000.00
7.	बालू/मोरम	केन	बाँदा	मरीली खादर	333/7 का भाग, 418, 421मि व 426/30 (खण्ड सं०-3)	23.00	150.00	4,60,000	6,90,00,000.00	1,72,50,000.00
8.	बालू/मोरम	केन	बाँदा	मरीली खादर	333/7 का भाग, 412, 413 व 414 (खण्ड सं०-4)	23.00	150.00	4,60,000	6,90,00,000.00	1,72,50,000.00
9.	बालू/मोरम	केन	बाँदा	मरीली खादर	333/7 का भाग (खण्ड सं०-5)	23.00	150.00	4,60,000	6,90,00,000.00	1,72,50,000.00
10.	बालू/मोरम	केन	बाँदा	मरीली खादर	332/17, 333/7 का भाग व 431/333/1 (खण्ड सं०-6)	23.00	150.00	4,60,000	6,90,00,000.00	1,72,50,000.00
11.	बालू/मोरम	केन	बाँदा	पथरी	72/47 का भाग, 73, 74/1 का भाग व 75मि (खण्ड सं०-1)	20.00	150.00	4,00,000	6,00,00,000.00	1,50,00,000.00
12.	बालू/मोरम	केन	बाँदा	पथरी	72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं०-2)	19.00	150.00	3,80,000	5,70,00,000.00	1,42,50,000.00

13.	बालू/मोरम	केंन	बाँदा	पथरी	72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं०-3)	19.00	150.00	3,80,000	5,70,00,000.00	1,42,50,000.00
14.	बालू/मोरम	केन	पैलानी	खैरई	2/1, 2/2 व 2/4	5.80	150.00	1,16,000	1,74,00,000.00	43,50,000.00
15.	बालू/मोरम	केंन	पैलानी	साड़ीखादर	73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1 व 102/1	26.52	150.00	5,32,400	7,98,60,000.00	1,99,65,000.00
16.	बालू/मोरम	केन	पैलानी	पैलानी	21/21, 47/9, 58/27, 54/2, 53/2, 52/2	18.00	150.00	3,60,000	5,40,00,000.00	1,35,00,000.00

- खनन पट्टा निश्चित अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।
- ई-निविदा सह ई-नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रति घन मीटर के लिए दी जायेगी, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री बिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घन मी०) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी०) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई-निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।
- किसी क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।
- एम०एस० टी०सी० लि० (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसे द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम०एस०टी०सी० के पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।
- इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाईन बिड/बोली हेतु class III Signing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम एस टी सी के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे।
- पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिए बिड में भाग ले सकेंगे परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में ₹०-15,000 (₹० पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम०एस०टी०सी० पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।
- ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम०एस०टी०सी० में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड बनावेंगे। इस ऑनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम०एस०टी०सी० द्वारा भेजा गया सूचना ई मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात् बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम०एस०टी०सी० को ऑनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित ₹०-1,180 (₹० एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) एम०एस०टी०सी० पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई०डी०, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम०एस०टी०सी० के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा।

Signature

(3)

10. पंजीयन हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-
- (1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र प्रति।
 - (2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण-पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ-पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण-पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।
 - (3) आवेदन का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
 - (4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।
 - (5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण-पत्र। जहां आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहां इस आशय का शपथ-पत्र की प्रति।
11. एम0एस0टी0सी0 द्वारा केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं :-
- (1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।
 - (2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।
 - (3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण-पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
 - (4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
 - (5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
 - (6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किया हो।
12. ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर देखा जा सकता है।
13. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक रू0 15,000 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञापित में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।
14. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानों की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था।
15. जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।
16. अधिकतम पांच खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के पांच क्षेत्र अथवा 400 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमत्त होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इन्टेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।
17. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया :-
- (1) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगा। द्वितीय चरण में ई-निविदा से प्राप्त अधिकतम निविदा धनराशि को आधार मानकर ई-नीलामी की बोली की न्यूनतम धनराशि निर्धारित होगी। प्रथम चरण के इच्छुक आवेदक उक्त न्यूनतम धनराशि के ऊपर विज्ञापित में प्रकाशित तिथि व समय के अनुसार ऑनलाईन बोली में भाग लेंगे।

(4)

- (2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-
- (क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रतिघन मीटर दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।
- (ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रतिघन मीटर में दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।
- (ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पांच या पांच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।
- (घ) यदि पांच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पांच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।
- (3) उपरोक्त प्रस्ताव-17(2)(ग), (घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- (4) द्वितीय चरण में ई-नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अप्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई-नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।
- (5) द्वितीय चरण की नीलामी की प्रक्रिया में नीलामी की निर्धारित अवधि के भीतर इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकते हैं। नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दिया जा सकता है।
- (6) निर्धारित समय के पश्चात बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।
- (7) ई-निविदा सह ई-नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :-

प्रेस विज्ञापित (प्रकाशन का दिनांक) : 12.01.2019		
प्रो-बिड E.M.D (ई0एम0डी0) एवं आवेदन शुक्ल जमा करने की अन्तिम तिथि-11.02.2019 तक		
प्रथम चरण ई-निविदा (ई-टेंडर) की अवधि दिनांक 12.02.2019 से 15.02.2019 तक		
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन दिनांक-16.02.2019 एवं दिनांक-17.02.2019		
द्वितीय चरण ई-नीलामी की सारणी :-		
दिनांक	पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक	अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
18.02.2019	क्रमांक-01 से 02 तक के क्षेत्र	क्रमांक-03 से 04 तक के क्षेत्र
19.02.2019	क्रमांक-05 से 06 तक के क्षेत्र	क्रमांक-07 से 08 तक के क्षेत्र
20.02.2019	क्रमांक-09 से 10 तक के क्षेत्र	क्रमांक-11 से 12 तक के क्षेत्र
21.02.2019	क्रमांक-13 से 14 तक के क्षेत्र	क्रमांक-15 से 16 तक के क्षेत्र

- (8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन :-
- (क) प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु ये योग्य है अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते हैं।
- (ख) एकल निविदा के मामले को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(5)

18. पट्टे का दिया जाना : नियमावली के नियम-28 के प्रावधानों अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अई बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।
19. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख-सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण-पत्र कूटखित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।
20. लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :-
- (1) प्रथम वर्ष के लिये देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आंकलित मात्रा घन मी० को निविदा/नीलामी की दर रूपया घन प्रति मी० से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
 - (2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बंधनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।
 - (3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।
 - (4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुसूक्षण करेगा।
 - (5) चयनित आवेदक नियम-34 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 संपादित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
 - (6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
 - (7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
21. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :-
- (1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वर्ष में पट्टा धनराशि देय होगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।
 - (2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किश्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि एम०एस०टी०सी० के ई पेमेन्ट गेट वे पर आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। उक्त धनराशि जमा करने से पूर्व सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा जमा प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

(6)

- (3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची के नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

22 शर्तें :-

- (1) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में अंकित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौकों का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के ध्य पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।
- (3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से छः माह के भीतर खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेगा।
- (4) पट्टाधारक नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी। समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
- (5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-1963 के नियम-59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
- (6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियाएँ नहीं करेगा।
- (7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
- (8) नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- (10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- (11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।



-7-

(7)

- (12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
- (13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

अन्य नियम एवं शर्त :-

- (14) पट्टाधारक जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों को मानने के लिये बाध्य होगा तथा सीमा विवाद की दशा में सीमांकन अपने स्वयं के खर्च पर कराना होगा।
- (15) पट्टाधारक खनिज निकासी हेतु रास्ते की व्यवस्था स्वयं करेगा तथा तीसरे पक्ष के दावों की क्षतिपूर्ति करेगा।

(हीरा लाल)
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ को दो दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
5. प्रभागीय वनाधिकारी जनपद बाँदा।
6. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
7. शाखा प्रबन्धक, एम०एस०टी०सी० लिमिटेड, कोर्ट बिल्डिंग-II फ्लोर, लखनऊ।
8. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद बाँदा को व्यापक प्रसार प्रचार हेतु।
9. जिला सूचना अधिकारी, बाँदा को दो दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी), बाँदा को वेबसाइट banda.nic.in में अपलोड करने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. खान अधिकारी, बाँदा को चवैरी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
12. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट बाँदा को मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

Bit

hu

(हीरा लाल)
जिलाधिकारी, बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : — /खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मार्च 25, 2018

ई-निविदा सह ई नीलामी आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बाँदा में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या-1875/86-2017-57(सा0)/2017 टी0सी0-1 लखनऊ दिनांक 14.08.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के अध्याय-4 के अन्तर्गत खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नवत् घोषित किया जाता है :-

1. क्षेत्र का विवरण :-

क्र० सं०	उप खनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				नियमावली -1963 के अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर (रु० प्रति घन मीटर)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार (घन मी० प्रतिवर्ष)	प्रथम वर्ष में आंकलित भण्डार की कुल रायल्टी रूपयो में। (कालम 9 में अंकित घन मी० प्रतिवर्ष को कालम 8 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि)	अर्नेस्ट मनी (कालम 10 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
			तहसील	ग्राम	गाटा सं०/ खण्ड सं०/ जोन सं०	क्षेत्रफल (हे० में)				
1	बालू/ मोरम	यमुना	बाँदा	जौहरपुर	(खण्ड सं०-1)	15.00	150.00	300000	4,50,00,000.00	1,12,50,000.00
2	बालू/ मोरम	यमुना	बाँदा	जौहरपुर	(खण्ड सं०-2)	15.00	150.00	300000	4,50,00,000.00	1,12,50,000.00
3	बालू/ मोरम	यमुना	बाँदा	जौहरपुर	(खण्ड सं०-3)	15.00	150.00	300000	4,50,00,000.00	1,12,50,000.00
4	बालू/ मोरम	यमुना	बाँदा	जौहरपुर	(खण्ड सं०-4)	15.00	150.00	300000	4,50,00,000.00	1,12,50,000.00
5	बालू/ मोरम	यमुना	बाँदा	जौहरपुर	(खण्ड सं०-5)	15.00	150.00	300000	4,50,00,000.00	1,12,50,000.00
6	बालू/ मोरम	यमुना	बाँदा	जौहरपुर	(खण्ड सं०-6)	15.00	150.00	300000	4,50,00,000.00	1,12,50,000.00
7	बालू/ मोरम	केन	बाँदा	कनवारा	28 का भाग, 29 (खण्ड सं०-1)	27.00	150.00	540000	8,10,00,000.00	2,02,50,000.00
8	बालू/ मोरम	केन	बाँदा	कनवारा	53, 337 का भाग (खण्ड सं०-2)	24.00	150.00	480000	7,20,00,000.00	1,80,00,000.00
9	बालू/ मोरम	केन	बाँदा	कनवारा	337 का भाग (खण्ड सं०-3)	24.00	150.00	480000	7,20,00,000.00	1,80,00,000.00
10	बालू/ मोरम	केन	बाँदा	कनवारा	337 का भाग, 431 का भाग (खण्ड सं०-4)	24.00	150.00	480000	7,20,00,000.00	1,80,00,000.00
11	बालू/ मोरम	केन	बाँदा	कनवारा	431 का भाग (खण्ड सं०-5)	23.00	150.00	460000	6,90,00,000.00	1,72,50,000.00
12	बालू/ मोरम	केन	बाँदा	अछरीड़	1130 का भाग (खण्ड सं०-1)	28.00	150.00	560000	8,40,00,000.00	2,10,00,000.00
13	बालू/ मोरम	केन	बाँदा	अछरीड़	1130 का भाग (खण्ड सं०-2)	28.00	150.00	560000	8,40,00,000.00	2,10,00,000.00

14.	वालू/मोरम	केन	बांदा	लडाकापुरवां	5114/1, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5128, 5130, 5131, 5132, 5134, 5135, 5136, 5152	20.00	150.00	400000	6,00,00,000.00	1,50,00,000.00
15.	वालू/मोरम	केन	बांदा	गवानीपुरवां	5137, 5138, 5139, 5140, 5141	4.00	150.00	80000	1,20,00,000.00	30,00,000.00
16.	वालू/मोरम	केन	बांदा	गंछा	1971/1	10.00	150.00	200000	3,00,00,000.00	75,00,000.00
17.	वालू/मोरम	केन	पैलानी	साड़ीखादर	04	13.00	150.00	260000	3,90,00,000.00	97,50,000.00
18.	वालू/मोरम	केन	पैलानी	साड़ीखादर	60	18.00	150.00	380000	5,40,00,000.00	1,35,00,000.00
19.	वालू/मोरम	केन	पैलानी	सिन्धनकलां	683/43, 684/6, 693/48, 684/7, 692/1, 699/3	19.00	150.00	380000	5,70,00,000.00	1,42,50,000.00
20.	वालू/मोरम	केन	पैलानी	पड़ोहरा खादर	165, 166, 174	14.00	150.00	280000	4,20,00,000.00	1,05,00,000.00
21.	वालू/मोरम	केन	पैलानी	खपटिहा कला	455	23.00	150.00	460000	6,90,00,000.00	1,72,50,000.00
22.	वालू/मोरम	केन	पैलानी	खपटिहा कला	358 का भाग (खण्ड सं०-1)	16.00	150.00	320000	4,80,00,000.00	1,20,00,000.00
23.	वालू/मोरम	केन	पैलानी	खपटिहा कला	358 का भाग (खण्ड सं०-2)	16.00	150.00	320000	4,80,00,000.00	1,20,00,000.00
24.	वालू/मोरम	केन	पैलानी	खपटिहा कला	100 का भाग (खण्ड सं०-1)	16.00	150.00	320000	4,80,00,000.00	1,20,00,000.00
25.	वालू/मोरम	केन	पैलानी	खपटिहा कला	100 का भाग (खण्ड सं०-2)	16.00	150.00	320000	4,80,00,000.00	1,20,00,000.00
26.	वालू/मोरम	केन	पैलानी	खपटिहा कला	100 का भाग (खण्ड सं०-3)	16.00	150.00	320000	4,80,00,000.00	1,20,00,000.00
27.	वालू/मोरम	केन	पैलानी	खपटिहा कला	100 का भाग (खण्ड सं०-4)	16.00	150.00	320000	4,80,00,000.00	1,20,00,000.00
28.	वालू/मोरम	केन	पैलानी	खपटिहा कला	61/3	20.00	150.00	400000	6,00,00,000.00	1,50,00,000.00
29.	वालू/मोरम	केन	पैलानी	खपटिहा कला	62, 63/1	17.00	150.00	340000	5,10,00,000.00	1,27,50,000.00
30.	वालू/मोरम	केन	नरैनी	गिहालपुर	459, 462/4, 483य, 472/5,	12.00	150.00	240000	3,60,00,000.00	90,00,000.00
31.	वालू/मोरम	केन	नरैनी	वरसाडा मानपुर	3/1/1 का भाग (खण्ड सं०-1)	21.00	150.00	420000	6,30,00,000.00	1,57,50,000.00
32.	वालू/मोरम	केन	नरैनी	वरसाडा मानपुर	3/1/1 का भाग (खण्ड सं०-2)	21.00	150.00	420000	6,30,00,000.00	1,57,50,000.00
33.	वालू/मोरम	केन	नरैनी	जरर	861, 868, 887, 888, 872, 878	8.00	150.00	180000	2,40,00,000.00	60,00,000.00
34.	वालू/मोरम	बागे	अतरां	गन्दीर	2404	7.80	150.00	78000	1,17,00,000.00	29,25,000.00
35.	वालू/मोरम	बागे	अतरां	वेश (ब)	1748अ, 1708, 2421	8.34	150.00	93400	1,40,10,000.00	35,02,500.00

36.	बालू/गोरम	बागे	आतारा	महुटा	876ख, 886क, 1481, 1482, 1505, 2031, 2039, 2047, 2247, 2270, 2521, 2522, 2538, 2541ख, 2577, 2599, 2676	21.00	150.00	210000	3,15,00,000.00	78,75,000.00
37.	बालू/गोरम	यमुना	बबेरू	दादोखादर	39 का भाग, 42 का भाग (खण्ड सं०-1)	12.00	150.00	120000	1,80,00,000.00	45,00,000.00
38.	बालू/गोरम	यमुना	बबेरू	दादोखादर	39 का भाग, 42 का भाग (खण्ड सं०-2)	12.00	150.00	120000	1,80,00,000.00	45,00,000.00
39.	बालू/गोरम	यमुना	बबेरू	दादोखादर	39 का भाग, 42 का भाग (खण्ड सं०-3)	12.00	150.00	120000	1,80,00,000.00	45,00,000.00
40.	बालू/गोरम	यमुना	बबेरू	दादोखादर	39 का भाग, 42 का भाग (खण्ड सं०-4)	12.00	150.00	120000	1,80,00,000.00	45,00,000.00
41.	बालू/गोरम	यमुना	बबेरू	दादोखादर	39 का भाग, 42 का भाग (खण्ड सं०-5)	12.00	150.00	120000	1,80,00,000.00	45,00,000.00
42.	बालू/गोरम	यमुना	बबेरू	दादोखादर	42 का भाग, 41 का भाग (खण्ड सं०-6)	12.00	150.00	120000	1,80,00,000.00	45,00,000.00
43.	बालू/गोरम	यमुना	बबेरू	दादोखादर	38, 40, 41 का भाग, 42 का भाग (खण्ड सं०-7)	12.00	150.00	120000	1,80,00,000.00	45,00,000.00

- खनन पट्टा निश्चित अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।
- ई-निविदा सह ई-नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रति घन मीटर के लिए दी जायेगी, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-1983 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रुपया प्रति घन मी०) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी०) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई-निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।
- किसी क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।
- एम०एस० टी०सी० लि० (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिससे द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम०एस०टी०सी० के पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।
- इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाईन बिड/बोली हेतु class III Signing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम एस टी सी के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।

8. पंजीकृत ओवदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिए बिड में भाग ले सकेंगे परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में ₹0-15,000 (₹0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।
9. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस ऑनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजा गया सूचना ई-मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात् बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को ऑनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित ₹0-1,180 (₹0 एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा।
10. पंजीयन हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-
- (1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र प्रति।
 - (2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण-पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ-पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दम्पित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण-पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां ओवदक स्थायी रूप से निवास करता हों।
 - (3) आवेदन का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
 - (4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।
 - (5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण-पत्र। जहां आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहां इस आशय का शपथ-पत्र की प्रति।
11. एम0एस0टी0सी0 द्वारा केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं :-
- (1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।
 - (2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।
 - (3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण-पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
 - (4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
 - (5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
 - (6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किया हो।
12. ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर देखा जा सकता है।
13. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक ₹0 15,000 (₹0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।
14. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानों की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था।
15. जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।

16. अधिकतम पांच खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के क्षेत्र को, उ०प्र० राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जमा कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के पांच क्षेत्र अथवा 400 हे० के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इन्टेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।
17. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया :-
- (1) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगा। द्वितीय चरण में ई-निविदा से प्राप्त अधिकतम निविदा धनराशि को आधार मानकर ई-नीलामी की बोली की न्यूनतम धनराशि निर्धारित होगी। प्रथम चरण के इच्छुक आवेदक उक्त न्यूनतम धनराशि के ऊपर विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि व समय के अनुसार ऑनलाईन बोली में भाग लेंगे।
 - (2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-
 - (क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रतिघन मीटर दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी किया जायेगा।
 - (ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (आफर) में प्रतिघन मीटर में दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेन्ट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।
 - (ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पांच या पांच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिडकर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किया जायेगा।
 - (घ) यदि पांच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पांच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किया जायेगा।
 - (3) उपरोक्त प्रस्तर-17(2)(ग), (घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।
 - (4) द्वितीय चरण में ई-नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई-नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।
 - (5) द्वितीय चरण की नीलामी की प्रक्रिया में नीलामी की निर्धारित अवधि के भीतर इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। नीलामी की ऑनलाईन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाईन ही दिया जा सकता है।
 - (6) निर्धारित समय के पश्चात बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।

(6)

(7) ई-निविदा सह ई-नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :-

प्रेस विज्ञापित (विज्ञापित का प्रकाशन)	दिनांक 29.03.2018
अनेस्ट मनी की धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 30.04.2018 तक
प्रथम चरण ई-निविदा (ई टेण्डर) की अवधि	दिनांक 01.05.2018 से दिनांक 05.05.2018 तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	दिनांक 07.05.2018 से दिनांक 08.05.2018 तक
द्वितीय चरण ई-नीलामी की अवधि	दिनांक 09.05.2018 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-01 व 02 पर विज्ञापित क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-03 व 04 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	दिनांक 10.05.2018 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-05 व 06 पर विज्ञापित क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-07 व 08 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	दिनांक 11.05.2018 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-09 व 10 पर विज्ञापित क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-11 व 12 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	दिनांक 12.05.2018 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-13 व 14 पर विज्ञापित क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-15 व 16 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	दिनांक 14.05.2018 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-17 व 18 पर विज्ञापित क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-19 व 20 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	दिनांक 15.05.2018 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-21 व 22 पर विज्ञापित क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-23 व 24 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	दिनांक 16.05.2018 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-25 व 26 पर विज्ञापित क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-27 व 28 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	दिनांक 17.05.2018 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-29 व 30 पर विज्ञापित क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-31 व 32 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	दिनांक 18.05.2018 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-33 व 34 पर विज्ञापित क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-35 व 36 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	दिनांक 19.05.2018 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-37 व 38 पर विज्ञापित क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-39 व 40 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	दिनांक 21.05.2018 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-41 व 42 पर विज्ञापित क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-43 पर विज्ञापित क्षेत्र।

D.F.

-7-

- (8) परिणाम की घोषणा एवं सत्यापन प्रदर्शन :-
 (क) प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) को लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (विडिंग एगारण्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य हैं अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते हैं।
 (ख) एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एगारण्ट0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।
18. पट्टे का दिया जाना : नियमावली के नियम-28 के प्रावधानों अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्ताव-17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे जो उच्चताग हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।
19. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहां क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख-सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण-पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।
20. लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :-
- (1) प्रथम वर्ष के लिये देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आंकलित मात्रा घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपया घन प्रति मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
 - (2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।
 - (3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।
 - (4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।
 - (5) चयनित आवेदक नियम-34 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 संपठित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
 - (6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आस्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
 - (7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
21. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :-
- (1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वर्ष में पट्टा धनराशि देय होगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

(0)

- (2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किरत अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि एम0एस0टी0सी0 के ई पेमेन्ट गेट वे पर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। उक्त धनराशि जमा करने से पूर्व सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा जमा प्री विड अर्नेस्ट गनी समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जफ्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।
- (3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची के नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

22. शर्त :-

- (1) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।
- (3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से छः माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेगा।
- (4) पट्टाधारक नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्यन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित वार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी। समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
- (5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित वार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-1983 के नियम-69 के अन्तर्गत शारित का भागीदार होगा।
- (6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।
- (7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
- (8) नदी की जल धारा में सयशन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय गूल्या प्रदर्शित करेगा।

(9)

- (10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- (11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित न्याधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।
- (12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
- (13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

अन्य नियम एवं शर्तें :-

- (14) पट्टाधारक जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों को मानने के लिये बाध्य होगा तथा सीमा विवाद की दशा में सीमांकन अपने स्वयं के खर्च पर कराना होगा।
- (15) पट्टाधारक खनिज निकासी हेतु रास्ते की व्यवस्था स्वयं करेगा तथा तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करेगा।

(दिव्य प्रकाश गिरि)
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक : 53 / खनिज-30, बाँदा तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
5. शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, कोर्ट बिल्डिंग-II पलोर, लखनऊ।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ को दो दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
7. जिला सूचना अधिकारी, बाँदा को दो दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
8. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद बाँदा को व्यापक प्रसार प्रचार हेतु।
9. प्रभागीय वन अधिकारी जनपद बाँदा।
10. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट बाँदा को मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
11. खान अधिकारी, बाँदा को क्वैरी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी), बाँदा को वेबसाइट banda.nic.in में अपलोड करने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8.5

(दिव्य प्रकाश गिरि)
जिलाधिकारी, बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : ५७ / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : सितम्बर ०६, 2017

ई-निविदा सह ई नीलामी आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बाँदा में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या-1875/88-2017-57(सा0)/2017 टी0सी0-1 लखनऊ दिनांक 14.08.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के अध्याय-4 के अन्तर्गत खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नवत् घोषित किया जाता है :-

1. क्षेत्र का विवरण :-

क्र० सं०	उप खनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				नियमावली -1963 के अनुसूची 1 के अनुसार रायवटी दर (रु० प्रति घन मीटर)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार (घन मी० प्रतिवर्ष)	प्रथम वर्ष में आंकलित भण्डार की कुल रायवटी रूपयो में। (कालम 9 में अंकित घन मी० प्रतिवर्ष को कालम 8 में अंकित रायवटी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि)	अर्नेस्ट मनी (कालम 10 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
			तहसील	ग्राम	गाटा सं० / खण्ड सं० / जेन सं०	क्षेत्रफल (हे० में)				
1	बालू/ मोरम	केन	पैलानी	खपटिहा कलां	61/3, 62, 63/1	39.74	150.00	794800	11,92,20,000.00	2,98,05,000
2	बालू/ मोरम	यमुना	पैलानी	सादीमदनपुर	93/1क, 95/2, 96/8, 97, 98	18.60	150.00	372000	5,58,00,000.00	1,39,50,000
3	बालू/ मोरम	यमुना	पैलानी	सादीमदनपुर	50 का भाग, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1/3	28.33	150.00	566600	8,49,90,000.00	2,12,47,500
4	बालू/ मोरम	यमुना	पैलानी	सादीमदनपुर	92/6, 92/7, 94	7.46	150.00	149200	2,23,80,000.00	56,95,000
5	बालू/ मोरम	यमुना	पैलानी	सबादाखादर	168 का भाग	10.00	150.00	100000	1,50,00,000.00	37,50,000
6	बालू/ मोरम	यमुना	पैलानी	सबादाखादर	168 का भाग	10.00	150.00	100000	1,50,00,000.00	37,50,000
7	बालू/ मोरम	यमुना	पैलानी	सबादाखादर	168 का भाग	10.00	150.00	100000	1,50,00,000.00	37,50,000
8	बालू/ मोरम	यमुना	पैलानी	सबादाखादर	168 का भाग	10.00	150.00	100000	1,50,00,000.00	37,60,000
9	बालू/ मोरम	केन	पैलानी	सिन्धनकलां	99/3, 99/22, 100/7, 101/5, 103/10, 104/2, 104/5	18.21	150.00	364200	5,46,30,000.00	1,36,57,500
10	बालू/ मोरम	केन	पैलानी	साड़ीखादर	176 का भाग, 179, 180, 177, 147 का भाग, 144 का भाग, 141 का भाग, 143, 145, 142, 122, 121, 114 का भाग, 117 का भाग	48.00	150.00	920000	13,80,00,000.00	3,45,00,000
11	बालू/ मोरम	केन	पैलानी	अमलौरखादर	176मि, 172ग, 182, 187	25.29	150.00	505000	7,58,70,000.00	1,89,87,500

12.	बालू/मोरम	केन	पलानी	अमलौरखादर	7, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 177, 178मि	25.29	150.00	505900	7,68,70,000.00	1,89,67,500
13.	बालू/मोरम	केन	नरैनी	कोलावलाराय पुर	04	20.00	150.00	400000	6,00,00,000.00	1,50,00,000
14.	बालू/मोरम	केन	नरैनी	कोलावलाराय पुर	721, 722, 723	20.00	150.00	400000	6,00,00,000.00	1,50,00,000
15.	बालू/मोरम	केन	नरैनी	निहालपुर स्थोदा	492/13	32.00	150.00	640000	9,60,00,000.00	2,40,00,000
16.	बालू/मोरम	केन	नरैनी	रिसौरा	115ग	18.00	150.00	360000	5,40,00,000.00	1,35,00,000
17.	बालू/मोरम	केन	नरैनी	लहुरेडा	195/1 का भाग	33.00	150.00	660000	9,90,00,000.00	2,47,50,000
18.	बालू/मोरम	केन	नरैनी	लहुरेडा	195/1 का भाग, 191, 3	33.00	150.00	660000	9,90,00,000.00	2,47,50,000
19.	बालू/मोरम	केन	नरैनी	बिल्हरका	5 का भाग, 9 का भाग	25.00	150.00	500000	7,50,00,000.00	1,87,50,000
20.	बालू/मोरम	केन	नरैनी	बिल्हरका	5 का भाग, 9 का भाग	25.00	150.00	500000	7,50,00,000.00	1,87,50,000
21.	बालू/मोरम	बागे	अतर्रा	बदासा	6261, 6262, 6478, 6497, 6595, 6597, 6598	24.11	150.00	241100	3,61,65,000.00	90,41,250
22.	बालू/मोरम	बागे	अतर्रा	भदावल	1169, 1858/3, 1133/4, 1161/3, 1949	22.94	150.00	229400	3,44,10,000.00	86,02,500
23.	बालू/मोरम	यमुना	बदेरू	मर्काखादर	96 का भाग	20.00	150.00	400000	6,00,00,000.00	1,50,00,000
24.	बालू/मोरम	यमुना	बदेरू	मर्काखादर	96 का भाग	20.00	150.00	400000	6,00,00,000.00	1,50,00,000
25.	बालू/मोरम	यमुना	बदेरू	मर्काखादर	96 का भाग	20.00	150.00	400000	6,00,00,000.00	1,50,00,000
26.	बालू/मोरम	यमुना	बदेरू	मर्काखादर	96 का भाग	20.00	150.00	400000	6,00,00,000.00	1,50,00,000
27.	बालू/मोरम	बागे	बदेरू	लाहरा	4185च, 4386, 4463, 4470, 4471, 4472, 4473	17.00	150.00	170000	2,55,00,000.00	63,75,000
28.	बालू/मोरम	केन	बांदा	दुरेड़ी	1141 का भाग, 1137, 1136, 1123/2, 1125, 1127, 1131, 1132	37.00	150.00	740000	11,10,00,000.00	2,77,60,000
29.	बालू/मोरम	केन	बांदा	दुरेड़ी	678, 680ख, 681ख, 682, 877क, 683ख, 876	24.00	150.00	480000	7,20,00,000.00	1,80,00,000
30.	बालू/मोरम	केन	बांदा	दुरेड़ी	4943, 4942, 4941, 4939ग, 4938, 4937, 4922क, 4923क, 4925क, 4931, 4959ग, 4958, 4957, 4955, 4883	40.00	150.00	800000	12,00,00,000.00	3,00,00,000
31.	बालू/मोरम	केन	बांदा	दुरेड़ी	4681, 4680, 4834, 4824ख	27.00	150.00	540000	8,10,00,000.00	2,02,50,000
32.	बालू/मोरम	केन	बांदा	दुरेड़ी	5029, 5030ख, 5093क, 5094क, 5097	20.00	150.00	400000	6,00,00,000.00	1,50,00,000

2. खनन पट्टा निश्चित अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेगे। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।

3. ई-निविदा सह ई-नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रति घन मीटर के लिए दी जायेगी, जो 3030 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1983 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घन मी0) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
4. ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई-निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते है।
5. किसी क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।
6. एम0एस0 टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिससे द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।
7. इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाईन बिड/बोली हेतु class III Signing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम एस टी सी के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर आई आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकते है।
8. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिए बिड में भाग ले सकेगा परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में ₹0-15,000 (₹0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।
9. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेगे। इस ऑनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजा गया सूचना ई मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात् बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को ऑनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित ₹0-1,180 (₹0 एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा।
10. पंजीयन हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-
 - (1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र प्रति।
 - (2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण-पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ-पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक याद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण-पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता है।

- (3) आवेदन का बैंक कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मानले में उसका बैंक कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
- (4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।
- (5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण-पत्र। जहां आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहां इस आशय का शपथ-पत्र की प्रति।
11. एम0एस0टी0सी0 द्वारा केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं :-
- (1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।
- (2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।
- (3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण-पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
- (4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
- (5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
- (6) फर्म/कम्पनी के मानले में जिसने बैंककार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किया हो।
12. ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एन0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.msicecommerce.com पर देखा जा सकता है।
13. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक ₹0 15,000 (₹0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।
14. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था।
15. जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।
16. अधिकतम पांच खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के पांच क्षेत्र अथवा 400 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इंटेंट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।
17. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया :-
- (1) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगा। द्वितीय चरण में ई-निविदा से प्राप्त अधिकतम निविदा धनराशि को आधार मानकर ई-नीलामी की बोली की न्यूनतम धनराशि निर्धारित होगी। प्रथम चरण के इच्छुक आवेदक उक्त न्यूनतम धनराशि के ऊपर विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि व समय के अनुसार आनलाईन बोली में भाग लेंगे।
- (2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-
- (क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रतिघन मीटर दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से

- 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।
- (ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (आफर) में प्रतिघन मीटर में दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वयिदेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।
- (ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पांच या पांच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।
- (घ) यदि पांच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पांच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।
- (3) उपरोक्त प्रस्तर-17(2)(ग), (घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- (4) द्वितीय चरण में ई-नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अप्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई-नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।
- (5) द्वितीय चरण की नीलामी की प्रक्रिया में नीलामी की निर्धारित अवधि के भीतर इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। नीलामी की ऑनलाईन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाईन ही दिया जा सकता है।
- (6) निर्धारित समय के पश्चात बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।
- (7) ई-निविदा सह ई-नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :-

प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकाशन)	प्रथम दिन
प्रथम चरण ई-निविदा (ई टेण्डर) की अवधि	दिनांक 07.10.2017 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 11.10.2017 के सायं 05:00 बजे तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	दिनांक 12.10.2017 से दिनांक 13.10.2017 तक
द्वितीय चरण ई-नीलामी की अवधि	दिनांक 16.10.2017 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-01 व 02 पर विज्ञप्ति क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-03 व 04 पर विज्ञप्ति क्षेत्र। दिनांक 17.10.2017 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-05 व 06 पर विज्ञप्ति क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-07 व 08 पर विज्ञप्ति क्षेत्र। दिनांक 18.10.2017 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-09 व 10 पर विज्ञप्ति क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-11 व 12 पर विज्ञप्ति क्षेत्र। दिनांक 23.10.2017 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-13 व 14 पर विज्ञप्ति क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-15 व 16 पर विज्ञप्ति क्षेत्र।

	दिनांक 24.10.2017 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-17 व 18 पर विज्ञप्ति क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-19 व 20 पर विज्ञप्ति क्षेत्र।
	दिनांक 25.10.2017 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-21 व 22 पर विज्ञप्ति क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-23 व 24 पर विज्ञप्ति क्षेत्र।
	दिनांक 26.10.2017 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-25 व 26 पर विज्ञप्ति क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-27 व 28 पर विज्ञप्ति क्षेत्र।
	दिनांक 27.10.2017 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-29 व 30 पर विज्ञप्ति क्षेत्र एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रमांक-31 व 32 पर विज्ञप्ति क्षेत्र।

(8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन :-

- (क) प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते है।
- (ख) एकल निविदा के मामलो को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

18. पट्टे का दिया जाना : नियमावली के नियम-28 के प्रावधानों अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।
19. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहां क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख-सत्यापन की आख्या ई-नेल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण-पत्र कूटचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।
20. लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :-
- (1) प्रथम वर्ष के लिये दये नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आंकलित मात्रा घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपया घन प्रति मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की दये धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- (2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।
- (3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।

- (5) चयनित आवेदक नियम-34 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 संपादित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
- (6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
- (7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर समक्ष प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
21. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :-
- (1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वर्ष में पट्टा धनराशि देय होगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।
- (2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किरत अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि एम0एस0टी0सी0 के ई वेनेन्ट गेट वे पर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। उक्त धनराशि जमा करने से पूर्व सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा जमा प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।
- (3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची के नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
22. शर्तें :-
- (1) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के परचात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शों में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।
- (3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से छः माह के भीतर खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेगा।
- (4) पट्टाधारक नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी। समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

- (6) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-1963 के नियम-59 के अन्तर्गत शारित का भागीदार होगा।
- (8) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।
- (7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
- (8) नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहां परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहां पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- (10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- (11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित न्याधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यारित आदेशों का पालन किया जायेगा।
- (12) निधनों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
- (13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

अन्य नियम एवं शर्तें :-

- (14) पट्टाधारक जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों को मानने के लिये बाध्य होगा तथा सीमा विवाद की दशा में सीमांकन अपने स्वयं के खर्च पर कराना होगा।
- (15) पट्टाधारक खनिज निकासी हेतु रास्ते की व्यवस्था स्वयं करेगा तथा तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करेगा।

(महेन्द्र बहादुर सिंह)
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक : / खनिज-30, बाँदा तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
5. शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, जी-25/26, तेज प्लाजा, 1, टी0एन0 सिंह रोड हजरतगंज, लखनऊ।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ को दो दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
7. जिला सूचना अधिकारी, बाँदा को दो दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
8. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद बाँदा को व्यापक प्रसार प्रचार हेतु।
9. प्रभागीय वन अधिकारी जनपद बाँदा।
10. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट बाँदा को मुख्य सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
11. खान अधिकारी, बाँदा को क्वैरी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें जाने हेतु।
12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी), बाँदा को वेबसाइट banda.nic.in में अपलोड करने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(महेन्द्र बहादुर सिंह)
जिलाधिकारी, बाँदा।

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

✓ समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ, दिनांक-14 अगस्त 2017

विषय: प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या-1498 वर्ष 2015 गुलाब चन्द्र मिश्र बनाम् उप्रो राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.05.2017 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम 9क को विलोपित करते हुए नियमावली के 43वें संशोधन द्वारा अध्याय-4 में संशोधन कर ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से क्षेत्रों के परिहार पर दिए जाने का प्राविधान किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज(परिहार) नियमावली-1963 यथा संशोधित के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी (E-Tender cum E-Auction) प्रणाली के माध्यम से परिहार पर दिये जाने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेंगी :-

1. नदी तल स्थित उपखनिजों के रिक्त क्षेत्रों को खनिज की उपलब्धता, परिवहन मार्ग की स्थिति, क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूलता तथा सुरक्षित खनन के दृष्टिगत अधिकतम 03 मी0 की गहराई अथवा जल स्तर, जो भी पहले हो, तक खनिज की मात्रा का आकलन करते हुए व्यवसायिक रूप से उपयुक्त खण्डों का निर्धारण किया जायेगा। निर्धारित खण्डों का क्षेत्रफल 05 हे0 से कम नहीं होगा। वैज्ञानिक ढंग से खनन हेतु उपयुक्त न होने की स्थिति में छोटे रिक्त खण्डों का निर्धारण किया जा सकता है परन्तु ऐसे निर्धारण के पूर्व युक्तियुक्त कारण अभिलिखित किया जायेगा। निर्धारित खण्डों के लिए वन विभाग की अनापत्ति अनिवार्य है।

2. ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल स्थित उपखनिजों के खनन पट्टा निश्चित अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।
3. ई निविदा सह ई नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/ बोली दिये जाने पर बिड/ बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/ बोली की दर (रूपया प्रति घन मी0) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
4. ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकते हैं। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।
5. किसी क्षेत्र के ई निविदा सह ई नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।
6. निर्धारित खण्डों में उपखनिज की खनन योग्य मात्रा एवं उस क्षेत्र के अर्नेस्ट मनी का निर्धारण उपरोक्त प्रस्तारों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति जिसमें अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी/तहसीलदार तथा जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक होंगे, द्वारा कराया जायेगा।
7. एम0एस0 टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।

8. इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Signing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम एस टी सी के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे।
9. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिए बिड में भाग ले सकेगा परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में ₹0-15,000(₹0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।
10. ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजा गया सूचना ई मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात् बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को आनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित ₹0-1,180 (₹0 एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा।
11. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-
 - (1) आवेदक का आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।
 - (2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता है।

- (3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
- (4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई निविदा सह ई नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति,
- (5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहाँ इस आशय का शपथ पत्र की प्रति।
12. एम0एस0टी0सी0 द्वारा केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं:-
- (1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है
- (2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।
- (3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
- (4) जिसने अपना आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
- (5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
- (6) फर्म/कम्पनी के मामलों में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।
13. रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन - खण्डों का निर्धारण एवं उसका मूल्यांकन होने के उपरान्त नियमावली-1963 के नियम-23 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा निम्न प्रक्रिया के अनुसार रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com, दैनिक समाचार पत्रों एवं विज्ञापन पट(नोटिस बोर्ड) पर प्रकाशित किया जायेगा।
- (1) जिलाधिकारी द्वारा नियम 23(1) की घोषणा होने के उपरान्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए ई-निविदा के दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस (सूचना)/विज्ञप्ति प्रकाशित किया जायेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रों का सम्पूर्ण विवरण एम0एस0टी0सी0 को भी ईमेल से उपलब्ध कराया जायेगा ताकि क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रों का विवरण एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर डालने के

बाद इसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के दो सदस्यों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा। डिजिटल सिग्नेचर से पुष्टि के उपरान्त ही क्षेत्रों का विवरण ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल पर बिडर्स एवं सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध होगा।

- (2) विज्ञप्ति में क्षेत्रों का विवरण यथा ग्राम, गाटा सं0/खण्ड सं0, नदी का नाम क्षेत्रफल, क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा, उपखनिज की रायल्टी दर, क्षेत्र के लिए निर्धारित प्री बिड अर्नेस्ट मनी, ई-निविदा डालने की तिथि व अवधि, ई-निविदा के उपरान्त ई-नीलामी का समय व दिनांक, ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया, शर्तों का विवरण आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (3) ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर देखा जा सकता है।
- (4) रिक्त क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी इसके साथ ही स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये, जिससे कि किसी भी दशा में उक्त पोर्टल एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति में कोई भी भिन्नता न हो। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना (नोटिस) निम्नानुसार प्रकाशित की जायेगी :-
 - क. नोटिस की प्रतियां जिलाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर चिपकायी जायेंगी।
 - ख. नोटिस की एक प्रति एम0एस0टी0सी0 द्वारा निर्धारित पोर्टल, विभागीय वेबसाईट, राज्य सरकार के ई-टेंडर/ई-ऑक्शन पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।
 - ग. सर्वसाधारण की सूचना के लिए नोटिस जिले में प्रचलित कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।
- (5) समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिनांक से ही विज्ञप्ति की तिथि की गणना की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिनांक से कम से कम 30 दिन पश्चात् ही ई-निविदा प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की जायेगी। 30 दिन के पश्चात् आगामी 04 दिन तक ई-निविदा प्राप्त की जायेगी।
- (6) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक रू0-15000(रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का

शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

- (7) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानों की धनराशि(अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था।
 - (8) जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।
 - (9) अधिकतम पाँच खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के क्षेत्र को, उ०प्र० राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के पाँच क्षेत्र अथवा 400 हे० के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इटेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।
14. जिलाधिकारी द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया को सम्पादित करते हेतु निम्नानुसार निविदा समिति का गठन किया जायेगा :-
- (1) जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनन, (अध्यक्ष)
 - (2) जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी, (सदस्य)
 - (3) जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, (सदस्य सचिव)

जिलाधिकारी तथा समिति के सभी सदस्यों का डिजिटल सिग्नेचर(Class III Signing cum Encryption) का होना आवश्यक है, यदि किसी सदस्य का उक्त डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो उसे तत्काल बनवा लिया जाय।

15. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया :-

(1) ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अर्न्तगत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगा। द्वितीय चरण में ई निविदा में प्राप्त अधिकतम निविदा धनराशि को आधार मानकर ई नीलामी की बोली की न्यूनतम धनराशि निर्धारित होगी। प्रथम चरण के इच्छुक आवेदक उक्त न्यूनतम धनराशि के ऊपर विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि व समय के अनुसार आनलाईन बोली में भाग लेंगे।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रतिघन मीटर दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड(आफर) में प्रतिघन मीटर में दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पाँच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

- (3) उपरोक्त प्रस्तर-15(2)(ग),(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- (4) द्वितीय चरण में ई नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।
- (5) द्वितीय चरण की नीलामी की प्रक्रिया में नीलामी की निर्धारित अवधि के भीतर इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाईन ही दिया जा सकता है।
- (6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।
- (7) ई निविदा सह ई नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :-

प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकाशन)	प्रथम दिन
प्रथम चरण ई निविदा (ई टेण्डर) की अवधि	31वें दिन (पूर्वाह्न 10:00 बजे) से 34वें दिन (सांय 05:00 बजे) तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा(बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	35वें दिन से 36वें दिन तक
द्वितीय चरण ई नीलामी की अवधि	37वें अथवा उसके बाद के दिन जैसा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक) अथवा(अपराह्न 02:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक)

- (8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन :

क. प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer)के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी।

सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते हैं।

ख. एकल निविदा के मामले को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

16. पट्टे का दिया जाना : नियमावली के नियम-28 के प्रावधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई नीलामी के मामलों में उस बोली या प्रस्ताव को प्रस्तर-15(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

17. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख की सत्यापन की स्थिति में अभिलेख सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरवित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

18. लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :-

(1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आकलित मात्रा घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपया घन प्रति मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत

दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि(अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

- (3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार जमा की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन कराया जायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।
- (5) चयनित आवेदक नियम-34 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक-14.09.2006 सपटित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
- (6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
- (7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

19. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :

- (1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वर्ष में पट्टा धनराशि देय होगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।
- (2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किश्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि एम0एस0टी0सी0 के ई पेमेन्ट गेट वे पर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0

द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। उक्त धनराशि जमा करने से पूर्व सफल निविदादाता / बोलीदाता द्वारा जमा प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

- (3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन(डी0एम0एफ0), आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

20. शर्तें :- विज्ञप्ति में निम्न शर्तें दी जायेंगी :-

- (1) ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।
- (3) पट्टा अभिलेख के निष्पादन के दिनांक से छः माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।

- (4) पट्टा धारक नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
- (5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-1983 के नियम-59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
- (6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।
- (7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
- (8) नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- (10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- (11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।
- (12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

- (13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।
- (14) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये।

अतः उपरोक्तानुसार ई निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से क्षेत्रों का व्यवस्थित करने की कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र सम्पादित कर ली जाये।

संलग्नक—(1) नियमावली, 1963 की चतुर्थ अनुसूची।

(2) विज्ञप्ति का प्रारूप।

भवदीय,
(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या— (1)/86-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
4. महाप्रबंधक (बी०ओ०) एम०एस०टी०सी० लि० लीलावती बिल्डिंग द्वितीय तल, 69 अरमेनियम स्ट्रीट, चेन्नई।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव

(चतुर्थ अनुसूची)

जमा की गयी ई-निविदा/ई-नीलाम की धनराशि जमा की अनुसूची
{नियम-27(3)}

1	2	3				4			
		प्रथम वर्ष में किस्तें	द्वितीय वर्ष में किस्तें	तृतीय वर्ष में किस्तें	चतुर्थ वर्ष में किस्तें	प्रथम वर्ष में किस्तें	द्वितीय वर्ष में किस्तें	तृतीय वर्ष में किस्तें	चतुर्थ वर्ष में किस्तें
जनवरी से मार्च	25%	25% 1 अप्रैल	25% 1 जुलाई	25% 1 अक्टूबर	25% 1 जनवरी	25% 1 अप्रैल	25% 1 जुलाई	25% 1 अक्टूबर	
अप्रैल से जून	25%	25% 1 जुलाई	25% 1 अक्टूबर	25% 1 जनवरी	25% 1 अप्रैल	25% 1 जुलाई	25% 1 अक्टूबर	25% 1 जनवरी	
जुलाई से सितम्बर	25%	25% 1 अक्टूबर	25% 1 जनवरी	25% 1 अप्रैल	25% 1 जुलाई	25% 1 अक्टूबर	25% 1 जनवरी	25% 1 अप्रैल	
अक्टूबर से दिसम्बर	25%	25% 1 जनवरी	25% 1 अप्रैल	25% 1 जुलाई	25% 1 अक्टूबर	25% 1 जनवरी	25% 1 अप्रैल	25% 1 जुलाई	

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

(71)

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 1310 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : अगस्त 18, 2017

आदेश

शासनादेश सं०-1875/86-2017-57(सा०)/2017टी०सी०-1 दिनांक 14.08.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश के बिन्दु सं०-6 में निर्धारित खण्डों में उपखनिज की खनन योग्य मात्रा एवं उस क्षेत्र के अर्नेस्ट मनी का निर्धारण उपरोक्त प्रस्तरो के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति जिसमें अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी/तहसीलदार तथा जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक होंगे।

अतः उक्त शासनादेश दिनांक 14.08.2017 में निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में जनपद बाँदा में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के निर्धारित खण्डों में उपखनिज की खनन योग्य मात्रा एवं उस क्षेत्र के अर्नेस्ट मनी का निर्धारण करने हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता है।

1. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), बाँदा।
2. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, बाँदा, नरैनी, पैलानी, अतर्रा व बबेरू।
3. खान अधिकारी, बाँदा।

(महेन्द्र बहादुर सिंह)
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक : / खनिज-30, बाँदा तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), बाँदा।
2. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, बाँदा, नरैनी, पैलानी, अतर्रा व बबेरू।
3. खान अधिकारी, बाँदा।

(महेन्द्र बहादुर सिंह)
जिलाधिकारी, बाँदा।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
बोंदा।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश सं०-1875/88-2017-57(सा)/2017 टी०सी०-1 दिनांक 14.08.2017 के क्रम में जारी कार्यालय आदेश सं०-2282/खनिज-30, बांदा दिनांक 07.12.2017 के अनुपालन में दिनांक 28.05.2018 को केन नदी क्षेत्र अन्तर्गत तहसील पैलानी के ग्राम-खपटिहाकला स्थित खसरा सं०-455 रकबा 23.1350 हे०, खसरा सं०-356 रकबा 33.0220 हे०, खसरा सं०-100 रकबा 65.6490 हे०, खसरा सं०-61/3 रकबा 21.9190 हे०, खसरा सं०-62 रकबा 8.3300 हे० व खसरा सं०-63/1 रकबा 9.4980 हे० जो राजस्व अभिलेखा में रैता के नाम दर्ज राज्य सरकार की भूमि है, के खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त खनन योग्य भण्डारित बालू/मोरम का आंकलन किया गया। उक्त क्षेत्र में 03 स्थलों पर खुदाई करायी गयी, जिसमें 02 मीटर से ज्यादा बालू/मोरम की उपलब्धता पायी गयी। उपरोक्त क्षेत्रों में वैज्ञानिक ढंग से समुचित खनन कार्य किये जाने हेतु 09 पृथक-पृथक खण्ड बनाया जाना उचित होगा। निम्नलिखित सूची के क्रमांक-7 में खनन योग्य अनुमानित खनिज भण्डार की मात्रा (घन मी० प्रतिवर्ष) व क्रमांक-8 में अर्नेस्ट मनी (सकल घनराशि का 25 प्रतिशत) अंकित कर दी गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	नदी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	गाव संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार (घन मी० प्रतिवर्ष)	अर्नेस्ट मनी (सकल घनराशि का 25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केन	पैलानी	खपटिहा कला	455	23.00	460000	1,72,50,000.00
2.	केन	पैलानी	खपटिहा कला	356 का भाग (खण्ड सं०-1)	18.00	320000	1,20,00,000.00
3.	केन	पैलानी	खपटिहा कला	356 का भाग (खण्ड सं०-2)	16.00	320000	1,20,00,000.00
4.	केन	पैलानी	खपटिहा कला	100 का भाग (खण्ड सं०-1)	16.00	320000	1,20,00,000.00
5.	केन	पैलानी	खपटिहा कला	100 का भाग (खण्ड सं०-2)	16.00	320000	1,20,00,000.00
6.	केन	पैलानी	खपटिहा कला	100 का भाग (खण्ड सं०-3)	16.00	320000	1,20,00,000.00
7.	केन	पैलानी	खपटिहा कला	100 का भाग (खण्ड सं०-4)	16.00	320000	1,20,00,000.00
8.	केन	पैलानी	खपटिहा कला	61/3	20.00	400000	1,50,00,000.00
9.	केन	पैलानी	खपटिहा कला	62, 63/1	17.00	340000	1,27,50,000.00

वांछित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

नायक तहसीलदार
पैलानी।

खान अधिकारी
बोंदा।

तहसीलदार
पैलानी।

उपजिलाधिकारी
पैलानी।

अपर जिलाधिकारी (वि०/सा०)/
प्रभारी अधिकारी खनिज, बोंदा।

(शैलेन्द्र सिंह)
खान अधिकारी
बोंदा।

जांच आख्या

सेवा में,


जिलाधिकारी,
बाँदा।


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश सं०-1875/86-2017-57(सा)/2017 टी०सी०-1 दिनांक 14.08.2017 के क्रम में जारी कार्यालय आदेश सं०-2292/खनिज-30, बाँदा दिनांक 07.12.2017 के अनुपालन में दिनांक 28-01-2018 को केन नदी क्षेत्र अन्तर्गत तहसील पैलानी के ग्राम-साड़ीखादर स्थित खसरा सं०-04 कुल रकबा 15,003 हे० व खसरा सं०-60 रकबा 19,321 हे० जो राजस्व अभिलेखों में रेता के नाम दर्ज राज्य सरकार की भूमि है, के खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त खनन योग्य भण्डारित बालू/मोरम का आंकलन किया गया। उक्त क्षेत्र में 03 स्थलों पर खुदाई करायी गयी, जिसमें 02 मीटर से ज्यादा बालू/मोरम की उपलब्धता पायी गयी। उपरोक्त क्षेत्रों में वैज्ञानिक ढंग से समुचित खनन कार्य किये जाने हेतु 02 पृथक-पृथक खण्ड बनाया जाना उचित होगा। निम्नलिखित सूची के क्रमांक-7 में खनन योग्य अनुमानित खनिज भण्डार की मात्रा (घन मी० प्रतिवर्ष) व क्रमांक-8 में अर्नेस्ट मनी (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत) अंकित कर दी गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	नदी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार (घन मी० प्रतिवर्ष)	अर्नेस्ट मनी (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केन	पैलानी	साड़ीखादर	04	13.00	260000	97,50,000.00
2.	केन	पैलानी	साड़ीखादर	60	18.00	360000	1,35,00,000.00


वांछित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।


नायब तहसीलदार
पैलानी।


खान अधिकारी
बाँदा।


तहसीलदार
पैलानी।


उपजिलाधिकारी
पैलानी।


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/
प्रभारी अधिकारी खनिज, बाँदा।


(शीलन्द्र सिंह)
खान अधिकारी
बाँदा।

जांच आख्या

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश सं०-1876/86-2017-57(सा)/2017 टी०सी०-1 दिनांक 14.08.2017 के क्रम में जारी कार्यालय आदेश सं०-2294/खनिज-30, बाँदा दिनांक 07.12.2017 के अनुपालन में दिनांक 11-03-2018 को केन नदी क्षेत्र अन्तर्गत तहसील बाँदा के ग्राम-अछरौड़ के गाटा सं०-1130 रकबा 56,1420 हे० जो राजस्व अभिलेखों में रेतों के नाम दर्ज राज्य सरकार की भूमि है, के खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त खनन योग्य भण्डारित बालू/मोरम का आकलन किया गया। उक्त क्षेत्रों में 03 स्थलों पर खुदाई करायी गयी, जिसमें 02 मीटर से ज्यादा बालू/मोरम की उपलब्धता पायी गयी। उपरोक्त क्षेत्रों में वैज्ञानिक ढंग से समुचित खनन कार्य किये जाने हेतु 28-28 हे० क्षेत्रफल के 02 पृथक-पृथक खण्ड बनाया जाना उचित होगा। निम्नलिखित सूची के क्रमांक-7 में खनन योग्य अनुमानित खनिज भण्डार की मात्रा (घन मी० प्रतिवर्ष) व क्रमांक-8 में अर्नेस्ट मनी (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत) अंकित कर दी गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	नदी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या/ खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज की भण्डार (घन मी० प्रतिवर्ष)	अर्नेस्ट मनी (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केन	बाँदा	अछरौड़	1130 का भाग (खण्ड सं०-1)	28.00	560000	2,10,00,000.00
2.	केन	बाँदा	अछरौड़	1130 का भाग (खण्ड सं०-2)	28.00	560000	2,10,00,000.00

वांछित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

नायब तहसीलदार
बाँदा।

खान अधिकारी
बाँदा।

तहसीलदार/उपजिलाधिकारी
बाँदा।

अपर जिलाधिकारी (वि०/सा०)/
प्रभारी अधिकारी खनिज, बाँदा।

जांच आख्या

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश सं०-1876/86-2017-57(सा)/2017 टी०सी०-1 दिनांक 14.08.2017 के क्रम में जारी कार्यालय आदेश सं०-2294/खनिज-30, बाँदा दिनांक 07.12.2017 के अनुपालन में दिनांक 11-03-2018 को केन नदी क्षेत्र अन्तर्गत तहसील बाँदा के ग्राम-कनवारा के गाटा सं०-28 रकबा 26.4080 हे०, गाटा सं०-29 रकबा 0.6740 हे०, गाटा सं०-53 रकबा 3.2290 हे०, गाटा सं०-337 रकबा .55.4840 हे० व गाटा सं०-431 रकबा 37.9840 हे० जो राजस्व अभिलेखों में रेंता के नाम दर्ज राज्य सरकार की भूमि है, के खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त खनन योग्य भण्डारित बालू/मोरम का आंकलन किया गया। उक्त क्षेत्रों में 03 स्थलों पर खुदाई करायी गयी, जिसमें 02 मीटर से ज्यादा बालू/मोरम की उपलब्धता पायी गयी। उपरोक्त क्षेत्रों में वैज्ञानिक ढंग से समुचित खनन कार्य किये जाने हेतु 05 पृथक-पृथक खण्ड बनाया जाना उचित होगा। निम्नलिखित सूची के क्रमांक-7 में खनन योग्य अनुमानित खनिज भण्डार की मात्रा (घन मी० प्रतिवर्ष) व क्रमांक-8 में अर्नेस्ट मनी (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत) अंकित कर दी गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	नदी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या/ खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार (घन मी० प्रतिवर्ष)	अर्नेस्ट मनी (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केन	बाँदा	कनवारा	28 का भाग, 29 (खण्ड सं०-1)	27.00	540000	2,02,50,000.00
2.	केन	बाँदा	कनवारा	53, 337 का भाग (खण्ड सं०-2)	24.00	480000	1,80,00,000.00
3.	केन	बाँदा	कनवारा	337 का भाग (खण्ड सं०-3)	24.00	480000	1,80,00,000.00
4.	केन	बाँदा	कनवारा	337 का भाग, 431 का भाग (खण्ड सं०-4)	24.00	480000	1,80,00,000.00
5.	केन	बाँदा	कनवारा	431 का भाग (खण्ड सं०-5)	23.00	460000	1,72,50,000.00

वांछित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

नायब तहसीलदार
बाँदा।

खान अधिकारी
बाँदा।

तहसीलदार/उपजिलाधिकारी
बाँदा।

अपर जिलाधिकारी (वि०/सा०)
प्रभारी अधिकारी खनिज, बाँदा।

जांच आख्या

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बौदा।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश सं०-1875/88-2017-57(सा)/2017 टी०सी०-1 दिनांक 14.08.2017 के क्रम में जारी कार्यालय आदेश सं०-2295/खनिज-30, बांदा दिनांक 07.12.2017 के अनुपालन में दिनांक 21.03.2018 को यमुना नदी क्षेत्र अन्तर्गत तहसील बबेरू के ग्राम-दादौखादर स्थित खसरा सं०-39 रकबा 24.7980 हे०, खसरा सं०-40 रकबा 0.6130 हे०, खसरा सं०-41 रकबा 5.8450 व खसरा सं०-42 रकबा 54.3030 कुल रकबा 85.559 हे० खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त खनन योग्य मण्डारित बालू/मोरम का आकलन किया गया। उक्त क्षेत्रों में 03 स्थलों पर खुदाई करायी गयी, जिसमें 01 मीटर से ज्यादा बालू/मोरम की उपलब्धता पायी गयी। उपरोक्त क्षेत्रों में वैज्ञानिक ढंग से समुचित खनन कार्य किये जाने हेतु 12-12 हे० क्षेत्रफल के 07 पृथक-पृथक खण्ड बनाया जाना उचित होगा। निम्नलिखित सूची के क्रमांक-7 में खनन योग्य अनुमानित खनिज मण्डार की मात्रा (घन मी० प्रतिवर्ष) व क्रमांक-8 में अर्नेस्ट मनी (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत) अंकित कर दी गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	नदी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का मण्डार (घन मी० प्रतिवर्ष)	अर्नेस्ट मनी (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	यमुना	बबेरू	दादौखादर	39 का भाग, 42 का भाग (खण्ड सं०-1)	12.00	120000	45,00,000.00
2.	यमुना	बबेरू	दादौखादर	39 का भाग, 42 का भाग (खण्ड सं०-2)	12.00	120000	45,00,000.00
3.	यमुना	बबेरू	दादौखादर	39 का भाग, 42 का भाग (खण्ड सं०-3)	12.00	120000	45,00,000.00
4.	यमुना	बबेरू	दादौखादर	39 का भाग, 42 का भाग (खण्ड सं०-4)	12.00	120000	45,00,000.00
5.	यमुना	बबेरू	दादौखादर	39 का भाग, 42 का भाग (खण्ड सं०-5)	12.00	120000	45,00,000.00
6.	यमुना	बबेरू	दादौखादर	42 का भाग, 41 का भाग (खण्ड सं०-6)	12.00	120000	45,00,000.00
7.	यमुना	बबेरू	दादौखादर	38, 40, 41 का भाग, 42 का भाग (खण्ड सं०-7)	12.00	120000	45,00,000.00

वांछित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

नायब तहसीलदार
बबेरू।

खान अधिकारी
बौदा।

तहसीलदार
बबेरू।

उपजिलाधिकारी
बबेरू।

(शैलेन्द्र सिंह)
खान अधिकारी
बौदा।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/
प्रमारी अधिकारी खनिज, बौदा।

जांच आख्या

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश सं०-1875/86-2017-57(सा)/2017 टी०सी०-1 दिनांक 14.08.2017 के क्रम में जारी कार्यालय आदेश सं०-2292/खनिज-30, बाँदा दिनांक 07.12.2017 के अनुपालन में दिनांक 13.11.2018 को यमुना नदी क्षेत्र अन्तर्गत तहसील बाँदा के ग्राम-बेंदाखादर स्थित गाटा सं०-2/4, 2/23, 2/24 व 2/28 कुल रकबा 117.82 हे० जो राजस्व अभिलेखों में रेता के नाम दर्ज राज्य सरकार की भूमि है, के खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। वन भूमि से 100 मी० दूरी छोड़ने के बाद उपलब्ध क्षेत्रफल 84.00 हे० निरीक्षण के उपरान्त खनन योग्य भण्डारित बालू/मोरम का आंकलन किया गया। उक्त क्षेत्र में 03 स्थलों पर खुदाई करायी गयी, जिसमें 02 मीटर से ज्यादा बालू/मोरम की उपलब्धता पायी गयी। उपरोक्त क्षेत्रों में वैज्ञानिक ढंग से समुचित खनन कार्य किये जाने हेतु 04 पृथक-पृथक खण्ड बनाया जाना उचित होगा। निम्नलिखित सूची के क्रमांक-7 में खनन योग्य अनुमानित खनिज भण्डार की मात्रा (घन मी० प्रतिवर्ष) व क्रमांक-8 में अर्नेस्ट मनी (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत) अंकित कर दी गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	नदी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार (घन मी० प्रतिवर्ष)	अर्नेस्ट मनी (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	यमुना	बाँदा	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28 (खण्ड सं०-01)	21.00	420000	1,57,50,000.00
2.	यमुना	बाँदा	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28 (खण्ड सं०-02)	21.00	420000	1,57,50,000.00
3.	यमुना	बाँदा	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28 (खण्ड सं०-03)	21.00	420000	1,57,50,000.00
4.	यमुना	बाँदा	बेंदाखादर	2/4, 2/23, 2/24, 2/28 (खण्ड सं०-04)	21.00	420000	1,57,50,000.00

वांछित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

[Handwritten Signature]
13-11-18

[Handwritten Signature]
नायब तहसीलदार
बाँदा।

[Handwritten Signature]
खान अधिकारी
बाँदा।

[Handwritten Signature]
तहसीलदार/उपजिलाधिकारी
बाँदा।

[Handwritten Signature]
(शैलेन्द्र सिंह)
खान अधिकारी
बाँदा।

[Handwritten Signature]
अपर जिलाधिकारी (वि०/सा०)/
प्रमारी अधिकारी खनिज, बाँदा।

जांच आख्या

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश सं०-1875/86-2017-57(सा)/2017 टी०सी०-1 दिनांक 14.08.2017 के क्रम में जारी कार्यालय आदेश सं०-2292/खनिज-30, बाँदा दिनांक 07.12.2017 के अनुपालन में दिनांक 06.12.2018 को केन नदी क्षेत्र अन्तर्गत तहसील बाँदा के ग्राम-पथरी स्थित गाटा सं०-61/2मि, 64/2मि, 72/47, 73, 74/1, 75मि व 77/1 कुल रकबा 71.32 हे० जो राजस्व अभिलेखों में रैता के नाम दर्ज राज्य सरकार की भूमि है, का निरीक्षण किया गया। ग्राम-पथरी की सीमा से लगभग 500 मी० दूरी छोड़ने के पश्चात खसरा सं०-72/47, 73, 74/1 व 75मि कुल रकबा 58.00 हे० क्षेत्र खनन हेतु उपयुक्त पाया गया। उक्त क्षेत्र में 03 स्थलों पर खुदाई करायी गयी, जिसमें 02 मीटर से ज्यादा बालू/मोरम की उपलब्धता पायी गयी। उपरोक्त क्षेत्रों से वैज्ञानिक ढंग से समुचित खनन कार्य किये जाने हेतु 03 पृथक-पृथक खण्ड बनाया जाना उचित होगा। निम्नलिखित सूची के क्रमांक-7 में खनन योग्य अनुमानित खनिज भण्डार की मात्रा (घन मी० प्रतिवर्ष) व क्रमांक-8 में अर्नेस्ट मनी (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत) अंकित कर दी गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	नदी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार (घन मी० प्रतिवर्ष)	अर्नेस्ट मनी (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केन	बाँदा	पथरी	72/47 का भाग, 73, 74/1 का भाग व 75मि (खण्ड सं०-01)	20.00	4,00,000	1,50,00,000.00
2.	केन	बाँदा	पथरी	72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं०-02)	19.00	3,80,000	1,42,50,000.00
3.	केन	बाँदा	पथरी	72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं०-03)	19.00	3,80,000	1,42,50,000.00

वांछित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

[Signature]
नायब तहसीलदार
बाँदा।

[Signature]
खान अधिकारी
बाँदा।

[Signature]
तहसीलदार/उपजिलाधिकारी
बाँदा।

[Signature]
(शैलेन्द्र सिंह)
खान अधिकारी
बाँदा।

[Signature]
06/12/18
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/
प्रभारी अधिकारी खनिज, बाँदा।

जाय आख्या

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश सं०-1875/86-2017-57(सा)/2017 टी०सी०-1 दिनांक 14.08.2017 के क्रम में जारी कार्यालय आदेश सं०-2292/खनिज-30, बाँदा दिनांक 07.12.2017 के अनुपालन में दिनांक 16.12.2018 को केन नदी क्षेत्र अन्तर्गत तहसील बाँदा के ग्राम-मरीली खादर स्थित गाटा सं०-41/2, 111, 112, 332/17, 333/7, 362/1स, 387/3, 390स, 418, 412, 413, 414, 406, 407, 408, 421मि, 423, 424, 426/30 व 431/333/1 कुल रकबा 152.02 हे० जो राजस्व अभिलेखों में उता के नाम दर्ज राज्य सरकार की भूमि है, का निरीक्षण किया गया। वन भूमि से 100 मी० दूरी छोड़ने के पश्चात गाटा सं०-332/17 का भाग, 431/333/1 का भाग, 333/7 का भाग, 412, 413, 414, 418, 421 का भाग व 426/30 का भाग कुल रकबा 136.00 हे० क्षेत्र खनन हेतु उपयुक्त पाया गया। उक्त क्षेत्र में 03 स्थलों पर खुदाई करायी गयी, जिसमें 02 मीटर से ज्यादा बालू/मोरम की उपलब्धता पायी गयी। उपरोक्त क्षेत्रों में वैज्ञानिक दंग से समुचित खनन कार्य किये जानें हेतु 06 पृथक-पृथक खण्ड बनाया जाना उचित होगा। निम्नलिखित सूची के क्रमांक-7 में खनन योग्य अनुमानित खनिज भण्डार की मात्रा (घन मी० प्रतिवर्ष) व क्रमांक-8 में अर्नेस्ट मनी (सकल घनराशि का 25 प्रतिशत) अंकित कर दी गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	नदी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मं)	खनन योग्य आंकित उपखनिज का भण्डार (घन मी० प्रतिवर्ष)	अर्नेस्ट मनी (सकल घनराशि का 25 प्रतिशत)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	केन	बाँदा	मरीली खादर	333/7 का भाग (खण्ड सं०-1)	22.00	4,40,000.00	1,65,00,000.00
2.	केन	बाँदा	मरीली खादर	333/7 का भाग (खण्ड सं०-2)	22.00	4,40,000.00	1,65,00,000.00
3.	केन	बाँदा	मरीली खादर	333/7 का भाग, 418, 421मि व 426/30 (खण्ड सं०-3)	23.00	4,60,000.00	1,72,50,000.00
4.	केन	बाँदा	मरीली खादर	333/7 का भाग, 412, 413 व 414 (खण्ड सं०-4)	23.00	4,60,000.00	1,72,50,000.00
5.	केन	बाँदा	मरीली खादर	333/7 का भाग (खण्ड सं०-5)	23.00	4,60,000.00	1,72,50,000.00
6.	केन	बाँदा	मरीली खादर	332/17, 333/7 का भाग व 431/333/1 (खण्ड सं०-6)	23.00	4,60,000.00	1,72,50,000.00

वांछित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

18-12-18
लेखपाल
चक्रबंदी।

मरीली खादर
मरीली खादर।
18-12-2018
नायब तहसीलदार
बाँदा।

खान सर्वेक्षक
बाँदा।

खान अधिकारी
बाँदा।

तहसीलदार
उपजिलाधिकारी
बाँदा।
18/12/2018

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/
प्रभारी अधिकारी खनिज, बाँदा।

(शैलेन्द्र सिंह)
खान अधिकारी
बाँदा।

जांच आख्या

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश सं०-1875/86-2017-57(सा)/2017 टी०सी०-1 दिनांक 14.08.2017 के क्रम में जारी कार्यालय आदेश सं०-2298/खनिज-30, बाँदा दिनांक 07.12.2017 के अनुपालन में दिनांक 23/4/2018 को केन नदी क्षेत्र अन्तर्गत तहसील नरैनी के ग्राम-बरसड़ामानपुर स्थित खसरा सं०-3/1/1 रकबा 43,4090 हे० जो राजस्व अभिलेखों में रेता के नाम दर्ज राज्य सरकार की भूमि है, के खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त खनन योग्य भण्डारित बालू/मोरम का आंकलन किया गया। उक्त क्षेत्रों में 03 स्थलों पर खुदाई करायी गयी, जिसमें 02 मीटर से ज्यादा बालू/मोरम की उपलब्धता पायी गयी। उपरोक्त क्षेत्रों में वैज्ञानिक ढंग से समुचित खनन कार्य किये जाने हेतु 21-21 हे० क्षेत्रफल के 02 पृथक-पृथक खण्ड बनाया जाना उचित होगा। निम्नलिखित सूची के क्रमांक-7 में खनन योग्य अनुमानित खनिज भण्डार की मात्रा (घन मी० प्रतिवर्ष) व क्रमांक-8 में अर्नेस्ट मनी (सकल घनराशि का 25 प्रतिशत) अंकित कर दी गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	नदी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार (घन मी० प्रतिवर्ष)	अर्नेस्ट मनी (सकल घनराशि का 25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केन	नरैनी	बरसड़ा मानपुर	3/1/1 का भाग (खण्ड सं०-1)	21.00	420000	1,57,50,000.00
2.	केन	नरैनी	बरसड़ा मानपुर	3/1/1 का भाग (खण्ड सं०-2)	21.00	420000	1,57,50,000.00

वांछित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।


नायब तहसीलदार
नरैनी।


खान अधिकारी
बाँदा।


तहसीलदार
नरैनी।


उपजिलाधिकारी
नरैनी।


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/
प्रभारी अधिकारी खनिज, बाँदा।

जांच आख्या

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश सं०-1875/88-2017-57(सा)/2017 टी०सी०-1 दिनांक 14.08.2017 के क्रम में जारी कार्यालय आदेश सं०-2294/खनिज-30, बाँदा दिनांक 07.12.2017 के अनुपालन में दिनांक 24.03.2018 को यमुना नदी क्षेत्र अन्तर्गत तहसील बाँदा के ग्राम-जौहरपुर खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त खनन योग्य भण्डारित बालू/मोरम का आकलन किया गया। उक्त क्षेत्रों में 03 स्थलों पर खुदाई करायी गयी, जिसमें 02 मीटर से ज्यादा बालू/मोरम की उपलब्धता पायी गयी। उपरोक्त क्षेत्रों में वैज्ञानिक ढंग से समुचित खनन कार्य किये जाने हेतु 15-15 हे० क्षेत्रफल के 08 पृथक-पृथक खण्ड बनाया जाना उचित होगा। निम्नलिखित सूची के क्रमांक-7 में खनन योग्य अनुमानित खनिज भण्डार की मात्रा (घन मी० प्रतिवर्ष) व क्रमांक-8 में अर्नेस्ट मनी (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत) अंकित कर दी गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	नदी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या/ खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार (घन मी० प्रतिवर्ष)	अर्नेस्ट मनी (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	यमुना	बाँदा	जौहरपुर	2211 का भाग, 2195 का भाग, 2196, 2197 का भाग, 2183 का भाग, 2198, 2199 का भाग, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2220, 2221 का भाग, 2223 का भाग, 2224 का भाग, 2226 का भाग, 2227, 2228 का भाग, 2229, 2149 का भाग, 2148 का भाग, 10 का भाग, 09, 11 का भाग, 01 का भाग, 12150 का भाग, 08 का भाग (खण्ड सं०-1)	15.00	300000	1,12,50,000.00
2.	यमुना	बाँदा	जौहरपुर	01 का भाग, 07 का भाग, 08 का भाग, 2147 का भाग, 2148 का भाग, 2150 का भाग, 2200 का भाग, 2181 का भाग, 2182 का भाग, 2180 का भाग, 2178 का भाग (खण्ड सं०-2)	15.00	300000	1,12,50,000.00
3.	यमुना	बाँदा	जौहरपुर	2178 का भाग, 2152 का भाग, 2153 का भाग, 2145 का भाग, 2147 का भाग, 2146, 06 का भाग, 2148 का भाग, 07 का भाग, 01 का भाग, 2154 का भाग (खण्ड सं०-3)	15.00	300000	1,12,50,000.00
4.	यमुना	बाँदा	जौहरपुर	01 का भाग, 05 का भाग, 06 का भाग, 2145 का भाग, 2144, 2143 का भाग, 2155 का भाग, 2154 का भाग, 2153 का भाग, 01 का भाग, 2152 का भाग (खण्ड सं०-4)	15.00	300000	1,12,50,000.00

(2)

5.	यमुना	बाँदा	जौहरपुर	01 का भाग, 03 का भाग, 04, 05 का भाग, 2143 का भाग, 2142, 2141, 2140 का भाग, 2158, 2157 का भाग, 2159 का भाग, 2154 का भाग, 2137 का भाग (खण्ड सं०-5)	15.00	300000	1,12,50,000.00
6.	यमुना	बाँदा	जौहरपुर	01 का भाग, 02, 03 का भाग, 2139, 2138, 2137 का भाग, 2136 का भाग (खण्ड सं०-8)	15.00	300000	1,12,50,000.00

वांछित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

नायब तहसीलदार
बाँदा।

खान अधिकारी
बाँदा।

तहसीलदार / उप जिलाधिकारी
बाँदा।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) /
प्रमारी अधिकारी खनिज, बाँदा।

जनपद बाँदा में बालू/मोरम के खनन पट्टों में प्राप्त पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र की सूची

क्र० सं०	पट्टाधारक का नाम व पता	नदी का नाम	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	रकबा (हे० में)	पट्टा अवधि	खनन क्षेत्र की आच्छादित श्रेणी	अभिवृत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री अतीक उल्ला पुत्र श्री बाबुल्ला निवासी ग्राम-हथौड़ा, थाना कोत० देहात, जनपद बाँदा।	केन	पैलानी	सिन्धनकलां	99/3, 99/22, 100/7, 101/5, 103/10, 104/2, 104/5	18.21	22.01.2018 से 21.01.2023 तक	B-1	खनन पट्टा निरस्त
2.	डिजीयाना माइनिंग कार्पोरेशन प्रा०लि० जी-1 एम-3 सपना चैम्बर्स साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म०प्र०)।	बागे	अतर्रा	मदावल	1169, 1858/3, 1133/4, 1161/3, 1949	22.94	25.01.2018 से 24.01.2023 तक	B-1	खनन पट्टा निरस्त
3.	डिजीयाना माइनिंग कार्पोरेशन प्रा०लि० जी-1 एम-3 सपना चैम्बर्स साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म०प्र०)।	बागे	बबेरू	लोहरा	4185ख, 4388, 4463, 4470, 4471, 4472, 4473, 2776, 2709, 4590	17.00	25.01.2018 से 24.01.2023 तक	B-1	खनन पट्टा निरस्त
4.	इन्दौर प्रोपर्टी प्रा०लि० जी-1 एम-3 सपना चैम्बर साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म०प्र०) पिन कोड-452001	बागे	अतर्रा	बदौसा	6261, 6262, 6478, 6497, 6595, 6597, 6598	10.00	26.02.2018 से 25.02.2023 तक	B-1	खनन पट्टा निरस्त
5.	आशीष इण्टर प्राईजेज, स्टेशन रोड परीक्षा झांसी (उ०प्र०)।	केन	बाँदा	दुरेडी	678, 680ख, 681ख, 682, 677क, 683ख, 676	24.00	09.03.2018 से 08.03.2023 तक	B-1	खनन पट्टा निरस्त
6.	श्री रंजीत सिंह ठेकेदार निवासी-178 मिशन कम्पाउन्ड, जिला-झांसी।	यमुना	पैलानी	सादीमदनपुर	92/6, 92/7, 94	7.46	22.01.2018 से 21.01.2023 तक	B-1	खनन पट्टा निरस्त
7.	इन्दौर प्रोपर्टी प्रा०लि० जी-1 एम-3 सपना चैम्बर साउथ तुकोगंज, इन्दौर।	केन	नरैनी	कोलावलरायपुर	04	20.00	25.01.2018 से 24.01.2023 तक	B-1	खनन पट्टा निरस्त
8.	पी०के० ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स पुलिस लाइन तिराहा, जरैली कोटी, जिला-बाँदा।	केन	नरैनी	रिसौरा	116ग	18.00	06.02.2018 से 05.02.2023 तक	B-1	खनन पट्टा निरस्त
9.	जय अम्बे कांस्ट्रक्शन कम्पनी, बाईपास रोड टाउन सिटी, अम्बाह जिला मुरैना (उ०प्र०)।	यमुना	पैलानी	सादीमदनपुर	93/1क, 95/2, 96/8, 97, 98	18.60	07.02.2018 से 06.02.2023 तक	B-1	खनन पट्टा संचालित

10.	स्टारनेट मार्केटिंग प्रा० लि० 5TH फ्लोर रूम नं०-52 125 एन०एस० बॉस, आर०डी० कोलकाता, 700001 वेस्ट बंगाल।	केन	नरैनी	कोलावलरायपुर	724, 722, 723	20.00	16.02.2018 से 15.02.2023 तक	B-1	खनन पट्टा संचालित
11.	श्री विपुल त्यागी पुत्र श्री रविन्द्रकांत त्यागी निवासी म० नं०-319 नूर नगर सिंहानी, तह० व जिला गाजियाबाद।	केन	नरैनी	जर	851, 866, 867, 869, 872 व 876	8.00	30.10.2018 से 29.10.2023 तक	B-1	खनन पट्टा संचालित
12.	त्रिपाठी कान्हादेव प्रो० पार्टनर श्री शिवचन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री राम खेलावन त्रिपाठी निवासी-इलाहाबाद रोड, गांधीगंज कर्वा, जिला चित्रकूट	बागे	अतर्रा	तेरा(ब)	1749ख, 1766 व 2421	9.34	30.10.2018 से 29.10.2023 तक	B-1	खनन पट्टा संचालित
13.	मे० मॉ जयंती इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर श्री मनीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री चन्द्र किशोर गुप्ता निवासी-छोटी बाजार, कैलाशपुरी, तहसील व जिला बांदा	केन	नरैनी	निहालपुर स्योड़ा	492/13	32.00	16.11.2018 से 15.11.2023 तक	B-1	खनन पट्टा संचालित
14.	आर०एस०आई० स्टोन वर्ल्ड प्रा० लि० प्रतिनिधि श्री अजीत सिंह जादौन पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी-टटवाई, जनपद करोली राजस्थान	केन	नरैनी	लहुरेटा	195/1 का भाग, 191 व 3	33.00	28.11.2018 से 27.11.2023 तक	B-1	खनन पट्टा संचालित
15.	श्री वामदेव ग्लोवर प्रा० लि० प्रो० श्री उपेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री मुन्नीलाल गुप्ता निवासी म० नं०-ई-91, श्री नाथ बिहार कालोनी, फ्लैट नं०-2, चित्ला रोड बांदा, जनपद बांदा	केन	बांदा	गंछा.	1971/1	10.00	29.11.2018 से 28.11.2023 तक	B-1	खनन पट्टा निरस्त तथा दिनांक 24.09. 19 को खनन पट्टा निरस्त परन्तु मा० न्यायालय आयुक्त चित्रकूट घाम मण्डल बांदा द्वारा दिनांक आदेश दिनांक 28.09. 2019 द्वारा जिलाधिकारी बांदा के आदेश दिनांक 24.09. 19 निरस्त कर दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन में पुनरीक्षण याचिका वाञ्छित की गयी है।

16.	मे० मल्लिकार्जुन एसोसिएट्स प्रो० श्री सुमंत गुप्ता पुत्र श्री रामकिशन गुप्ता निवासी-मु० गांधी नगर महोबा, तहसील व जनपद महोबा	बागे	अतर्रा	महुटा	876ख, 886क, 1481, 1482, 1505, 2031, 2039, 2047, 2247, 2270, 2521, 2522, 2538, 2541ख, 2577, 2599 व 2676	21.00	01.12.2018 से 30.11.2023 तक	B-1	खनन पट्टा निरस्त
17.	मे० श्री फाल्गुन गिरि साइन्स पार्टनर श्री आलोक कुमार शुक्ला पुत्र श्री गोपाल चन्द्र शुक्ला निवासी ग्राम-किशनपुर, तहसील खागा, जिला फतेहपुर	बागे	अतर्रा	चन्दौर	2494	7.80	01.12.2018 से 30.11.2023 तक	B-1	खनन पट्टा संचालित
18.	श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र श्री एस०के० गुप्ता निवासी-कूचा परमेश्वरीदास, मिस्टरगंज तहसील सदर जिला रामपुर	केन	बांदा	दुरेड़ी	4881, 4880, 4834 व 4824ख	27.00	06.12.2018 से 05.12.2023 तक	B-1	खनन पट्टा संचालित
19.	मे० बासुदेव अमर उजाला प्रो० श्री बासुदेव शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा निवासी-सूरजपुरा नखलोली अटेर, जिला सिण्डा	केन	पैलानी	पड़ोहराखादर	165, 166 व 174	14.00	10.12.2018 से 09.12.2023 तक	B-1	खनन पट्टा निरस्त
20.	मे० चौधरी ट्रेडर्स प्रो० श्री गिराज कुमार शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल शर्मा निवासी-मुरैना रोड बडफरा अम्बाह, जिला मुरैना (म०प्र०)	केन	पैलानी	अमलोरखादर	7, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 177 व 176मि	25.29	10.12.2018 से 09.12.2023 तक	B-1	खनन पट्टा निरस्त
21.	मे० चौधरी ईट उद्योग प्रो० श्री बालकृष्ण शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल शर्मा निवासी ग्राम-बडफरा रोड अम्बाह, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना	केन	पैलानी	साडीखादर	04	13.00	10.12.2018 से 09.12.2023 तक	B-1	मा० हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार खनन पट्टा प्रतिबन्धित
22.	सिल्वर लाइन ऑटो मोबाईलस प्रो० श्री देवब्रत सिंह पुत्र स्व० श्री दशरथ सिंह निवासी-मुखत्यागंज, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म०प्र०)	केन	पैलानी	साडीखादर	176 का भाग, 179, 180, 177, 147 का भाग, 144 का भाग, 141 का भाग, 143, 145, 142, 122, 121, 114 का भाग व 117 का भाग	46.00	16.12.2018 से 17.12.2023 तक	B-1	खनन पट्टा संचालित

9

23.	श्री विनय कुमार पुत्र श्री नरसिंह सिंह निवासी-साकेतपुरी, रोड नं०-01 हनुमान नगर, पटना बिहार	केन	नरैनी	बिल्हरका	05 का भाग व 09 का भाग	25.00	13.02.2019 से 12.02.2024 तक	B-1	शासन के आदेशानुसार खनन पट्टा प्रतिबन्धित
24.	श्री ओमप्रकाश राम औतार प्रो० रतू गुप्ता पत्नी सत्य प्रकाश गुप्ता निवासी-128/346, एच० ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर	केन	पैलानी	खपटिहा कलां	455	23.00	13.02.2019 से 12.02.2024 तक	B-1	खनन पट्टा संचालित
25.	श्री केम्स इन्फ्रा डेवलपर्स, श्री अचल शर्मा पुत्र श्री कैलाशचन्द्र शर्मा निवासी-ए० 33 कृष्णा बिहार, रेलवे कालोनी, क्वासी, जनपद अलीगढ़	केन	पैलानी	खपटिहा कलां	61/3	20.00	14.02.2019 से 13.02.2024 तक	B-1	खनन पट्टा संचालित
26.	श्री न्यू इयोन एसोसियेट्स प्रो० श्री धर्मचंद्र सिंह तोमर पुत्र श्री कृष्ण कुमार सिंह निवासी-101 तानसेन नगर, जिला खालियर (म०प्र०) की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री आकाश शर्मा पुत्र श्री वैजनाथ शर्मा निवासी-एफ-97 आदित्य पुरम, गिण्ड रोड, महाराजपुरा, जिला खालियर (म०प्र०)	केन	पैलानी	सिन्धनकलां	683/43, 684/6, 693/48, 684/7, 692/1 व 699/3	19.00	14.02.2019 से 13.02.2024 तक	B-1	खनन पट्टा निरस्त
27.	रमन सोखल पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी-बी०-74 शक्ति अपार्टमेन्ट सेक्टर 09 रोहिणी, दिल्ली	केन	बांदा	दुरेड़ी	5029, 5030क, 5093क, 5094क व 5097	20.00	23.02.2019 से 22.02.2024 तक	B-1	खनन पट्टा संचालित
28.	प्रकाश इन्फ्रावेन्चर प्रा०लि०, श्री रविन्द्र नाथ सिंह पुत्र श्री जय प्रकाश सिंह निवासी-मकान नं०-6/159, विनीत खण्ड, गोमती नगर, जिला लखनऊ	केन	बांदा	कनवारा	337 का भाग (खण्ड सं०-3)	24.00	28.02.2019 से 27.02.2024 तक	B-1	खनन पट्टा संचालित
29.	कात्यायनी नेचुरल रिसोर्सिज लि० निदेशक श्री सुदामा कुमार पुत्र श्री रामेश्वर राम निवासी ग्राम-परेव, थाना बिहटा, जिला पटना (बिहार)	केन	बांदा	भूरेड़ी	1141 का भाग, 1137, 1136, 1123/2, 1125, 1127, 1131 व 1132	37.00	08.03.2019 से 07.03.2024 तक	B-1	खनन पट्टा संचालित
30.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।	यमुना	पैलानी	सादीमदनपुर	50 का भाग व 51	42.49	-	B-1	खनन पट्टा निष्पादित नहीं हुआ

31.	श्रीमती पूर्णिमा वर्मा, 8 सी 3 आवास विकास कालोनी योजना 03 झूसी, इलाहाबाद।	यमुना	पैलानी	सबादाखार	168 का भाग	10.00	-	B-1	खनन पट्टा निष्पादित नहीं हुआ
32.	श्री शिव प्रताप सिंह जय शक्ति रियल कॉन प्रा० लि० निवासी-ए 17 लावरेन्स टीरेस हजरतगंज, जिला-लखनऊ।	केन	पैलानी	खटिहा कलां	62 व 63/1	17.00	-	B-1	खनन पट्टा निष्पादित नहीं हुआ
33.	श्री संजीत चावला निवासी-जी० 201 प्रीत विहार, दिल्ली।	केन	बांदा	कनवास	53 व 337 का भाग, खण्ड सं० 2	24.00	-	B-1	खनन पट्टा निष्पादित नहीं हुआ
34.	महादेव कान्सट्रक्शन जी० एच० 183 दीन दयाल नगर, दशरहा मैदान, ग्वालियर।	केन	नरैनी	बिल्हरका	05 का भाग व 09 का भाग	25.00	-	B-1	खनन पट्टा निष्पादित नहीं हुआ
35.	श्री विजय कुमार जायसवाल वार इन्टर प्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड निवासी-जे 28 35 अगार्गंज जैतपुरा जिला-वाराणसी	यमुना	बांदा	जौहरपुर	खण्ड सं०-05	15.00	-	B-1	खनन पट्टा निष्पादित नहीं हुआ
36.	श्री सुरेंद्र कुमार यादव एस०के० इन्टर प्राइजेज, निवासी-बी 5 महाराजा अपार्टमेंट मानस नगरजिया मऊ, जनपद लखनऊ।	यमुना	बांदा	जौहरपुर	खण्ड सं०-03	15.00	-	B-1	खनन पट्टा निष्पादित नहीं हुआ
37.	श्री अरविन्द सिंह अचिंशा माइन्स प्रा० लि०, निवासी-1019 नौरंग हाउस 21 के०जी० मार्ग, नई दिल्ली।	केन	बांदा	कनवारा	431 का भाग खण्ड सं०-5	23.00	-	B-1	खनन पट्टा निष्पादित नहीं हुआ
38.	साईधरन इन्फ्राहाईट प्रा० लि० श्री कृष्ण कान्त गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी-शॉप नं०-22 डिफेन्स स्टेट फेस-1 ग्वालियर रोड, मधुनगर आगरा।	केन	पैलानी	खटिहा	356 का भाग (खण्ड सं०-2)	16.00	-	B-1	खनन पट्टा निष्पादित नहीं हुआ
39.	श्री देवेन्द्र भंडारी, ए०डी० एमो फूड्स प्रा० लि०, निवासी-2बी सागरमथा अपार्टमेंट 18 एस०जी० रोड, इन्दौर।	केन	पैलानी	खटिहा कलां	100 का भाग (खण्ड सं०-2)	16.00	-	B-1	खनन पट्टा निष्पादित नहीं हुआ



40.	श्री चन्द्र शेखर चौरसिया, यूफोरिया माईन्स एण्ड मिनरल्स, निवासी-3 भीमपुरी कालोनी न्यार जुगुल क्रासिंग, फैजाबाद रोड लखनऊ।	केन	बांदा	लड़ाकापुरवां	5114/1, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5128, 5129, 5130, 5131 5132, 5134, 5135, 5136, 5152	20.00	-	B-1	खनन पट्टा निष्पादित नहीं हुआ
41.	मे० नव आरुषी ट्रेडर्स प्रा० लि०, प्रो० श्री रामपाल सिंह पुत्र श्री जगत सिंह निवासी-फ़ेडस कालोनी, सिविल लाइन, जिला इटावा।	केन	पैलानी	खपटिहा कलां	356 का भाग (खण्ड सं०-1)	16.00	-	B-1	खनन पट्टा निष्पादित नहीं हुआ
42.	मे० जय नां काली टायर्स, प्रो० श्री दलपत सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह निवासी ग्राम-अमलीकौर, तह० व जिला बांदा।	केन	बांदा	कनवारा	337 का भाग व 431 का भाग (खण्ड सं०-4)	24.00	-	B-1	खनन पट्टा निष्पादित नहीं हुआ

२/१
स्थान निरीक्षण
वाक्य!

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : ~~2067~~ / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 4, 2019

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बाँदा स्थित केन, यमुना व बागे नदी क्षेत्र में स्वीकृत बालू/मोरम के खनन पट्टा क्षेत्र में राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), लखनऊ से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पट्टा विलेख का निष्पादन कर खनन कार्य संचालित हुआ है। जिन क्षेत्रों में राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), लखनऊ से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है उस क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतया बंद है।


(राजेश कुमार)
खान निरीक्षक
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 2066 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर ५, 2019

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान समय में जनपद बाँदा में बालू/मोरम के बी-2 व ए से आच्छादित क्षेत्र स्वीकृत/निष्पादित नहीं है तथा समस्त बालू/मोरम के खनन क्षेत्र 05.00 हे० से अधिक है, जो बी-1 से आच्छादित होता है।


04/11/19
(राजेश कुमार)
खान निरीक्षक
बाँदा।